बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड

वार्षिक प्रतिवेदन

2016-17

दिनांक **28** फरवरी, **2017** को माननीय रक्षा राज्य मंत्री जी का बेलॉप का दौरा

तस्वीर में दिख रहे हैं –

डॉ. सुभाष रामराव भामरे, माननीय रक्षा राज्य मंत्री (बीच में), श्री एम वी गौतमा, सीएमडी, बीईएल तथा अध्यक्ष, बेलॉप (दाएँ से चौथे), श्री डी सी एन श्रीनिवास राव, सीईओ, बेलॉप (दाएँ से तीसरे), श्री नितिन तावले, अ.म.प्र. (क्यूए), बेलॉप (बाएँ से पाँचवें), श्री अनिल दीक्षित, उ.म.प्र. (उत्पादन), (बाएँ से दूसरे), श्री पी एस जोशी, उ.म.प्र. (मा.सं.), बेलॉप (दाएँ से पहले), श्रीमती प्रिया अय्यर, कंपनी सचिव तथा सीएफओ, बेलॉप (बाएँ से चौथे) तथा अन्य अधिकारीगण।

ध्येय

इमेज इंटेन्सीफायरों तथा अन्य चुने हुए क्षेत्रों में ग्राहक केन्द्रित एवं प्रौद्योगिकी द्वारा संचलित कंपनी बनना

यथा 7 अगस्त, 2017 को बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड का निदेशक मंडल

क) श्री एम वी गौतमा (8.11.16 से)	अध्यक्ष	सीएमडी, बीईएल
ख) श्री सुनील कुमार शर्मा (30.09.16 तक)	अध्यक्ष	सीएमडी, बीईएल
ग) डॉ अजित टी कलघट्गी	निदेशक	निदेशक (अनु. व वि.), बीईएल
घ) श्रीमती आनंदी रामलिंगम (28.11.16 से)	निदेशक	निदेशक (विपणन), बीईएल
ङ) श्री पी आर आचार्या (19.8.16 तक)	निदेशक	निदेशक (वित्त), बीईएल
च) श्री एम एल षणमुख (31.10.16 तक)	निदेशक	निदेशक (मा.सं.), बीईएल

प्रधान कार्यपालक

1. श्री डी सी एन श्रीनिवास राव (1.12.2016 से) — मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2. श्री एस एस कुलकर्णी (30.11.2016 तक) — मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कंपनी सचिव

1. सुश्री प्रिया अय्यर — कंपनी सचिव एवं सीएफओ

बैंकर	लेखा परीक्षक
1. भारतीय स्टेट बैंक 2. एक्सिस बैंक लि.	मे. एम एस डी एन एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार पुणे

विषय सूची — **पृष्ठ सं.**

1. निदेशक मंडल, प्रधान कार्यपालक, बैंकर और लेखा परीक्षक — 01
2. विगत वित्तीय आंकड़े — 02
3. अध्यक्ष का पत्र — 03
4. मंडल का प्रतिवेदन — 05
   - क) प्रबंधन के विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट (संलग्नक 1) — 13
   - ख) कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट (संलग्नक 2) — 17
   - ग) सीएसआर कार्यकलापों पर रिपोर्ट (संलग्नक 3) — 24
   - घ) निर्वहनीयता रिपोर्ट (संलग्नक 4) — 25
   - ङ) वार्षिक विवरणी का सार - फार्म सं. एमजीटी-9 (संलग्नक 5) — 26
   - च) ऊर्जा संरक्षण आदि पर रिपोर्ट (संलग्नक 6) — 31
   - छ) सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट (संलग्नक 7) — 32
5. वित्तीय विवरण
   - क) भारतीय ए.एस. के वित्तीय विवरणों की सूची — 35
   - ख) तुलन-पत्र — 36
   - ग) लाभ व हानि का विवरण — 37
   - घ) नकदी प्राप्ति विवरण — 38
   - ङ) इक्विटी में परिवर्तन का विवरण — 39
   - च) भारतीय ए.एस. को पहली बार अपनाने पर टिप्पणी — 40
   - छ) महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ — 46
   - ज) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ (टिप्पणी 1 से टिप्पणी 38) — 55
6. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट — 86
7. सी एंड एजी की टिप्पणियाँ — 94

दस वर्षों के वित्तीय आंकड़े

(रु. मिलियन में)

विवरण	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
कुल आय	**451**	**322**	**610**	**534**	**702**	**1578**	**1843**	**1242**	**1087**	**1312**
कर पश्चात लाभ	**14**	**(36)**	**23**	**45**	**82**	**58**	**50**	**37**	**24**	**48**
इक्विटी पूँजी	**183**	**183**	**183**	**183**	**183**	**183**	**183**	**183**	**378**	**592**
प्रारक्षण एवं अधिशेष	**142**	**106**	**129**	**173**	**255**	**312**	**362**	**398**	**676**	**1014**
कार्यशील पूँजी	**222**	**205**	**245**	**299**	**881**	**272**	**(185)**	**(322)**	**(86)**	**62**
नियोजित पूँजी	**357**	**304**	**325**	**366**	**942**	**347**	**37**	**573**	**745**	**919**
निवल मूल्य	**325**	**289**	**312**	**356**	**438**	**495**	**545**	**581**	**1055**	**1597**

अध्यक्ष का पत्र

प्रिय शेयरधारक,

मुझे आपसे प्रत्यक्ष रूप से सम्प्रेषण करने और पिछले वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के कार्य-निष्पादन की प्रमुख बातें तथा कंपनी की भावी दृष्टि प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता होती है ।

वर्ष 2016-17 की झलकियाँ

वित्तीय कार्य-निष्पादन

आपकी कंपनी ने वर्ष 2016-17 के दौरान रु. 12387.73 लाख का विक्रयावर्त हासिल किया । वर्ष 2016-17 के दौरान वर्ष का लाभ 72.90% बढ़कर वर्ष 2015-16 के रु. 278.56 लाख की तुलना में 2016017 में रु. 481.62 लाख हुआ। अधिक लाभ का मुख्य कारण विदेशी मुद्रा विनिमय में लाभ तथा मूल्य वर्धन में बढ़ोत्तरी है। कंपनी का निवल मूल्य यथा 31.03.2017 को बढ़कर रु. 15970.67 लाख हो गया और 50.93% की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई जो मुख्य रूप से रु. 4919.90 लाख (प्रीमियम मूल्य सहित) के अतिरिक्त इक्विटी शेयरों को जारी करने के कारण है।

लाभांश

आपके निदेशकों ने वर्ष 2016-17 के लिए पहली बार 30% के लाभांश की सिफारिश की जो रु. 144 लाख परिकलित होता है।

अन्य उपलब्धियाँ –

एमओयू रेटिंग

आपकी कंपनी को लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के अनुमोदन से प्रत्येक वर्ष कार्य-निष्पादन परिमापियों और लक्ष्य तय करने के लिए अपनी धारक कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के साथ किए जाने वाले एमओयू के संबंध में, वर्ष 2015-16 के लिए "अति उत्तम" की रेटिंग प्रदान की गई है ।

क्रेडिट रेटिंग

वर्ष 2016-17 के दौरान, आईसीआरए ने वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी को निम्नलिखित रेटिंग प्रदान की है –

(i) रु. 4000 लाख की निधि आधारित बैंक सीमा के लिए [आईसीआरए]एए+ (जिसे आईसीआरए डबल ए कहा जाता है) की दीर्घकालीन रेटिंग ।

(ii) रु. 600 लाख की गैर-निधि आधारित बैंक सीमा के लिए [आईसीआरए]ए1+ (जिसे आईसीआरए ए वन प्लस कहा जाता है) की अल्पकालीन रेटिंग ।

[आईसीआरए]एए की दीर्घकालीन रेटिंग स्थिर दृष्टि के लिए है । ये रेटिंग दीर्घकाल और अल्पकाल में उच्च क्रेडिट गुणवत्ता को दर्शाते हैं ।

महाराष्ट्र ऊर्जा विकास निगम (एमईडीए) का पुरस्कार

बेलॉप ने महाराष्ट्र ऊर्जा विकास निगम (एमईडीए) द्वारा आयोजित ऊर्जा संरक्षण स्पर्धा में भाग लिया और वर्ष 2015-16 के लिए लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण एवं प्रबंधन का प्रथम पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार मंत्री (ऊर्जा, नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं राज्य उत्पाद शुल्क) एवं अध्यक्ष, एमईडीए के करकलमों द्वारा बेलॉप के सीईओ को प्रदान किया गया।

अनुसंधान एवं विकास

कंपनी का डी एंड ई विभाग उत्पादों, प्रक्रमों तथा विनिर्माण एवं जाँच उपकरणों के कोटि उन्नयन के लिए विकास कार्य शुरु करने और उन्हें कार्यान्वित करने का निरंतर प्रयास कर रहा है और इस तरह, कंपनी को बेहतर उत्पाद गुणता, अधिक उत्पादकता एवं प्रक्रमों में निरंतरता लाने के लिए विनिर्माण अवसंरचना एवं उत्पादों की कोटि उन्नत करने में सक्षम बना रहा है।

अनु. व वि. टीम भी बेलॉप में मापन सक्षमताओं को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल जाँच उपकरणों के विकास में अपने प्रयास कर रही है अपने पोर्टफोलियो में नए उत्पाद शामिल कर रही है.

भावी दृष्टि

एक्सआर-5 परियोजना का कार्यान्वयन अंतिम चरण में है।

बेलॉप कारोबारी अवसरों को बढ़ाने और अपने पोर्टफोलियो में विभिन्न प्रकार के उत्पाद शामिल करने के लिए संबंधित क्षेत्रों में विविधीकरण करना चाहती है।

वर्ष 2017-18 में कार्य-निष्पादन

यथा 30.06.2017 को आपकी कंपनी की आदेश बही की स्थिति रु. 28.62 करोड़ की है। बहरहाल, कंपनी अधिक आदेश प्राप्त करने और वर्ष के दौरान उन्हें कार्यान्वित करने की अपेक्षा करती है और वर्ष 2017-18 में लगभग रु. 115.50 करोड़ का विक्रय हासिल करने की उम्मीद है ।

अभिशासन एवं निर्वहनीयता

आपकी कंपनी कार्पोरेट अभिशासन में सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का पालन करने का हरसंभव प्रयास करती है । सीपीएसई के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्पोरेट अभिशासन के निर्देशों के अनुपालन पर एक रिपोर्ट निदेशकों के प्रतिवेदन का भाग बनती है ।

आभार

मैं समर्थन एवं मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु अपने निदेशक मंडल का आभारी हूँ। मैं अपने सभी स्तर के कर्मचारियों और अधिकारियों के समर्पण और प्रतिबद्धता की सराहना करता हूँ जो हमारी कंपनी की प्रमुख शक्ति बनी हुई है। हम अपनी इन शक्तियों को लगातार बढ़ाते रहेंगे और भावी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करेंगे और लाभप्रदता की स्थिति बनाए रखेंगे।

शुभकामनाओं सहित,

आपका,
-हस्त.-

(एम वी गौतमा)
अध्यक्ष

स्थान - बेंगलूर
दिनांक - 24 अगस्त, 2017

मंडल का प्रतिवेदन
सदस्यों के लिए,

मुझे निदेशक मंडल की ओर से आपके समक्ष कंपनी की 27वीं वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए खुशी हो रही है जिसमें सांविधिक लेखा परीक्षकों और इस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षित खातों के साथ-साथ इस अवधि के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय मैट्रिक्स में कंपनी के कार्य-निष्पादन को रेखांकित किया गया है।

1 वित्तीय झलकियाँ

कंपनी ने वर्ष के दौरान रु. 12387.73 लाख का विक्रयावर्त (सकल) हासिल किया और रु. 481.62 लाख का लाभ अर्जित किया और वर्ष की कुल व्यापक आय रु. 416.30 लाख रही।

कंपनी के वित्तीय परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है -

रु. लाख में

विवरण	2016-2017	2015-2016
कुल आय	13121.27	11149.15
मूल्यह्रास, वित्त लागत और कर से पहले लाभ	3594.08	3188.57
वित्त लागतें	740.50	695.61
मूल्यह्रास	1997.02	1969.19
कर पूर्व लाभ	856.56	523.77
कराधान के लिए प्रावधान	374.94	245.21
वर्ष का लाभ	481.62	278.56
कुल व्यापक आय	416.30	276.16

2 लाभांश

निदेशकों ने वर्ष 2016-17 के लिए पहली बार पीएटी के 30% के लाभांश की सिफारिश की जो रु. 1.44 करोड़ परिकलित होता है।

3 आदेश बही की स्थिति

कंपनी की आदेश की स्थिति यथा 1.4.2016 के रु. 2599.63 लाख की तुलना में यथा 1.4.2017 को रु. 51.76 लाख थी । वर्ष के दौरान कंपनी ने रु. 73 करोड़ के आदेश प्राप्त किए।

4 भावी दृष्टि

एक्सआर-5 परियोजना का कार्यान्वयन अंतिम चरण में है।

बेलॉप कारोबारी अवसरों को बढ़ाने और अपने पोर्टफोलियो में विभिन्न प्रकार के उत्पाद शामिल करने के लिए संबंधित क्षेत्रों में विविधीकरण करना चाहती है।

5 वित्त

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, आपकी कंपनी ने वृद्धिशील कार्यशील पूँजी तथा अवसंरचना के कोटि उन्नयन तथा पूँजीगत उपस्करों पर अतिरिक्त निवेश की ओर निधि संबंधी आवश्यकताएँ मुख्य रूप से आंतरिक संसाधनों से और शेष अपने संघीय बैंकों से कार्यशील पूँजी का उधार लेते हुए पूरी की । नकदी प्राप्तियों की गहन निगरानी तथा प्रभावी नकद प्रबंधन के माध्यम से उधार को कम किया गया । बीईएल भी इक्विटी लाते हुए और ऋण द्वारा एक्सआर-5 परियोजना की लागत का वित्त-पोषण करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

6 क्रेडिट रेटिंग

वर्ष 2016-17 के दौरान, आईसीआरए ने वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी को निम्नलिखित रेटिंग प्रदान की है –

(i) रु. 4000 लाख की निधि आधारित बैंक सीमा के लिए [आईसीआरए]एए+ (जिसे आईसीआरए डबल ए कहा जाता है) की दीर्घकालीन रेटिंग ।

(ii) रु. 600 लाख की गैर-निधि आधारित बैंक सीमा के लिए [आईसीआरए]ए1+ (जिसे आईसीआरए ए वन प्लस कहा जाता है) की अल्पकालीन रेटिंग ।

[आईसीआरए]एए की दीर्घकालीन रेटिंग स्थिर दृष्टि के लिए है । ये रेटिंग दीर्घकाल और अल्पकाल में उच्च क्रेडिट गुणवत्ता को दर्शाते हैं । दोनों ही रेटिंग 6 नवंबर 2017 तक वैध हैं । इन रेटिंग से कंपनी को संघीय बैंकों से प्राप्त की जा रही विभिन्न कार्यशील पूँजी सुविधाओं को बेहतर शर्तों में प्राप्त करने में मदद मिलेगी ।

7 अनुसंधान एवं विकास (अनु. व वि.)

कंपनी का डी एंड ई विभाग उत्पाद, प्रक्रिया तथा निर्माणी एवं जाँच उपस्करों के कोटि उन्नयन की ओर अनेक विकास कार्य की पहल कर रहा है ।

वर्ष के दौरान, अनु. व वि. टीम ने नीचे रेखांकित विशिष्ट क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यकलाप भी किए –

- लब्धि जाँच के साथ आई.आई. ट्यूब मॉड्यूल की प्रतिबिंब गुणता जाँच का स्वचालन एवं एकीकरण। इसके कोटि उन्नयन से मॉड्यूलों की अधिक संरक्षा संभव हुई जिन्हें प्रतिबिंब गुणता जाँच के दौरान अतिवोल्टता के कारण क्षति का सामना करना पड़ता था। इस उपकरण में अन्य मॉड्यूलों की परिमापियों का मापन भी स्वचालित किया जाता है जैसे एमसीपी रेसिस्टेंस और एनोड स्क्रीन दक्षता। प्रक्रम डेटा को लॉग्गिंग एवं विश्लेषण के लिए क्यूए विभाग के डेटाबेस सर्वर को अंतरित किया जा सकता है।
- छोटे आकार के घटकों के साथ पावर सप्लाई यूनिट, टाइप पीएस-521 का पुन: अभिकल्प तैयार किया गया ताकि अधिक निर्माणी लब्धि और विश्वसनीयता प्राप्त की जा सके।

उपर्युक्त अनु. व वि. प्रयासों के कारण कंपनी ने विनिर्माणी अवसंरचना और उत्पादों को अद्यतन बनाया है ताकि उसे बेहतर उत्पाद गुणता और अधिक उत्पादकता और प्रक्रियाओं में निरंतरता प्राप्त हो सके।

अनु. व वि. टीम ने भविष्य में निम्नलिखित कार्यों की योजना बनाई है –

- संकेत से रव अनुपात वाला आई.आई. ट्यूब के मापन के उपकरण का विकास। इस उपकरण से बेलॉप की मापन क्षमता बढ़ेगी और इससे इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल जाँच उपकरण के क्षेत्र में कंपनी को अतिरिक्त उत्पाद भी प्राप्त होगा।
- पावर सप्लाई यूनिट (पीएसयू) में डिज़ाइन संबंधी सुधार जिससे पीएसयू विनिर्माण लब्धि बढ़ेगी।
- विद्यमान दूसरी पीढ़ी के पीएनवीडी के अपग्रेड का विकास ताकि उन्हें एवीजी ग्लास इनपुट विन्डो यानी टाइप एक्सडी-4 के साथ आई.आई. ट्यूब के संगत बनाया जा सके।

8 ग्राहक तुष्टिकरण

ग्राहक ध्यान-केंद्रण पहल के अपने भाग के रूप में, भारतीय थलसेना के अनुरक्षण तकनीशियनों के लिए आई.आई. ट्यूबों पर कार्यशालाएँ चलाई गई ताकि आई.आई. ट्यूबों पर काम करने संबंधी जागरूकता बढ़ाई जा सके।

9 सरकार के साथ एमओयू

बेलॉप अपनी धारक कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर करती है और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के अनुमोदन से प्रत्येक वर्ष की कार्य-निष्पादन परिमापियाँ और लक्ष्य तय किए जाते हैं। आपके निदेशकों को यह सूचित करने हुए प्रसन्नता होती है कि वर्ष (2015-16) के लिए एमओयू के संबंध में कंपनी को 'अति-उत्तम' रेटिंग प्रदान की गई है । वर्ष 2016-17 की एमओयू रेटिंग की समीक्षा सरकार द्वारा की जा रही है ।

10 महाराष्ट्र ऊर्जा विकास निगम (एमईडीए) का पुरस्कार

बेलॉप ने महाराष्ट्र ऊर्जा विकास निगम (एमईडीए) द्वारा आयोजित ऊर्जा संरक्षण स्पर्धा में भाग लिया और वर्ष 2015-16 के लिए लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण एवं प्रबंधन का प्रथम पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार मंत्री (ऊर्जा, नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं राज्य उत्पाद शुल्क) एवं अध्यक्ष, एमईडीए के करकलमों द्वारा बेलॉप के सीईओ को प्रदान किया गया।

11 मानव संसाधन

31 मार्च 2016 को 129 कार्मिकों के मुकाबले यथा 31 मार्च 2017 को आपकी कंपनी में 127 कार्मिक नियोजित हैं। इनमें से 32 कार्यपालक और 6 महिला कर्मचारी हैं। वर्ष के दौरान किसी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई और दो कर्मचारियों ने सेवात्याग किया।

12 औद्योगिक संबंध

वर्ष 2016-17 के दौरान दिनांक 1.4.2012 से 31.3.2017 तक की अवधि के लिए कार्यपालकों और गैर-कार्यपालकों का वेतन पुनरीक्षण कार्यान्वित किया गया। दिनांक 1.4.2017 के बाद की अवधि के लिए कार्यपालकों और गैर-कार्यपालकों का वेतन पुनरीक्षण दिनांक 1.4.2017 से प्रभावी होते हुए नियत है। वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्द्रपूर्ण रहे।

13 पर्यावरण प्रबंधन

पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के भाग के रूप में, आपकी कंपनी जो आईएसओ 14001:2004 के लिए प्रमाणित है, अपने परिसरों के आसपास स्वच्छ परिवेश और हरा-भरा पर्यावरण बनाए रखती है। कंपनी सख्त प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट जल उपचार, शून्य निस्सारी उत्सर्जन, ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, हानिकारक तथा अपशिष्ट के अन्य रूपों के प्रणालीबद्ध प्रबंधन तथा निपटान के उपाय भी करती है।
मंडल के प्रतिवेदन के ***संलग्नक-4*** में निर्वहनीयता रिपोर्ट में पर्यावरण प्रबंधन के बारे में विस्तार से बताया गया है।

14 संरक्षा

कंपनी में अपने कार्मिकों तथा संयंत्र और मशीनरी की संरक्षा के लिए एक संरचित व्यवस्था है। संरक्षा समिति नियमित आधार पर संरक्षा संबंधी आवश्यकताओं और संरक्षा कार्य-निष्पादन की समीक्षा करती है।
वर्ष के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित संरक्षा उपाय किए –

- कोटिंग यूनिटों की संरक्षा में सुधार के लिए उच्च वोल्टता पावर सप्लाई यूनिट और सहायक उपकरणों की खरीद – बेलॉप ने संयंत्र में उपयोग किए जा रहे बॉक्स कोटर की संरक्षा बढ़ाने के लिए रु. 18.00 लाख की लागत पर उच्च वोल्टता पावर सप्लाई यूनिट और सहायक उपकरणों का आदेश दिया और मदें प्राप्त की।
- बेलॉप आवधिक रूप से सभी संरक्षा उपकरणों की जाँच कर रही है, कर्मचारियों को पीपीई जारी किए जा रहे हैं और उनकी स्वास्थ्य जाँच भी कराई गई।

15 गुणवत्ता

बेलॉप की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) आईएसओ 9001:2008 से प्रमाणित है। कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रक्रम नियंत्रण गुणवत्ता वर्धन के लिए 8डी और एसपीसी साधनों का इस्तेमाल करना जारी रखा है।

16 सतर्कता

मुख्य सतर्कता अधिकारी, बीईएल द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए बेलॉप के एक सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति की गई। सतर्कता विभाग नियमित आधार पर खरीद, ठेकों और प्रक्रियाओं का परीक्षण करता है, नियमित और आकस्मिक निरीक्षण करता है और उसे संदर्भित किसी संदिग्ध लेनदेन की जाँच-पड़ताल करता है। कोई भी कर्मचारी या तृतीय पक्षकार किसी संदिग्ध लेन-देन के बारे में जाँच-पड़ताल कराने हेतु सतर्कता अधिकारी को सूचित कर सकते हैं।

वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग का कार्य-निष्पादन संतोषजनक रहा। कंपनी के सभी कार्यपालकों ने अपनी वार्षिक संपत्ति विवरणी दाखिल की। वर्ष के दौरान 82 क्रय आदेश / ठेके तथा 15 उच्च मूल्य के आदेशों / ठेकों की समीक्षा / छानबीन की गई और उन्हें व्यवस्थित पाया गया। 90 नियमित और 39 आकस्मिक निरीक्षण किए गए। जाँच-पड़ताल के तहत कोई मामला लंबित नहीं है।

17 निष्ठा संधि

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने प्रापण संबंधी कार्यकलापों में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए सभी सरकारी संगठनों में बड़े मूल्य के ठेकों में निष्ठा संधि प्रारंभ करने की पहल की है। रक्षा मंत्रालय और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2016-17 के दौरान बेलॉप ने रु. 400 लाख और इससे अधिक मूल्य के सभी आदेशों / ठेकों के लिए सभी विक्रेताओं / पूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / सेवा प्रदाताओं के साथ एक निष्ठा संधि की है।

18 आरटीआई अधिनियम का कार्यान्वयन (आरटीआईए)

कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यथा निर्दिष्ट, कुछेक कार्यपालकों को जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी मनोनीत किया है। वर्ष 2016-17 के दौरान, कंपनी को आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

19 निदेशालय

डॉ. अजीत टी कलघट्गी को निदेशक नियुक्त किया गया जो 16 सितंबर, 2016 को आयोजित कंपनी की 26वीं वार्षिक सामान्य बैठक में चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 तथा कंपनी के अंतर्नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार, डॉ. अजीत टी कलघट्गी चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र बनने के कारण पुन:नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं।

मंडल श्री सुनील कुमार शर्मा, सीएमडी, बीईएल तथा अध्यक्ष, बेलॉप तथा श्री एम एल षणमुख, निदेशक (मा.सं.)/बीईएल तथा निदेशक, बेलॉप, श्री प्रभात आर आचार्या, निदेशक (वित्त)/बीईएल तथा निदेशक,बेलॉप द्वारा दिए गए बहुमूल्य समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए अपना आभार व्यक्त करता है जो वर्ष के दौरान बेलॉप के मंडल में निदेशक थे।

बीईएल ने श्रीमती आनंदी रामलिंगम को बेलॉप निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक के 'तौर पे 28.11.2016 से नियुक्त किया।

20 मंडल की बैठकें / निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन

वर्ष के दौरान मंडल की 6 बैठकें आयोजित हुईं जिनके विवरण कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट का भाग बनते हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशालय तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के संबंध में हुए परिवर्तनों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं -

क्र. सं.	निदेशक / केएमपी का नाम	पदनाम	नियुक्ति / कार्यमुक्ति की तारीख	अभ्युक्तियाँ
1	श्री एम वी गौतमा	अध्यक्ष	8.11.2016	बेलॉप के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त, तदुपरांत बीईएल के मंडल के सीएमडी के रूप में नियुक्त
2	श्री सुनील कुमार शर्मा	अध्यक्ष	1.10.2016	बीईएल के मंडल के सीएमडी के रूप में अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त तथा बेलॉप के अध्यक्ष का नामांकन वापस
3	श्री एम एल षणमुख	निदेशक	1.11.2016	बीईएल के मंडल के निदेशक (मा.सं.) के रूप में अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त तथा बेलॉप के निदेशक का नामांकन वापस
4	श्री प्रभात आर आचार्या	निदेशक	19.8.2016	बीईएल के निदेशक (वित्त) के रूप में त्यागपत्र दिया तथा बेलॉप के निदेशक का नामांकन वापस
5	श्रीमती आनंदी रामलिंगम	निदेशक	28.11.2016	निदेशक (विपणन), बीईएल के रूप में नियुक्ति होने के परिणामस्वरूप बीईएल के नामांकन के अनुसार अपर निदेशक के रूप में नियुक्त
6	श्री डी सी एन श्रीनिवास राव	सीईओ	1.12.2016	सीईओ, बेलॉप के रूप में नियुक्त
7	श्री एस एस कुलकर्णी	सीईओ	1.12.2016	सीईओ, बेलॉप के रूप में अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त

21 निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

जहाँ तक आपके निदेशकों की जानकारी और विश्वास है और उनके द्वारा प्राप्त की गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ग) के परिप्रेक्ष्य में आपके निदेशक निम्नलिखित वक्तव्य देते हैं -

क) कि वार्षिक लेखों को तैयार करने में, महत्वपूर्ण प्रकटणों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण देने के साथ-साथ, लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है ;

ख) कि निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों को अपनाया और उन्हें स्थिरतापूर्वक लागू किया है और ऐसे निर्णय लिए हैं और प्राक्कलन किए हैं जो उचित और दूरदर्शी हैं और वित्तीय वर्ष के अंत पर कंपनी के कार्यकलापों तथा उसी अवधि के लिए कंपनी के लाभ पर उचित और न्यायसंगत दृष्टि प्रदान करते हैं ;

ग) कि निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का निवारण करने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित लेखा अभिलेख रखने के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान दिया है ;

घ) कि निदेशकों ने सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं ;

ङ) कि उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और ऐसे वित्तीय नियंत्रण समुचित थे और प्रभावी ढंग से प्रचालित थे;

च) कि सभी लागू नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रणालियाँ व्यवस्थित हैं, समुचित हैं और प्रभावी ढंग से प्रचालित हैं।

22 उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण आदेश

विनियामकों, न्यायालयों या ट्रिब्यूनलों द्वारा ऐसा कोई उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है जो लाभप्रद और सक्रिय कारोबार की स्थिति और भविष्य में कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित करेगा ।

23 वित्तीय विवरणों की तारीख के बाद की घटनाएँ

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ जो 31 मार्च, 2017 और इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख के बीच हुए हैं, कुछ नहीं हैं ।

24 सांविधिक लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के प्रावधानों के तारतम्य में, वर्ष 2016-17 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में मेसर्स एम एस डी एन एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार पुणे को नियुक्त किया है । वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा बीईएल की आंतरिक लेखा परीक्षा टीम द्वारा की गई ।

25 सचिवीय लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 तथा कंपनी (प्रबंध कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के तारतम्य में, कंपनी ने वर्ष 2016-17 के लिए एक प्रैक्टिस करने वाले कंपनी सचिव श्री अभिजीत दाखवे को सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया है। श्री अभिजीत दखावे द्वारा प्रस्तुत सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट **संलग्नक-7** में दी गई है।

अपनी रिपोर्ट में सचिवीय लेखा परीक्षक ने निम्नलिखित पाया -

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल का संघटन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति तथा लेखा परीक्षा समिति, नामांकन व पारिश्रमिक समिति तथा सीएसआर समिति के संबंध में अधिनियम की धारा 149 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। इसका अलावा, वर्ष के एक भाग (1.10.2016 से 28.11.2016 तक) कंपनी में अधिनियम की धारा 149(1)(क) के तहत यथा अपेक्षित न्यूनतम संख्या में निदेशक नहीं थे।

मंडल का स्पष्टीकरण –

वर्ष 2016-17 के दौरान, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा कंपनी के वर्गीकरण के लिए सरकार को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया जो यथा 31.3.2017 को सरकार द्वारा विचाराधीन है। बेलॉप स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का मामला नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी यानी भारत सरकार के समक्ष रखेगी। साथ ही, बीईएल के नामित निदेशकों की अधिवर्षिता पर सेवानिवत्त होने / त्यागपत्र देने के कारण, मंडल और मंडल की समितियों तथा सीएसआर समिति का संघटन वर्ष के कुछ हिस्से के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं था जिस पर भविष्य में ध्यान दिया जाएगा।

26 लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

वर्ष 2016-17 के वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत वर्ष 2016-17 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 'कुछ नहीं' टिप्पणी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई है ।

27 लेखा परीक्षा समिति का संघटन

लेखा परीक्षा समिति के सदस्य इस प्रकार हैं –

1) डॉ. अजीत टी. कलघट्गी (28.11.2016 तक)	अध्यक्ष***
2) श्री एम एल षणमुख (31.10.2016 तक)	अध्यक्ष
3) श्री प्रभात आर आचार्या (19.8.2016 तक)	सदस्य
4) श्रीमती आनंदी रामलिंगम (28.11.2016 से)	सदस्य

*** अध्यक्ष 28.11.2016 से प्रभावी

28 संबंधित पक्षकार के लेनदेन

कंपनी के प्रवर्तकों, निदेशकों, प्रबंधन या उनके संबंधियों के साथ ऐसा कोई उल्लेखनीय रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार के लेनदेन नहीं किया गया जिससे कंपनी के हित का संभावित संघर्ष हो । संबंधित पक्षकार के लेन-देन जो वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए, स्वतंत्र व निष्पक्ष लेनदेन आधार पर किए गए और कारोबार के सामान्य क्रम में किए गए । संबंधित पक्षकार के सभी लेनदेन लेखा परीक्षा समिति और साथ ही मंडल के समक्ष अनुमोदन, यदि आवश्यक हो, हेतु रखे गए हैं ।

29 ऋण / गारंटियाँ / निवेश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत ऋण, गारंटियों, निवेशों के विवरण 'कुछ नहीं' हैं ।

30 वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(क) के अनुसार, फार्म एमजीटी 9 में वार्षिक विवरणी एतद्वारा संलग्नक 5 में दी गई है।

31 पारिश्रमिक नीति

मंडल ने नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफ़ारिश पर, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति का मसौदा तैयार किया है । इसके विवरण कार्पोरेट अभिशासन की रिपोर्ट में संलग्नक 2 में दिए गए हैं ।

32 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं । आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक विस्तृत टिप्पणी प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट में दी गई है।

33 प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर जारी सरकारी दिशा-निर्देशों (डीपीई) के अनुसार प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ **संलग्नक 1** में दी गई है।

34 कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के साथ **संलग्नक 2** में दी गई है ।

35 जोखिम प्रबंधन

जोखिमों से निपटने के लिए किए गए उपाय कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में निर्धारित किए गए हैं।

36 कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, यह सिफारिश की गई है कि कंपनी सीएसआर कार्यकलाप करे और सीएसआर कार्यों पर तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करे ।

ऊपर संदर्भित प्रावधानों के तारतम्य में, कंपनी ने मंडल की एक सीएसआर समिति गठित की है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं -

1)	डॉ. अजीत टी. कलघट्गी (28.11.2016 से)	अध्यक्ष***
2)	श्री एम एल षणमुख (31.10.2016 तक)	अध्यक्ष
3)	श्री प्रभात आर आचार्या (19.8.2016 तक)	सदस्य
4)	श्रीमती आनंदी रामलिंगम (28.11.2016 से)	सदस्य

***28.11.2016 से अध्यक्ष

सीएसआर समिति ने वर्ष 2016-17 के लिए "कौशल विकास" के तहत सीएसआर संबंधी कार्यकलाप करने का निर्णय लिया था। बहरहाल, कंपनी में समयाभाव होने के कारण, यह प्रस्तावित है कि उक्त कार्यकलाप 2017-18 के दौरान किए जाएँ। वर्ष 2016-17 के लिए लेखा बहियों में रु. 11.76 लाख के सीएसआर खर्च का प्रावधान किया गया है।

कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 के नियम 8 के तारतम्य में, वित्तीय वर्ष 2016-17 के सीएसआर कार्यकलापों पर एक रिपोर्ट **संलग्नक-3** में दी गई ह।

37 निर्वहनीयता रिपोर्ट

लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी "निर्वहनीय विकास" पर जारी दिशा-निर्देशों के तहत यथा अपेक्षित, "निर्वहनीय विकास" पर कंपनी के प्रयासों पर एक अलग अध्याय इस रिपोर्ट, **संलग्नक 4** में दी गई है ।

38 कर्मचारियों के विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी में ऐसे कोई कर्मचारी नहीं थे जो वित्तीय वर्ष पर्यंत नियोजित थे और जिनका कुल पारिश्रमिक रु. 60 लाख प्रति वर्ष से अधिक था या जो वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए नियोजित थे और जिनका कुल पारिश्रमिक रु. 5 लाख प्रति माह से अधिक था ।

39 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशेध और रोकथाम) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटण

कंपनी एक समान अवसर प्रदान करने वाली नियोक्ता है और लगातार ऐसी संस्कृति निर्मित करने का प्रयास करती है जहाँ सभी कर्मचारियों को समान सम्मान दिया जाए। कंपनी ने यौन उत्पीड़न संबंधित शिकायतों को सुलझाने के लिए एक आंतरिक शिकायत निवारण समिति गठित की है। वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न के किसी मामले की शिकायत दर्ज नहीं की गई।

40 अन्य प्रकटण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम), जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार प्रकट की जाने वाली सूचना, जो ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय से संबंधित है, संलग्नक 6 में दी गई है ।

41 भारत सरकार से छूट

कंपनी ने भारत सरकार की अधिसूचना सं. एफ. नं. 1/19/2013-CL-V-Part दिनांक 4 सितंबर, 2015 द्वारा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के पैरा 5(ii)(a)(1), 5(ii)(a)(2), 5(ii)(e), 5(iii), 5(viii)(a), 5(viii)(b), 5(viii)(c), 5(viii)(e) के अनुपालन से कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से छूट प्राप्त की है।

42 आभार

आपके निदेशक सभी ग्राहकों, विशेषकर रक्षा सेवाएँ और परा सैन्य बलों और साथ ही, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग से प्राप्त बहुमूल्य समर्थन की सराहना करते हैं और भविष्य में उनके सतत् समर्थन एवं सहयोग की अपेक्षा करते हैं । आपके निदेशक बेलॉप में टीओटी के कार्यान्वयन के लिए मे. फोटोनिस द्वारा प्रदान किए गए सहयोग की भी सराहना करते हैं और भविष्य में सार्थक सहयोग जारी रहने की आशा करते हैं । आपके निदेशक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, लेखा परीक्षा मंडल के अध्यक्ष, सदस्यों तथा कर्मचारियों, सांविधिक लेखा परीक्षक, कंपनी के बैंकर और विक्रेताओं के प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आपके निदेशक सभी स्तरों पर सभी कर्मचारियों द्वारा किए गए सच्चे प्रयासों की सराहना करते हैं जिसके कारण आपकी कंपनी वर्ष के दौरान अच्छा कार्य-निष्पादन हासिल करने में सक्षम बनी । आपके निदेशक धारक कंपनी, मे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से प्राप्त समर्थन के लिए अपनी सराहना और आभार व्यक्त करते हैं और आने वाले वर्षों में कंपनी की प्रगति बनाए रखने में उसके निरंतर समर्थन और सहभागिता की अपेक्षा रखते हैं ।

मंडल के लिए तथा उसकी ओर से ⟶
-हस्त-
एम वी गौतमा
अध्यक्ष

स्थान - बेंगलूर
दिनांक - 7 अगस्त, 2017

मंडल के प्रतिवेदन का संलग्नक 1

प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

क) उद्योग की संरचना और विकास, शक्तियाँ, कमज़ोरियाँ, सुअवसर एवं जोखिम तथा निर्वहनीय कार्य-निष्पादन तथा विकास सुनिश्चित करने के लिए किए गए और योजित प्रमुख पहल

(क) अर्थव्यवस्था, उद्योग की सामान्य जानकारी जिसमें कंपनी कार्य करती है, बाजार की दशाएँ तथा ये कंपनी पर कैसे प्रभाव डालती हैं, कंपनी के हित की रक्षा करने के लिए उठाए गए कदम/ कार्य योजना;

भारतीय अर्थव्यवस्था मज़बूत, स्थिर और सकारात्मक प्रगति के पथ पर बनी हुई है। प्रमुख आर्थिक नीतियाँ जैसे संवैधानिक संशोधन द्वारा माल व सेवा कर (जीएसटी), बड़ी मुद्रा की नोटबंदी पिछले वित्तीय वर्ष में बनाई गईं। अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिख रहे हैं और भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में बताए गए अनुसार लगभग 7% की विकास दर अपेक्षित है। रक्षा पूँजी व्यय 2016-17 के रु. 86,340 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में रु. 86,529 करोड़ हो गया है जो पिछले वर्ष पर लगभग 0.22% की बढ़ोत्तरी है। रक्षा मंत्रालय की बड़े पैमाने की प्रापण योजनाओं के कारण, पूँजीगत व्यय में उल्लेखनीय रूप से उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। पूंजीगत बजट की कमी से रक्षा बलों की चालू परियोजनाओं में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन नए प्रापण में कुछ विलंब हो सकता है।

भारत का गृहभूमि सुरक्षा बाज़ार पूरे केंद्रीय, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्रों में फैला हुआ है जिसके प्रमुख खंड महत्वपूर्ण अवसंरचनों की सुरक्षा, अर्धसैनिक बल, पुलिस तथा शहरी क्षेत्र की सुरक्षा, भू परिवहन, पत्तन एवं समुद्री सुरक्षा आदि हैं और बेलॉप भविष्य में इस खंड में प्रवेश करना चाहती है।

ख) एस डबल्यू ओ टी विश्लेषण

❖ शक्तियाँ –

- उच्च कार्य-निष्पादन वाले आई.आई. ट्यूबों का स्वदेशी निर्माण करने के लिए अत्युन्नत प्रौद्योगिकी, अवसंरचना और प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता ।
- दो दशकों से अधिक का अनुभव जिससे इमेज इन्टेन्सीफायर ट्यूबों के क्षेत्र में उत्कृष्ट ज्ञान और मुख्य सक्षमताएँ प्राप्त हुईं।
- आई.आई. ट्यूबों के निर्वहनीय निर्माण के लिए कच्चे माल और घटकों की आपूर्ति के लिए संस्थापित विक्रेता आधार ।
- ग्राहकों को बेहतर उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रक्रियाओं, निर्माण और परीक्षण अवसंरचना के निरंतर कोटि उन्नयन के लिए मज़बूत डी एंड ई और परियोजना टीम ।
- ग्राहकों को दीर्घकालीन प्रतिबद्धता के कारण मज़बूत ग्राहक समर्थन।
- कार्य की अच्छी पद्धतियाँ।
- आईएसओ 9001:2008 से प्रमाणित गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) तथा आईएसओ 14001:2004 से प्रमाणित पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस)

♣ कमज़ोरियाँ –

- एकल उत्पाद तथा अनन्य रूप से एक ही ग्राहक यानी भारतीय र.मं. पर निर्भरता ।
- प्रमुख कच्चा माल और घटक (आर एम तथा सी) देश में उपलब्ध नहीं । आरएम तथा सी के लिए आयात प्रतिस्थापन की आपूर्ति करने के लिए स्वदेशी स्रोत विकसित करने हेतु अधिक तकनीकी प्रयासों की ज़रूरत।

♣ सुअवसर –

- बढ़ती रक्षा और सुरक्षा ज़रूरतें
- बढ़ती रक्षा और आंतरिक सुरक्षा ज़रूरतों पर विचार करते हुए न्यूनतम 8-10 वर्षों के लिए उच्च कार्य-निष्पादन आई.आई. ट्यूबों का संभावित बाज़ार ।
- रक्षा उपस्करों के मेक इन इंडिया निर्माण पर सरकार द्वारा ज़ोर दिया जाना ।
- केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के आधुनिकीकरण पर अधिक ज़ोर।

♣ जोखिम –

- निजी कंपनियों से बढ़ती स्पर्धा ।
- रात्रि दर्शी प्रौद्योगिकी में तेजी से आ रहे परिवर्तन
- निजी क्षेत्रों के पक्ष में नीतिगत हस्तक्षेप

ग) <u>निर्वहनीय कार्य-निष्पादन एवं प्रगति सुनिश्चित करने के लिए की गई और योजित प्रमुख पहल –</u>

क) <u>प्रौद्योगिकी का कोटि उन्नयन एवं अनु. व वि.</u>

बेलॉप ने अपने ग्राहकों के लिए गहन विनिर्माण के माध्यम से एक्सडी-4 आई.आई. ट्यूबों की आपूर्ति दिसंबर 2014 से शुरु की है । कंपनी संस्थागत अनु. व वि. के माध्यम से नए उत्पाद विकसित करने के प्रयास भी कर रही है । भारतीय थलसेना द्वारा अधिक वर्धित निष्पादन वाले ट्यूबों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, कंपनी ने मई 2014 के दौरान एक्सआर-5 आई.आई. ट्यूबों का निर्माण करने के लिए मे. फोटोनिस फ्रांस एसएएस, फ्रांस तथा उसकी संबद्ध कंपनी मे. इमेजिंग सेन्सर्स इंटरनेशनल, फ्रांस के साथ एक टीओटी करार किया है । एक्सआर-5 परियोजना कार्यान्वयन के तहत है।

घ) <u>जोखिम प्रबंधन, लागत कटौती तथा स्वदेशीकरण पर किए गए विशिष्ट उपाय</u>

क) जोखिम प्रबंधन

कंपनी में एक संस्थापित जोखिम प्रबंधन नीति है जिसमें प्रौद्योगिकी, उत्पाद, विपणन, मानव संसाधन, वित्त तथा अन्य प्रचालनों जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न जोखिमों के अभिचिह्नन, मूल्यांकन, प्राथमिकीकरण और उपचार का ढांचा तैयार किया गया है । कंपनी में जोखिमों के सतत् अभिचिह्नन, कोटि उन्नयन, मूल्यांकन, प्राथमिकीकरण और प्रबंधन के लिए एक 'व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचा' मौजूद है । इस ढांचे के अंतर्गत शीर्षस्थ स्तर पर एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) गठित जिसका नेतृत्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी (बेलॉप) करते हैं और विनिर्माण, विपणन, डिज़ाइन एवं इंजीनियरी, वित्त और मा.सं. जैसे महत्वपूर्ण कार्यशील क्षेत्रों के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होते हैं । जोखिम चैम्पियन (आरसी) उप महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी होते हैं । आरएमसी तिमाही आधार पर समग्र रूप से कंपनी में जोखिम प्रबंधन प्रयासों की समीक्षा करती है । आरएमसी प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति को तिमाही रिपोर्ट पेश करती है। कंपनी जोखिम प्रबंधन की स्थिति के बारे में मंडल को वार्षिक रूप से सूचित करती है ।

कुछेक जोखिम जिन्हें पहचाना गया है, को उचित जोखिम प्रशमन प्रक्रियाएँ शुरु करते हुए निपटा जा रहा है । इसी तरह, किसी प्रमुख प्रबंधकीय निर्णय के मामले में, जोखिम के कारकों को उचित निर्णय लेने के लिए निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को उजागर किया जाता है ।

ख) <u>लागत कटौती और स्वदेशीकरण</u>

कंपनी के लागत कटौती के कार्यकलापों में निर्माणी और निर्माणेत्तर दोनों क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है और उनमें उत्पादन, प्रशासन, वित्त, सेवाएँ आदि जैसे कारोबार के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है । कंपनी ने निर्माणी और उप-ठेका के क्षेत्रों में विभिन्न कार्यकलाप किए हैं जिससे गुणवत्ता और उत्पादकता में बढ़ोत्तरी हुई है और इसके फलस्वरूप लागत में कटौती हुई है ।

ख) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता

कंपनी में आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था है जो उसके आकार तथा प्रचालनों की प्रकृति के अनुरूप है । इनका अभिकल्प इस प्रकार तैयार किया गया है कि विश्वसनीय वित्तीय एवं प्रचालनात्मक सूचना दर्ज और प्रदान करने, लागू संविधियों का अनुपालन करने, अप्राधिकृत इस्तेमाल या हानियों से परिसंपत्तियों की रक्षा करने, उचित प्राधिकरण के साथ लेन-देन करने तथा समय-समय पर जारी कंपनी की नीतियों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने की दृष्टि से उपाय किए जा सकें ।

वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा बीईएल की आंतरिक लेखा परीक्षा की टीम द्वारा की गई ।

आपकी कंपनी में एक लेखा परीक्षा समिति है जो आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की समीक्षा करती है और उल्लेखनीय लेखा परीक्षा के प्रेक्षण पेश करती है । लेखा परीक्षा समिति कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ बैठक करती है ताकि कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, लेखा नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन, पर्याप्तता और कंपनी द्वारा अनुसरित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता सहित, वित्तीय विवरणों पर उनके विचार जानने के साथ-साथ, उन्हें अभिनिश्चित किया जा सके। आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की पर्याप्तता की समीक्षा और उसकी रिपोर्ट सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा उनके वार्षिक प्रतिवेदन में की जाती है । एक सरकारी कंपनी होने के नाते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा बेलॉप की सरकारी लेखा परीक्षा भी की जाती है ।

ग) वित्तीय / प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन

1. <u>रणनीति एवं उद्देश्य</u>

कंपनी की वित्तीय रणनीति के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं -

(i) कम से कम उधार लेने और फलस्वरूप कम से कम ब्याज लागत के लिए प्रभावी नकदी प्राप्ति प्रबंधन द्वारा निधियाँ उपलब्ध कराना ।
(ii) आवश्यकता पड़ने पर किफायती दरों में निधि जुटाने में सक्षम बनने के लिए अल्प काल में सर्वोच्च क्रेडिट रेटिंग बनाए रखना।
(iii) कर योजना प्रभावी ढंग से करना ताकि कर के बाद की प्राप्ति में सुधार हो ।
(iv) विभिन्न पणधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करना ।
(v) आज्ञापक लेखा मानकों का अनुसरण करते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग के उच्चतम मानकों को बनाए रखना ।

प्रत्येक सूचीबद्ध उद्देश्य को बेलॉप द्वारा लगातार सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है । वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने बाहरी उधार का आश्रय लिए बिना, आंतरिक संसाधनों से कार्यशील पूँजी का ज़रूरतों का वित्त-पोषण करने तथा पूँजीगत व्यय का वित्त-पोषण करने का प्रयास किया । वर्ष के दौरान कंपनी ने धारक कंपनी से प्राप्त कार्यशील पूँजी ऋण के एक हिस्से का चुकतान भी किया ।

2. <u>कार्य-निष्पादन की झलकियाँ</u>

(राशि लाख रु. में)

विवरण	2016-2017	2015-2016
सकल विक्रय	12387.73	10927.95
वित्तीय लागतों से पहले कुल व्यय	12921.87	11460.34
वित्त लागतों और कर से पहले लाभ	1597.06	1219.38
प्रचालनीय मार्जिन (पीबीआईटी/सकल विक्रय) अनुपात %	12.89	11.15
कर पश्चात् लाभ	481.62	278.56
वस्तुसूची के दिनों की सं. / उत्पादन का मूल्य (डीपीई विधि)	85	88
व्यापार से प्राप्त दिनों की सं. / आवर्त	179	59
चालू अनुपात	1.06	0.92
ऋण इक्विटी अनुपात	14.02	कुछ नहीं

3.2016-17 के वित्तीय कार्य-निष्पादन का विश्लेषण

- विक्रयावर्त जो 2015-16 में रु. 10927.95लाख था, 13.35%बढ़कर 2016-17 में रु. 12387.73 लाख हुआ।
- उत्पादन का मूल्य जो 2015-16 में रु. 10792.10 लाख था, घटकर 2016-17 में रु. 12737.49 लाख हुआ।
- पी.ए.टी. जो 2015-16 में रु. 278.56 लाख से 72.90% बढ़कर 2016-17 में रु. 481.62 लाख हुआ।
- 2016-17 में पी.ए.टी. से विक्रय का अनुपात 3.89%है।
- प्रति कर्मचारी आवर्त जो 2015-16 में रु. 85 लाख था, 15.29% बढ़कर 2016-17 में रु. 98 लाख हुआ।
- प्रति शेयर अर्जन रु. 11.53 है।
- निवल मूल्य जो 2015-16 में रु. 10581.21 लाख था, 50.93% तक बढ़कर 2016-17 में रु. 15970.67 लाख हुआ।

घ) मानव संसाधन विकास

कंपनी ने कुल 279 श्रम दिवसों के लिए तकनीकी और गुणवत्ता संबंधी विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जो प्रति कर्मचारी औसतन 3.36 श्रमदिवस परिकलित होता है ।

मंडल के प्रतिवेदन का संलग्नक 2

कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट

अभिशासन का सिद्धांत और संहिता

कार्पोरेट अभिशासन का बेलॉप का सिद्धांत ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, समुचित प्रकटण, विधिक अनुपालन, निर्णय लेने में पारदर्शिता तथा हित संघर्ष का निवारण करने के सिद्धांतों पर आधारित है । बेलॉप ग्राहक तुष्टिकरण, वित्तीय दूरदर्शिता एवं मूल्यों के लिए प्रतिबद्धता में विश्वास करती है । हमारी कार्पोरेट संरचना, कारोबार तथा प्रकटण की पद्धतियाँ हमारे कार्पोरेट अभिशासन के सिद्धांत के अनुरूप हैं ।

निदेशक मंडल

संघटन

कंपनी अधिनियम, 2013 के तारतम्य में, बेलॉप जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है, एक 'सरकारी कंपनी' है।

वर्तमान में, निदेशक मंडल में अध्यक्ष सहित तीन निदेशक हैं । बीईएल के मंडल के अध्यक्ष ही मंडल तथा बेलॉप के अध्यक्ष हैं । तीनों निदेशक बेलॉप के संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार बीईएल द्वारा नामित किए जाते हैं ।

निदेशक मंडल का संघटन नीचे दिया गया है –

क)	श्री एम वी गौतमा, अध्यक्ष (8.11.2016 से)	सीएमडी, बीईएल तथा अध्यक्ष, बेलॉप
ख)	श्री सुनील कुमार शर्मा, अध्यक्ष (30.9.2016 तक)	सीएमडी, बीईएल तथा अध्यक्ष,बेलॉप
ग)	श्री एम एल षणमुख, निदेशक (31.10.2016 तक)	निदेशक (मा.सं.)/बीईएल तथा निदेशक,बेलॉप
घ)	डॉ अजीत टी कलघट्गी, निदेशक	निदेशक (अनु. व वि.)/बीईएल तथा निदेशक,बेलॉप
ङ)	श्री प्रभात आचार्या, निदेशक (19.8.2016 तक)	निदेशक (वित्त)/बीईएल तथा निदेशक,बेलॉप
च)	श्रीमती आनंदी रामलिंगम (28.11.2016 से)	निदेशक (विपणन)/बीईएल तथा निदेशक, बेलॉप

बैठकें एवं उपस्थिति

31.03.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, मंडल की छ: बैठकें आयोजित की गईं और किन्हीं दो बैठकों के बीच का अंतराल 90 दिनों का था । मंडल की बैठकें दिनांक 19.05.2016, 02.08.2016, 27.10.2016, 28.11.2016, 20.01.2017 और 27.03.2017 को आयोजित की गईं । 2016-17 के दौरान मंडल की बैठकों, वार्षिक सामान्य बैठक में निदेशकों की उपस्थिति तथा उनके द्वारा धारित अन्य कंपनियों में निदेशक के ओहदे / समिति की सदस्यता की संख्या संबंधी ब्यौरे नीचे दिए गए हैं –

	निदेशक	निदेशक की संबंधित अवधि के दौरान आयोजित बैठकें	मंडल की बैठकों की सं. जिसमें उपस्थित हुए	16 सितंबर 2016 को आयोजित अंतिम एजीएम में उपस्थिति	अन्य मंडल में निदेशक	*सभी कंपनियों में समिति की सदस्यता की सं.	
						अध्यक्ष	सदस्य
1	श्री एम वी गौतमा	3	3	ला.न.	1	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	श्री सुनील कुमार शर्मा	2	2	हाँ	1	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3	श्री एम.एल. षणमुख	3	3	हाँ	1	1	2
4	डॉ. अजीत टी. कलघट्गी	6	6	हाँ	2	#2	#2
5	श्री प्रभात आर. आचार्या	2	2	ला.न.	1	कुछ नहीं	1
6	श्रीमती आनंदी रामलिंगम	3	3	ला.न.	1	कुछ नहीं	1

वर्ष के भाग के लिए

* केवल लेखा परीक्षा समिति तथा पणधारकों की संबंध समिति की सदस्यता पर ही विचार किया जाता है ।

आचार संहिता

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने लोक उद्यम विभाग (डीपीई के दिशा-निर्देश) द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए जारी किए गए कार्पोरेट अभिशासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी के मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए एक आचार संहिता निर्धारित की है। मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने वर्ष 2016-17 के दौरान इस आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। इस आशय की एक घोषणा जो अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित है, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

लेखा परीक्षा समिति

कंपनी की लेखा परीक्षा समिति का संघटन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में विनिर्दिष्टानुसार तीन निदेशक हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक तथा आंतरिक लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में शामिल होते हैं। कंपनी सचिव इस लेखा परीक्षा समिति के सचिव हैं। लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष दिनांक 16 सितंबर, 2016 को आयोजित कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक में शामिल हुए। लेखा परीक्षा समिति के विचारणीय विषय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में यथा विनिर्दिष्ट तथा डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार होते हैं।

लेखा परीक्षा समिति द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं –

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और वित्तीय सूचना के प्रकटण का पर्यवेक्षण करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय सूचना सही, समुचित और विश्वसनीय हैं
- तिमाही लेखा अपरीक्षित वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना
- सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुमोदन करना
- वित्तीय तथा प्रचालनीय कार्य-निष्पादन पर प्रबंधन के विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट की समीक्षा करना
- कंपनी की प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण तथा सरकार और लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की समीक्षा करना
- कंपनी के मुख्य वित्तीय जोखिम उद्भासनों तथा ऐसे उद्भासनों की निगरानी और नियंत्रण करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करना और उन पर चर्चा करना
- सांविधिक तथा आंतरिक लेखा परीक्षाओं में देखी गई उल्लेखनीय लेखा परीक्षा निष्कर्षों, की गई सिफारिशों और उन पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया की समीक्षा करना
- संबंधित पक्षकार के ऐसे लेन-देन तथा उन पर किए गए अनुवर्ती संशोधनों को अनुमोदन प्रदान करना
- अंतर-कार्पोरेट ऋणों और निवेशों की छानबीन करना
- जहाँ आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रम या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना।

31.03.2017 को समाप्त वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की पाँच बैठकें दिनांक 19.05.2016, 02.08.2016, 27.10.2016, 20.01.2017 और 27.03.2017 को हुईं।

लेखा परीक्षा समिति का संघटन इस प्रकार है –

1) डॉ. अजीत टी. कलघट्गी	अध्यक्ष***
2) श्री एम एल षणमुख (01.11.2016 तक)	अध्यक्ष
3) श्री प्रभात आर आचार्या (19.8.2016 तक)	सदस्य
4) श्रीमती आनंदी रामलिंगम (28.11.2016 से)	सदस्य

*** (28.11.2016 से)

उपर्युक्त बैठकों में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार रही –

नाम	निदेशक के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति
श्री एम.एल. षणमुख	3	3
डॉ. अजीत टी. कलघट्गी	5	5
श्री प्रभात आर आचार्या	2	2
श्रीमती आनंदी रामलिंगम	2	2

जोखिम प्रबंधन

कंपनी में जोखिमों की निरंतर पहचान करने, अद्यतन करने, मूल्यांकन करने, उनकी प्राथमिकता तय करने और प्रबंधन करने के लिए एक व्यापक 'जोखिम प्रबंधन ढांचा' व्यवस्थित है। इस ढांचे के तहत, शीर्षस्त स्तर पर एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) गठित है जिसका नेतृत्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (बेलॉप) द्वारा किया जाता है और इसके सदस्य विनिर्माण, विपणन, डिज़ाइन और इंजीनियरी जैसे महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों से होते हैं। जोखिम चैम्पियन (आरसी) उ.म.प्र. स्तर के अधिकारी होते हैं। आरएमसी तिमाही आधार पर संपूर्ण कंपनी में जोखिम प्रबंधन के प्रयासों की समीक्षा करती है। आरएमसी तिमाही आधार पर प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति को अपनी रिपोर्ट पेश करती है । कंपनी जोखिम प्रबंधन की स्थिति की रिपोर्ट वार्षिक आधार पर मंडल को करती है।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का संघटन इस प्रकार है –

1) डॉ कलघट्गी टी. अजीत	अध्यक्ष***
2) श्री एम एल षणमुख (31.10.2016 तक)	अध्यक्ष
3) श्री प्रभात आर आचार्या (19.8.2016 तक)	सदस्य
4) श्रीमती आनंदी रामलिंगम (28.11.2016 से)	सदस्य

*** (28.11.2016 से)

उक्त बैठकों में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार रही –

नाम	निदेशक के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति
श्री एम.एल. षणमुख	3	3
डॉ. अजीत टी. कलघट्गी	5	5
श्री प्रभात आर आचार्या	3	3
श्रीमती आनंदी रामलिंगम	2	2

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के कुछेक कार्य इस प्रकार हैं –

- कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, डीपीई के दिशा-निर्देशों तथा भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों /मार्गदर्शी बातों के अनुसार मंडल को नीति की सिफारिश करना।
- वेतन संबंधी सभी मामलों की सिफारिश मंडल को करना।

पारिश्रमिक नीति

क) निदेशकों का पारिश्रमिक

बेलॉप जब कभी आवश्यक हो, निदेशकों का पारिश्रमिक इस प्रकार निर्धारित करेगी जो रक्षा मंत्रालय द्वारा समय-समय पर संप्रेषित, भारत सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुपालन में होंगे ।

ख) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) तथा अन्य कर्मचारियों का पारिश्रमिक

बेलॉप मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) तथा अन्य कर्मचारियों का पारिश्रमिक तय करते समय निम्नलिखित का पालन सुनिश्चित करेगी -

i) कंपनी इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी प्रत्येक दिशा-निर्देश का पालन करने के लिए बंधनकारी होगी ।
ii) निर्धारित पारिश्रमिक का स्तर और संघटन औचित्यपूर्ण और समुचित होगा ताकि कंपनी को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए कर्मचारियों को आकृष्ट, प्रतिधारित और प्रेरित किया जा सके।
iii) पारिश्रमिक का स्तर इस प्रकार होगा कि कार्य-निष्पादन और पारिश्रमिक के बीच स्पष्ट संबंध हो ।
iv) पारिश्रमिक में नियत वेतन और प्रोत्साहन वेतन उस न्यायिक अनुपात में शामिल होगा जो कंपनी के कामकाज के अनुकूल हो और कंपनी को उसके अल्पकालीन और दीर्घकालीन कार्य-निष्पादन के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो ।

निदेशकों का पारिश्रमिक

कंपनी अपने निदेशकों को कोई पारिश्रमिक अदा नहीं करती है । कंपनी ने अपने निदेशकों के लिए स्टॉक का विकल्प नहीं दिया है ।

कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के तारतम्य में, कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया गया है ।

कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआर) के विचारणीय विषय की मुख्य बातें इस प्रकार हैं –

क) मंडल को कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तैयार कर उसकी सिफारिश करना जिसमें अनुसूची VII में निर्दिष्टानुसार कंपनी द्वारा किए जाने वाले कार्यकलाप दर्शित किए गए हों ।
ख) खंड 'क' में संदर्भित कार्यकलापों को करने पर उपगत होने वाले खर्च की राशि की सिफारिश करना
ग) कंपनी की कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की समय-समय पर निगरानी करना ।

कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का संगटन इस प्रकार है –

1) डॉकलघट्गी टी. अजीत . (28.11.2016 से)	अध्यक्ष***
2) श्री एम एल षणमुख (31.10.2016 तक)	अध्यक्ष
3) श्री प्रभात आर आचार्या (19.8.2016 तक)	सदस्य
4) श्रीमती आनंदी रामलिंगम (28.11.2016 से)	सदस्य

*** (28.11.2016 से)

सीएसआर समिति ने वर्ष 2016-17 के लिए "कौशल विकास" के तहत सीएसआर संबंधी कार्यकलाप करने का निर्णय लिया था। बहरहाल, कंपनी में समयाभाव होने के कारण, यह प्रस्तावित है कि उक्त कार्यकलाप 2017-18 के दौरान किए जाएँ। वर्ष 2016-17 के लिए लेखा बहियों में रु. 11.76 लाख के सीएसआर खर्च का प्रावधान किया गया है।

निदेशकों का शेयरधारण

यथा 31.03.2017 को कंपनी के कोई भी निदेशक कंपनी का इक्विटी शेयर धारित नहीं करते।

अन्य मंडल की उप-समितियाँ

आपके निदेशकों ने मंडल की निम्नलिखित उप-समितियाँ गठित की हैं -

निवेश समिति जिसमें अल्पकालीन अधिशेष निधियों के निवेश को अनुमोदित करने के लिए अध्यक्ष, तीन निदेशक, सीईओ तथा वित्त प्रमुख शामिल होते हैं।

संबंधित पक्षकार के लेनदेन

संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए सभी लेनदेन कारोबार के सामान्य क्रम में किए गए और दोनों पक्षकार की मूल्य निर्धारित नीति के आधार पर किए गए।

सामान्य सभा की बैठकें

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों के ब्यौरे इस प्रकार हैं –

वर्ष	स्थान	तारीख और समय
2013-14	पंजीकृत कार्यालय	23 सितंबर 2014, दोपहर 12.30 बजे
2014-15	पंजीकृत कार्यालय	31 अगस्त 2015, दोपहर 12.30 बजे
2015-16	पंजीकृत कार्यालय	16 सितंबर 2016, दोपहर 12.30 बजे

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों की संबंधित नोटिसों में निर्धारित, विशेष संकल्पों सहित सभी संकल्प शेयरधारकों द्वारा पारित किए गए। पिछले वर्ष कोई भी संकल्प डाक मतदान द्वारा नहीं किया गया।

प्रकटण

(क) कंपनी ने ऐसा कोई उल्लेखनीय रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार का लेनदेन नहीं किया है जिससे व्यापक तौर पर कंपनी के हितों का कोई संभावित संघर्ष होता हो। फिर भी, संबंधित पक्षकारों के लेनदेनों को वार्षिक प्रतिवेदन में लेखों की टिप्पणी सं. 38 के बिन्दु सं. 7 में प्रकट किया गया है।

(ख) निदेशक मंडल तथा सर्वोच्च प्रबंधन के लिए ऐसा अन्य कोई व्यय नहीं किया गया, जो प्रकृति से निजी है।

(ग) कंपनी के कारोबार से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित या उसके लिए प्रासंगिक व्यय तथा कर्मचारियों / पूर्व-कर्मचारियों के कल्याण की ओर किए गए खर्च को छोड़कर, व्यय की कोई भी मद लेखा बहियों में नामें नहीं की गई।

(घ) पिछले वर्ष के 1.53 % के समक्ष वर्ष 2016-17 में प्रशासनिक तथा कार्यालयीन व्यय कुल व्ययों का 1.05 % रहा। वर्ष के दौरान कोई उल्लेखनीय विचलन नहीं हुआ।

एमसीए-21 का अनुपालन

कंपनी अधिनियम, 2013 (एमसीए-21) को कार्यान्वित करने में कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की ई-गवर्नेंस पहल में सार्वजनिक, कार्पोरेट स्वत्वों तथा अन्य लोगों को कार्पोरेट सूचना तक आसान और सुरक्षित ऑनलाइन पहुँच प्रदान किया गया है जिसमें दस्तावेजों की फाइलिंग तथा किसी भी समय और कहीं से भी, संविधि के तहत सार्वजनिक प्रक्षेत्र में रहने के लिए अपेक्षित सूचना तक सार्वजनिक पहुँच शामिल है। कंपनी ने 2016-17 के दौरान एमसीए-21 के तहत सभी आज्ञापक ई-फाइलिंग अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

राष्ट्रपति के निर्देश एवं दिशा-निर्देश

आपकी कंपनी को अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. के आरक्षण से संबंधित भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले राष्ट्रपति के निर्देशों तथा दिशा-निर्देशों का अक्षरत: और भावत: पालन करना होता है। सरकारी निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में एक संपर्क अधिकारी नियुक्त किया जाना है। इस विषय में व्यवहार करने वाले अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वे इस विषय पर अपने ज्ञान को अद्यतन रख सकें और अपना कार्य प्रभावी ढंग से निष्पादित कर सकें।

इनका प्रतिनिधित्व अभिनिश्चित करने के लिए कंपनी में कार्यग्रहण करते समय कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले जाति प्रमाण-पत्रों का सत्यापन किया जाता है । जाति प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कार्य पूरा करने के बाद भर्ती / पदोन्नति के रोस्टर तैयार करने और उन्हें बनाए रखना आवश्यक है । आपकी कंपनी को अक्षम व्यक्तियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण पर सरकारी निर्देशों को कार्यान्वित करना आवश्यक है ।

यथा 31 मार्च 2017 को शेयरधारण की प्रविधि

क्र.सं.	वर्ग	शेयरधारकों की सं.	शेयरों की सं.	% धारण
1	प्रवर्तक – मे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	1	59,22,635	100.00

यथा 31 मार्च 2017 को सर्वोच्च 10 शेयरधारक

क्र.सं.	नाम	शेयरों की सं.	% धारण
1	प्रवर्तक – मे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	37,83,678	100.00

क्रेडिट रेटिंग

वर्ष 2016-17 के दौरान, आईसीआरए ने वर्ष के लिए कंपनी को निम्नलिखित रेटिंग प्रदान की है –

(i) रु. 4000 लाख की निधि आधारित बैंक सीमा के लिए [आईसीआरए]एए+ (जिसे आईसीआरए डबल ए कहा जाता है) की दीर्घकालीन रेटिंग ।

(ii) रु. 600 लाख की गैर-निधि आधारित बैंक सीमा के लिए [आईसीआरए]ए1+ (जिसे आईसीआरए ए वन प्लस कहा जाता है) की अल्पकालीन रेटिंग ।

दीर्घकालीन रेटिंग की दृष्टि 'स्थिर' है । ये 6 नवंबर 2017 तक वैध हैं ।

सीईओ/ सीएफओ का प्रमाणीकरण

डीपीई के दिशा-निर्देशों की अपेक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में, सीईओ/सीएफओ प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है और उसे लेखा परीक्षा समिति और मंडल के समक्ष पेश किया गया है और उसे इस वार्षिक प्रतिवेदन में दिया गया है ।

अनुपालन

कंपनी डीपीई को कार्पोरेट अभिशासन पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट पेश करती आ रही है ।

डीपीई का श्रेणीकरण

सीपीएसई के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि सीपीएसई का श्रेणीकरण इन दिशा-निर्देशों पर उनके अनुपालन के आधार पर किया जाएगा ।

पंजीकृत कार्यालय / पत्राचार का पता

बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लि.
पंजीकृत कार्यालय - ईएल-30, 'जे' ब्लॉक, एमआईडीसी, भोसरी औद्योगिक क्षेत्र, पुणे- 411 026
फ़ोन - (020) 27130981/2/3/4; फैक्स- (020) 27130589; ई-मेल - info@belop.co.in

घोषणा

डीपीई के का.ज्ञा. सं. 18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010 में दिए गए अनुसार, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तारतम्य में, कंपनी के मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड के मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए निर्धारित कारोबारी आचार संहिता एवं नीति का अनुपालन संपुष्ट किया है ।

कृते बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिट
-हस्त-

एम.वी. गौतम
अध्यक्ष

स्थान - बेंगलूर
दिनांक - 7 अगस्त, 2017

मंडल के प्रतिवेदन का संलग्नक 3

सीएसआर कार्यकलापों पर रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त जानकारी नीचे दी गई है –

क) बेलॉप कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को मान्यता प्रदान करती है और उसे स्वीकार करती है जिसके द्वारा कंपनी उस पर्यावरण की संरक्षण करने का संकल्प लेती है जिसने वर्षों के दौरान बेलॉप के कार्यकलापों और प्रयासों का निर्वाह किया है।

ख) बेलॉप सीएसआर कार्यकलापों को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से ऐसे निर्वहनीय ढंग से जो पारदर्शी और नैतिक हैं, संचालित करने के लिए अपने पणधारकों के प्रति वचनबद्ध है।

2. सीएसआर समिति का संघटन इस प्रकार है –

1) डॉ. अजीत टी. कलघट्गी (28.11.2016 से)	अध्यक्ष***
2) श्री एम एल षणमुख (31.10.2016 तक)	अध्यक्ष
3) श्री प्रभात आर आचार्या (19.8.2016 तक)	सदस्य
4) श्रीमती आनंदी रामलिंगम (28.11.2016 से)	सदस्य

*** अध्यक्ष 28.11.2016 से प्रभावी

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत निवल लाभ
औसत निवल लाभ रु. 588.01 लाख है।

4. **निर्धारित सीएसआर खर्च (पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत)**
कंपनी को वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान रु. 11.76 लाख खर्च करना है।

5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर खर्च के विवरण -
सीएसआर समिति ने वर्ष 2016-17 के लिए "कौशल विकास" के तहत सीएसआर संबंधी कार्यकलाप करने का निर्णय लिया था। बहरहाल, कंपनी में समयाभाव होने के कारण, यह प्रस्तावित है कि उक्त कार्यकलाप 2017-18 के दौरान किए जाएँ। वर्ष 2016-17 के लिए लेखा बहियों में रु. 11.76 लाख के सीएसआर खर्च का प्रावधान किया गया है।

6. वर्ष के दौरान सीएसआर कार्यकलापों पर पिछले तीन वित्तीय वर्षों या इस अवधि के किसी भाग के औसत निवल लाभ के दो प्रतिशत की राशि खर्च न करने के कारण।
वर्ष 2016-17 के लिए लेखा बहियों में रु. 11.76 लाख के सीएसआर खर्च का प्रावधान किया गया है। समयाभाव होने के कारण, "कौशल विकास" संबंधी कार्यकलाप 2017-18 के दौरान करने का प्रस्ताव है।

7. सीएसआर समिति का उत्तरदायित्व कथन कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में हैं, नीचे दिया गया है –

उत्तरदायित्व कथन

बेलॉप की सीएसआर समिति एतद्वारा यह संपुष्ट करती है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है।

-हस्त-
(अजीत टी कलघट्गी)
अध्यक्ष, सीएसआर समिति, बेलॉप

स्थान – बेंगलूरु
दिनांक – 7 अगस्त, 2017

मंडल के प्रतिवेदन का संलग्नक 4

निर्वहनीयता रिपोर्ट

भारत सरकार, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं. 3(9)-2010-डीपीई (एमओयू) दिनांक 23 सितंबर 2011 द्वारा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए निर्वहनीय विकास पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

डीपीई के उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में, "निर्वहनीय विकास" को "ऐसा विकास जो भावी पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनकी क्षमता से समझौता किए बिना, वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है" के रूप में परिभाषित किया गया है। निर्वहनीय विकास में आर्थिक कार्य, समाज की प्रगति और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व के प्रति सहनशील और संतुलित दृष्टिकोण शामिल है।

बेलॉप जो आईएसओ 14001:2004 के लिए प्रमाणित कंपनी है, संवृद्धि के साथ पर्यावरण को बचाए रखने के लिए कटिबद्ध है। यह अपने परिसरों में हरित वातावरण बनाए रखती है और इसने पर्यावरणीय संबंधी विभिन्न प्रबंध पद्धतियों को कार्यान्वित किया है।

निर्वहनीय विकास पहल

वायु में उत्सर्जन

प्रक्रमों से होने वाले वायु उत्सर्जन को समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वायु उत्सर्जन के स्टेक की निगरानी तिमाही आधार पर वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अनुसार की जाती है।

जल प्रबंधन

एमपीसीबी के अनुमोदन के अनुसार, कंपनी ने उपयुक्त स्थलों पर पानी के मीटर लगाए हैं और दैनंदिन आधार पर पानी की खपत की निगरानी करती है।

ध्वनि प्रदूषण

कारखाने के परिसरों में ध्वनि प्रदूषण को एमपीसीबी की सहमति तथा अधिनियम के मानदंडों के अनुसार तिमाही आधार पर मापा जाता है।

जल प्रदूषण

ईटीपी संयंत्र में औद्योगिक निस्सारी का उपचार किया जाता है और एमपीसीबी के मानदंडों के अनुसार उसे निपटाया जाता है। कंपनी ने निस्सारी के उपचार के लिए सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) भी स्थापित किया है और पुन:चक्रित पानी का इस्तेमाल बगीचों में किया जाता है।

हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली

कंपनी एमपीसीबी द्वारा प्राधिकृत रीसाइक्लर को हानिकारक अपशिष्ट नियम 2008 के अनुसार अपने हानिकारक अपशिष्टों का निपटान कर रही है। प्रत्येक वर्ष फार्म IV में नियमित रूप से इसकी विवरणी जमा की जा रही है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने निर्माणी प्रक्रमों में प्रयुक्त कुछेक हानिकारक मदों की खपत और पर्यावरण पर उसके संभावित प्रभाव को कम करने के लिए, उनका पुनर्प्रयोग करने के प्रयास किए हैं।

स्थल पर आपात योजना और प्रणालियाँ

स्थल और कंपनी भर में नकली कवायद आवधिक रूप से संचालित की जाती है और कारखाने के परिसरों में प्रमुख स्थलों पर स्थल पर आपात योजना प्रदर्शित की जाती है।

पारिस्थितिकी निर्वहनीयता

कंपनी वृक्षारोपण तथा हरित एवं स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने पर ध्यान केन्द्रित करती है।

मंडल के प्रतिवेदन का संलग्नक 5

फार्म सं. एमजीटी-9
वार्षिक विवरणी का सार

31/03/2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के तारतम्य में]

I. पंजीकरण तथा अन्य विवरण –

i)	सीआईएन	U31909PN1990GOI058096
ii)	पंजीकरण की तारीख	10 सितंबर 1990
iii)	कंपनी का नाम	बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड
iv)	कंपनी का वर्ग/उप-वर्ग	कंपनी की शेयर पूँजी है
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्यौरे	ईएल-30, 'जे' ब्लॉक, एमआईडीसी, भोसारी औद्योगिक क्षेत्र, पुणे- 411 026 टेलीफ़ोन नं. 020-27130981/2/3
vi)	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	नहीं
vii)	पंजीयक और शेयर अंतरण एजेंट, यदि हैं, का नाम, पता और संपर्क ब्यौरे	लागू नहीं

II. कंपनी के मुख्य कारोबारी कार्यकलाप -
ऐसे सभी कारोबारी कार्यकलाप जो कंपनी के कुल विक्रयावर्त का 10% से अधिक का योगदान देते हैं, बताएँ जाएँ –

क्र.सं.	मुख्य उत्पाद / सेवा का नाम और विवरण	उत्पाद / सेवा एनआईसी कोड	कंपनी के कुल विक्रयावर्त का %
1	इमेज इन्टेन्सीफायर ट्यूब	3320	100.00%

III. धारक कंपनी, सहायक कंपनी, एसोसिएट कंपनियों के विवरण –

क्र.सं.	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक / सहायक / एसोसिएट	धारित शेयरों का %	लागू धारा
1	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	**L32309KA1954GOI000787**	धारक	**100%**	**2(46)**

IV. शेयरधारण की प्रविधि (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूँजी के अलग-अलग विवरण)

(i) वर्ग-वार शेयर धारण

शेयरधारकों का वर्ग	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की सं.				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान % में बदलाव
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
क) व्यक्ति/एचयूएफ									
ख) केन्द्र सरकार									
ग) राज्य सरकार (सरकारें)									
घ) कार्पोरेट निकाय		37,83,678	37,83,678	100.00	-	59,22,635	59,22,635	100.00	56.53
ङ) बैंक/वित्तीय संस्थाएँ									
च) अन्य कोई									-
उप कुल (क) (1)		37,83,678	37,83,678	100.00	-	59,22,635	59,22,635	100.00	56.53
(2) विदेशी									
क) एनआरआई-व्यक्ति									
ख) अन्य-व्यक्ति									
ग) कार्पोरेट निकाय									
घ) बैंक/वित्तीय संस्थाएँ									
ङ) अन्य कोई									
उप कुल (क) (2)									
प्रवर्तक का कुल शेयरधारण (क) = [(क) (1)+(क) (2)]		37,83,678	37,83,678	100.00	-	59,22,635	59,22,635	100.00	21,38,957
ख. सरकारी शेयरधारण									
1. संस्थान									
क) म्युच्युअल फंड									
ख) बैंक / वित्तीय संस्थाएँ									
ग) केन्द्र सरकार									
घ) राज्य सरकार (सरकारें)									
ङ) वेन्चर पब्लिक फंड									
च) बीमा कंपनियाँ									
छ) एफआईआई									
ज) विदेशी वेन्चर पूँजी									
झ) अन्य (बताएँ)									
उप-कुल (ख) (1)									
2. संस्थान-इतर									
क) कार्पोरेट निकाय									
i) भारतीय									
ii) समुद्रपार									
ख) व्यक्ति									
i) वैयक्तिक शेयरधारक जो रु. 1 लाख तक की नाममात्र की शेयर पूँजी रखते हैं									
ii) वैयक्तिक शेयरधारक जो रु. 1 लाख से अधिक की नाममात्र की शेयर पूँजी रखते हैं									
ग) अन्य (बताएँ)									
उप-कुल (ख) (2)									
कुल सरकारी शेयरधारण [(ख) (1)+(ख) (2)]									
ख. जीडीआर और एडीआर के लिए संरक्षक द्वारा धारित शेयर									
कुल योग (क+ख+ग)	-	37,83,678	37,83,678	100.00	-	59,22,635	59,22,635	100.00	21,38,957

(ii) प्रवर्तकों का शेयरधारण

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण			वर्ष के अंत में शेयरधारण			वर्ष के दौरान शेयरधारण में बदलाव का
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से गिरवी / भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से गिरवी / भारग्रस्त शेयरों का %	
1	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि.	37,83,678	100.00	ला.न.	59,22,635	100.00	ला.न.	कुछ नहीं
	कुल	**37,83,678**	**100.00**	ला.न.	**59,22,635**	**100.00**	ला.न.	कुछ नहीं

(iii) प्रवर्तकों के शेयरधारण में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन न हो तो कृपया बताएँ)

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारण	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
---------- कोई परिवर्तन नहीं ----------					

(iv) सर्वोच्च दस शेयरधारकों की शेयरधारण प्रविधि (निदेशकों, प्रवर्तकों और जीडीआर तथा एडीआर के धारकों के अलावा)

क्र.सं.	सर्वोच्च दस शेयरधारकों के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण (01.04.2016)		वर्ष के दौरान शेयरधारण (31.03.2017)	
		शेयरों की सं. **No. of shares**	कंपनी के कुल शेयरों का % **% of total shares of the company**	शेयरों की सं. **No. of shares**	कंपनी के कुल शेयरों का % **% of total shares of the company**
1	कुछ नहीं				

(v) निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का शेयरधारण

क्र.सं.	प्रत्येक निदेशक और केएमपी के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारण	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	कोई भी निदेशक और केएमपी कंपनी का शेयर धारित नहीं करते			
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के शेयरों में तारीख-वार बढ़ोत्तरी/कमी, ऐसी बढ़ोत्तरी/कमी का कारण दर्शाते हुए (जैसे आबंटन/अंतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि) -	कोई भी निदेशक और केएमपी कंपनी का शेयर धारित नहीं करते			
	वर्ष के अंत में	कोई भी निदेशक और केएमपी कंपनी का शेयर धारित नहीं करते			

ऋणग्रस्तता

V. कंपनी की ऋणग्रस्तता, बकाया ब्याज/ प्रोद्भूत ब्याज जो भुगतान के लिए देय नहीं है, सहित

विवरण	जमाराशि को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमाराशियाँ	कुल ऋणग्रस्तता (रु. लाख में)
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन	2,838.53	4,917.07	कुछ नहीं	7,755.60
ii) ब्याज देय परन्तु अदा नहीं की गई	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
iii) ब्याज प्रोद्भूत परन्तु देय नहीं	2.48	96.07	कुछ नहीं	98.55
कुल (i+ii+iii)	**2,841.01**	**5,013.14**	**कुछ नहीं**	**7,854.15**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* परिवर्धन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
* घटौती	(1,481.24)	(638.52)	कुछ नहीं	(2,119.76)
निवल परिवर्तन	**(1,481.24)**	**(638.52)**	कुछ नहीं	**(2,119.76)**
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन	1,357.99	4,348.88	कुछ नहीं	5,706.87
ii) ब्याज देय परन्तु अदा नहीं की गई	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
iii) ब्याज प्रोद्भूत परन्तु देय नहीं	1.78	25.74	कुछ नहीं	27.52
कुल (i+ii+iii)	**1359.77**	**4374.62**	कुछ नहीं	**5,734.39**

VI. निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक तथा / या प्रबंधक का पारिश्रमिक –

क्र. सं.	पारिश्रमिक के विवरण	एमडी/डबल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम		कुल राशि
1	सकल वेतन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलब्धियों का मूल्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के स्थान पर लाभ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	स्टॉक का विकल्प	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3	स्वेट इक्विटी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4	कमीशन			
	- लाभ के % के रूप में	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	- अन्य, बताएँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5	अन्य, कृपया बताएँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कुल (क)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक –

क्र.सं.	पारिश्रमिक के विवरण	निदेशक का नाम		कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक			
	मंडल/समिति की बैठकों में शामिल होने का शुल्क	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कमीशन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	अन्य, कृपया बताएँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कुल (ख) (1)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक			
	मंडल/समिति की बैठकों में शामिल होने का शुल्क	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कमीशन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	अन्य, कृपया बताएँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कुल (ख) (2)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कुल (ख) = (ख)(1)+ (ख)(2)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

ग. एमडी/प्रबंधक/डबल्यूटीडी के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक के विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			कुल
		30.11.2017 तक सीईओ	**01.12.2017 से सीईओ**	****कंपनी सचिव सीएफओ**	
1	सकल वेतन				
	(क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन	16,34,191	5,48,676	9,68,077	31,50,944
	(ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलब्धियों का मूल्य	59,074	-	29,640	88,714
	(ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के स्थान पर लाभ	- 3,36,340	2,05,149	3,98,353	9,39,842
2	स्टॉक का विकल्प	-	-	-	-
3	स्वेट इक्विटी	-	-	-	-
4	कमीशन	-	-	-	-
	- लाभ के % के रूप में	-	-	-	-
	- अन्य, बताएँ	-	-	-	-
5	अन्य, कृपया बताएँ	-	-	-	-
	सेवानिवृत्ति अनुलाभ	1,78,971	3,46,881	2,57,200	7,83,052
	कुल (क)	**22,08,5762**	**11,00,706**	**16,53,270**	**49,62,552**

** 01.04.2012 से 31.03.2016 तक की अवधि के बकाया सहित

VII. जुर्माना / दंड / अपराध संयोजन -

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	जुर्माना/दंड /अधिरोपित संयोजन शुल्क के ब्यौरे	प्राधिकारी [आरडी / एनसीएलटी /न्यायालय]	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरे दें)	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरे दें)
क. कंपनी						
जुर्माना	**कोई नहीं**					
दंड						
अपराध संयोजन						
ख. निदेशक						
जुर्माना	**कोई नहीं**					
दंड						
अपराध संयोजन						
ग. अन्य दोषी अधिकारी						
जुर्माना	**कोई नहीं**					
दंड						
अपराध संयोजन						

मंडल के प्रतिवेदन का संलग्नक 6

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार प्रकट की जाने वाली सूचना

क. ऊर्जा संरक्षण

i) वर्ष 2016-17 के दौरान किए गए ऊर्जा संरक्षण के उपाय

क्लीन कक्ष क्षेत्र में पारंपरिक 36 वॉट के पीएल को 18 वॉट के एलईडी पीएलएल से बदला गया।

ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का उपयोग करने के लिए कंपनी द्वारा किए गए उपाय

बगीचे की सिंचाई के लिए 5 एच.पी. क्षमता वाले सोलार शक्ति पम्प की संस्थापना की गई।

iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूँजीगत निवेश

बगीचे की सिंचाई के लिए 5 एच.पी. क्षमता वाले सोलार शक्ति पम्प की संस्थापना के लिए रु. 4.50 लाख का पूँजीगत निवेश किया गया।

ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण

i) प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन तथा नवोन्मेष की ओर किए गए प्रयास, संक्षेप में

- वर्ष के दौरान एक्स-आर-5 ट्यूब निर्मित करने पर टीओटी परियोजना शुरु की गई। प्रमुख टीओटी उपकरणों को प्राप्त कर संस्थापित किया गया।
- टीओटी के लिए स्वच्छ कक्ष, वर्ग आईएसओ 6 की संस्थापना की गई। पारंपरिक (गैर ऑटो-गेटेड) पीएसयू के साथ-साथ ऑटो-गेटेड पावर सप्लाई यूनिटों (पीएसयू) के बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए स्वच्छ कक्ष सहित, अतिरिक्त भवन का निर्माण किया जा रहा है।

ii) उपर्युक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राप्त अनुलाभ

- ग्राहकों को उच्च निष्पादन वाले आई.आई. ट्यूबों, ट्यूब एक्सआर-5 सुपुर्द करने के लिए स्वदेशी निर्माण प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन का प्रारंभ।
- बेहतर उत्पादकता, प्रक्रम स्थिरता और प्रोसेस डेटा ट्रेसेबिलिटी के लिए अवसंरचना का कोटि उन्नयन जो समग्र ग्राहक तुष्टिकरण और विद्यमान परिसंपत्तियों के जीवनकाल बढ़ोत्तरी में परिणामित हुआ।

iii) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी संबंधी सूचना

भारतीय थलसेना द्वारा अधिक वर्धित निष्पादन वाले ट्यूबों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, कंपनी ने मई 2014 के दौरान एक्सआर-5 आई.आई. ट्यूबों का निर्माण करने के लिए मे. फोटोनिस फ्रांस एसएएस, फ्रांस तथा उसकी संबद्ध कंपनी मे. इमेजिंग सेन्सर्स इंटरनेशनल, फ्रांस के साथ एक टीओटी करार किया है। एक्सआर-5 परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

iv) अनु. व वि. पर खर्च

कंपनी ने वर्ष 2016-17 के दौरान लगभग रु. 26 लाख का खर्च किया।

ख. विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

भारत सरकार, कंपनी कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत आवेदन के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय संबंधी कोई प्रकटण नहीं किया गया।

मंडल के प्रतिवेदन का संलग्नक 7

फार्म सं. एमआर-3
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधीय कार्मिकों की नियुक्ति और उनका पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के तारतम्य में]

प्रति,

सदस्य,

बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड,

ईएल 30, जे ब्लॉक, एमआईडीसी भोसारी, पुणे 411026

मैंने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और **बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड (सीआईएन - U31909PN1990GOI058096)** (जिसे यहाँ इसके बाद "कंपनी" कहा गया है) द्वारा अच्छी कार्पोरेट पद्धतियों को अपनाने की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। यह सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरह की गई है जिससे मुझे कार्पोरेट आचार/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उन पर अपने विचार व्यक्त करने का उचित आधार प्राप्त हो।

कंपनी की बहियों, कागजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फार्म और दाखिल विवरणों तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर और साथ ही इस सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर, मैं एतद्वारा यह रिपोर्ट करता हूँ कि मेरे विचार से, कंपनी ने 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष की इस लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान यहाँ सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का पालन किया है और यह कि कंपनी में यथा संभव तथा यथाआवश्यक ढंग से मंडल की उचित प्रक्रियाएँ और अनुपालन की व्यवस्था है जो यहाँ इसके बाद की गई रिपोर्ट के अधीन है -

मैंने 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई बहियों, कागज़ों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फार्म और दाखिल विवरणों तथा अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया है जो निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार हैं -

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 ('एक्ट') तथा उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनिमय) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') तथा उसके तहत बनाए गए नियम (*समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं*);

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा उसके तहत बनाए गए विनियम तथा उप-नियम (*समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं क्योंकि कंपनी के शेयर डिमटीरियलीकृत रूप में नहीं हैं*);

(iv) विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंध अधिनियम, 1999 तथा उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपार प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार तक लागू होते हैं (*समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं क्योंकि कंपनी में कोई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपार प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार नहीं हैं*);

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी एक्ट') के तहत निम्नलिखित विनियम और दिशा-निर्देश -

(a) भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (शेयरों का सारभूत अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011 (*समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं क्योंकि कंपनी गैर-सूचीबद्ध कंपनी है*);

(b) भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (भेदिया लेनदेन का प्रतिषेध) विनियम, 2015 (*समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं क्योंकि कंपनी गैर-सूचीबद्ध कंपनी है*);

(c) भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (पूँजी जारी करना और प्रकटण संबंधी अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 *(समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं क्योंकि कंपनी गैर-सूचीबद्ध कंपनी है और अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने का कोई प्रस्ताव भी नहीं है)*;

(d) भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी अनुलाभ) विनियम, 2014 *(समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं क्योंकि कंपनी गैर-सूचीबद्ध कंपनी है)*;

(e) भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियाँ जारी करना और उनका सूचीकरण) विनियम, 2008 *(समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं क्योंकि कंपनी गैर-सूचीबद्ध कंपनी है और सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों को प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है)*;

(f) कंपनी अधिनियम तथा ग्राहक के साथ लेनदेन करने संबंधी भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (इश्यू के पंजीयक तथा शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993 *(समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं क्योंकि कंपनी पंजीयक और शेयर अंतरण एजेंसों की सेवाएँ प्राप्त नहीं कर रही है)*;

(g) भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना) विनियम, 2009 *(समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं क्योंकि कंपनी ने शेयरों को सूची से नहीं हटाया है)*; और

(h) भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 1998 *(समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं क्योंकि कंपनी गैर-सूचीबद्ध कंपनी है)*;

(vi) जैसा मुझे सूचित किया गया, कंपनी पर कोई अन्य विधि विशेष रूप से लागू नहीं होती है।

मैंने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जाँच की है –

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

मैंने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की जाँच नहीं की है *क्योंकि ये समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं* –

(i) स्टॉक एक्सचेंजों के साथ कंपनी द्वारा किए गए सूचीकरण करार;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित प्रेक्षणों की शर्त पर ऊपर उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों आदि का अनुपालन किया है –

कंपनी अधिनियम, 2013 –

(a) धारा 149(4) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया है।

(b) धारा *135(1)* के प्रावधानों के अनुसार, सीएसआर समितियाँ उचित ढंग से गठित नहीं हैं।

(c) धारा *177(2)* के अनुसार, लेखा परीक्षा समितियाँ उचित ढंग से गठित नहीं हैं।

(d) धारा *178(1)* के अनुसार, नामांकन व पारिश्रमिक समिति उचित ढंग से गठित नहीं है।

(e) 1 अक्तूबर, 2016 से 28 नवंबर, 2016 तक की अवधि के दौरान, कंपनी में अधिनियम की धारा 149(1)(क) में यथा अपेक्षित न्यूनतम संख्या में निदेशक नहीं थे।

मैं इसके आगे यह रिपोर्ट करता हूँ

ऊपर किए गए प्रेक्षण के अधीन, दिनांक 1 अक्तूबर, 2016 से लेकर 28 नवंबर, 2016 तक की अवधि के लिए कंपनी का निदेशक मंडल विधिवत् गठित किया गया, *कंपनी में अधिनियम की धारा 149(1)(क) के तहत यथा अपेक्षित, न्यूनतम संख्या में निदेशक नहीं थे। कंपनी ने किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की।* निदेशक मंडल के संघटन में परिवर्तन जो समीक्षाधीन अवधि के दौरान किया गया, अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया।

मंडल की बैठकें, कार्यसूची तय करने के लिए सभी निदेशकों को समुचित सूचना दी गई और कार्यसूची की विस्तृत टिप्पणी कम से कम सात दिन पहले भेजी गई और बैठक से पहले तथा बैठक में सार्थक सहभागिता के लिए अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने की व्यवस्था मौजूद है।

मंडल के सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। कंपनी द्वारा दिए गए अभिलेखों के अनुसार, मंडल का कोई भी सदस्य बैठक में पारित किसी भी संकल्प से असहमत नहीं था।

मैं आगे यह रिपोर्ट करता हूँ कि लागू विधियों, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों के अनुपालन की मानीटरी करने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में समुचित प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं।

मैं आगे यह रिपोर्ट करता हूँ कि लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान, कंपनी ने -

(क) *राइट इश्यू पर शेयर जारी किए जिसके कारण चुकता पूँजी रु. 37,83,67,800/- से बढ़कर रु. 59,22,63,500/- हुई।*

-हस्ता.-
अभिजीत दाखवे
कंपनी सचिव
एफसीएस # 6126
सीपी नं. # 4474

स्थान - पुणे
दिनांक - 7 अगस्त, 2017

भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणी - 31 मार्च 2017

भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण

- तुलन-पत्र
- लाभ व हानि का विवरण
- नकदी प्राप्ति का विवरण
- इक्विटी में परिवर्तन का विवरण
- भारतीय ए.एस. को पहली बार अपनाने पर टिप्पणियाँ
- वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

यथा 31 मार्च, 2017 का तुलन-पत्र राशि रु. में

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	यथा 31 मार्च, 2017 को	यथा 31 मार्च, 2017 को	यथा 1 अप्रैल 2015 को
	परिसंपत्तियाँ				
(1)	**गैर-चालू परिसंपत्तियाँ**				
	(क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	1	85,75,55,941	83,10,08,138	89,53,26,868
	(ख) चालू पूँजी कार्य	2	50,29,64,596	7,75,792	17,33,014
	(ग) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3	1,59,25,70,007	1,71,75,83,774	1,84,25,97,541
	(घ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4	33,41,60,327	-	-
	(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
	(i) व्यापार से प्राप्य	5	-	-	-
	(ii) ऋण	6	33,69,250	27,61,350	20,32,650
	(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	7	55,56,603	1,15,91,397	49,90,825
	(च) वस्तुसूचियाँ	8	-	-	-
	(छ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	9	16,07,57,185	38,06,05,343	8,76,48,713
	उप कुल, गैर-चालू परिसंपत्तियाँ [(क) से (छ)]		**3,45,69,33,909**	**2,94,43,25,794**	**2,83,43,29,611**
(2)	**चालू परिसंपत्तियाँ**				
	(क) निवेश	10	29,51,17,659	26,05,17,204	31,87,75,358
	(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
	(i) व्यापार से प्राप्य	11	60,62,43,987	17,57,41,842	11,52,68,394
	(ii) नकद और नकद समतुल्य	12	13,46,52,640	31,41,47,899	7,14,16,800
	(iii) बैंक शेष[ऊपर के (ii) के अलावा]	13	2,18,29,605	1,49,09,927	1,90,97,609
	(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	14	17,09,636	15,94,137	10,07,750
	(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	15	8,17,46,942	13,19,99,120	3,61,46,154
	(घ) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	16	77,90,643	81,24,447	77,69,296
	उप कुल, चालू परिसंपत्तियाँ [(क) से (घ)]		**1,14,90,91,112**	**90,70,34,576**	**56,94,82,361**
	कुल परिसंपत्तियाँ		**4,60,60,25,021**	**3,85,13,60,370**	**3,40,38,11,972**
	इक्विटी और देयताएँ				
	इक्विटी				
	(क) इक्विटी शेयर पूँजी	17	59,22,63,500	37,83,67,800	18,32,29,300
	(ख) अन्य इक्विटी		1,01,36,08,534	69,10,15,859	39,82,16,843
	उप कुल इक्विटी [(क)+ (ख)]		**1,60,58,72,034**	**1,06,93,83,659**	**58,14,46,143**
	देयताएँ				
(1)	**गैर-चालू देयताएँ**				
	(क) वित्तीय देयताएँ				
	(i) उधार	18	22,52,09,012	-	-
	(ख) सरकारी अनुदान - आस्थगित	19	1,64,10,66,009	1,76,56,84,898	1,91,87,42,983
	(ग) प्रावधान	20	1,31,38,460	85,72,032	72,72,933
	(घ) आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	21	3,33,21,666	2,15,71,342	43,74,777
	उप कुल गैर-चालू देयताएँ [(क) से (घ)]		**1,91,27,35,147**	**1,79,58,28,272**	**1,93,03,90,693**
(2)	**चालू देयताएँ**				
	(क) वित्तीय देयताएँ				
	(i) उधार	22	34,54,78,113	77,55,60,113	24,72,86,912
	(ii) व्यापार देय	23	14,77,30,085	8,40,87,202	42,09,78,909
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	24	48,04,72,162	1,75,20,114	82,35,715
	(ख) अन्य चालू देयताएँ	25	1,84,90,996	2,33,44,350	12,92,99,891
	(ग) प्रावधान	26	6,84,32,432	7,84,08,679	7,23,05,807
	(घ) चालू कर देयताएँ (निवल)	27	2,68,14,051	72,27,981	1,38,67,902
	उप कुल चालू देयताएँ [(क) से (घ)]		**1,08,74,17,839**	**98,61,48,439**	**89,19,75,136**
	उप कुल देयताएँ (1+2)		**3,00,01,52,986**	**2,78,19,76,711**	**2,82,23,65,829**
	कुल इक्विटी एवं देयताएँ		**4,60,60,25,021**	**3,85,13,60,370**	**3,40,38,11,972**

साथ में दी गई टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
एमएसडीएम एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 112479W
-हस्ता-
दीपक सुगंधी
साझेदार
सदस्यता सं. 104950
स्थान - पुणे
दिनांक - 27 मई 2017

-हस्ता-
एम.वी. गौतमा
अध्यक्ष
-हस्ता-
आनंदी रामलिंगम
निदेशक
-हस्ता-
डीसीएन श्रीनिवास राव
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
दिनांक - 20 मई 2017

-हस्ता-
अजीत टी कलघट्गी
निदेशक
-हस्ता-
प्रिया एस अय्यर
कंपनी सचिव एवं सीएफओ

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का विवरण

राशि रु. में.

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
I	प्रचालनों से राजस्व	28	1,23,87,73,015	1,09,27,94,576
II	अन्य आय	29	7,33,53,556	2,21,20,315
III	अनुदान का अंतरण			
	(i) टीपीडीयूपी		8,52,827	8,11,891
	(ii) टीओटी एक्सडी-4		13,89,13,533	15,22,46,194
	कुल (i)+(ii)		13,97,66,360	15,30,58,085
IV	कुल आय(I+II+III)		**1,45,18,92,931**	**1,26,79,72,976**
V	व्यय			
	(क) खपत सामग्री की लागत	30	62,90,93,483	61,40,44,936
	(ख) तैयार माल, व्यापारगत माल और चालू कार्य की वस्तुसूचियों में परिवर्तन	31	(3,49,75,819)	1,35,84,711
	(ग) कर्मचारी हितलाभ व्यय	32	9,26,49,530	8,77,16,731
	(घ) उत्पाद शुल्क		23,80,03,680	7,95,84,223
	(ङ) वित्त लागत	33	7,40,49,592	6,95,61,532
	(च) मूल्यह्रास और परिशोधन के व्यय	1&3	19,97,01,791	19,69,19,328
	(छ) तकनीकी सहायता शुल्क	34	6,02,96,479	-
	(ज) अन्य व्यय	35	10,74,18,008	15,41,84,038
	कुल व्यय (V) (क) से (ज)		**1,36,62,36,744**	**1,21,55,95,499**
VI	असाधारण मदों तथा कर से पूर्व लाभ (IV-V)		**8,56,56,186**	**5,23,77,477**
VII	असाधारण मदें		-	-
VIII	कर पूर्व लाभ (VI-VII)		**8,56,56,186**	**5,23,77,477**
IX	कर व्यय -			
	(i) चालू कर (वर्ष का एमएटी))		2,57,43,872	73,24,954
	(ii) आस्थगित कर (एमएटी क्रेडिट हकदारिता सहित)		1,17,50,322	1,71,96,563
	कुल कर व्यय (i+ii)		**3,74,94,194**	**2,45,21,517**
X	वर्ष का लाभ (VIII-IX)		**4,81,61,992**	**2,78,55,960**
XI	अन्य व्यापक आय			
(क)	मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	(i) निर्धारित हितलाभ योजनाओं का पुन:मापन		(65,31,740)	(2,82,098)
	(ii) उपर्युक्त पर आय कर का प्रभाव		-	41,852
(ख)	मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	वर्ष की अन्य व्यापक आय, निवल कर (क + ख)		**(65,31,740)**	**(2,40,246)**
XII	अवधि की कुल व्यापक आय (X + XI) (अवधि का समाविष्ट लाभ/ (हानि) तथा अन्य व्यापक आय		**4,16,30,252**	**2,76,15,714**
XIII	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन			
(1)	मूल	36	**11.53**	**10.75**
(2)	परिवर्तित		**11.53**	**10.75**

साथ में दी गई टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

एमएसडीएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 112479W

- हस्ता.-
दीपक सुगंधी
साझेदार
सदस्यता सं. 104950

स्थान - पुणे
दिनांक - 27 मई, 2017

-हस्ता.-
एम. वी. गौतमा
अध्यक्ष

- हस्ता.-
आनंदी रामलिंगम
निदेशक

- हस्ता.-
डी.सी.एन. श्रीनिवास राव
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

- हस्ता.-
अजीत टी. कलघट्गी
निदेशक

- हस्ता.-
प्रिया एस. अय्यर
कंपनी सचिव एवं सीएफओ

स्थान - बेंगलूरु
दिनांक - 20 मई, 2017

01.04.2016 से 31.03.2017 की अवधि के लिए नकदी प्राप्ति का विवरण

राशि रु. में

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष केलिए
प्रचालनीय कार्यकलापों से नकदी प्राप्ति		
कर पूर्व लाभ	8,56,56,186	5,23,77,477
इनके लिए समायोजन -		
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	19,97,01,791	19,69,19,328
निवेशों की बिक्री से आय	(76,26,038)	(79,35,812)
वित्त लागत	7,40,49,592	6,95,61,532
सरकारी अनुदान का परिशोधन	(13,97,66,360)	(15,30,58,085)
निर्धारित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मापन	(65,31,740)	(2,82,098)
प्रचालनीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन		
व्यापार प्राप्यों में (बढ़ोत्तरी) /कमी	(43,05,02,142)	(6,04,73,444)
वस्तुसूचियों में (बढ़ोत्तरी) /कमी	(3,46,00,455)	5,82,58,154
व्यापार प्राप्यों में बढ़ोत्तरी/ (कमी)	6,36,42,882	(33,68,91,707)
अन्य वित्तीय देयताओं में बढ़ोत्तरी/ (कमी)	46,17,76,028	92,84,399
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (बढ़ोत्तरी) /कमी	53,11,395	(79,15,659)
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों में (बढ़ोत्तरी) /कमी	21,98,48,158	(29,29,56,630)
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (बढ़ोत्तरी) /कमी	5,02,52,178	(9,58,51,967)
प्रावधानों में बढ़ोत्तरी/ (कमी)	(54,09,819)	74,01,971
अन्य चालू देयताओं में बढ़ोत्तरी/ (कमी)	(48,53,354)	(10,59,55,541)
प्रचालनों से / में (प्रयुक्त) नकदी प्राप्ति	**53,09,48,302**	**(66,75,18,082)**
अदा किए गए आयकर	(58,23,998)	(1,42,78,174)
प्रचालनीय कार्यकलापों से / में (प्रयुक्त) निवल नकदी प्राप्ति - (क)	**52,51,24,304**	**(68,17,96,256)**
निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्राप्ति -		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के भुगतान	(10,12,35,827)	(75,86,831)
सीडबल्यूआईपी और अमूर्त परिसंपत्ति में बढ़ोत्तरी	(83,63,49,132)	9,57,222
मीयादी जमा से निवेश	(69,19,678)	41,87,682
प्राप्त ब्याज	76,26,038	79,35,812
निवेश संबंधी कार्यकलापों से / में (प्रयुक्त) निवल नकदी प्राप्ति - (ख)	**(93,68,78,599)**	**54,93,885**
वित्त संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्राप्ति		
प्राप्त अनुदान	1,51,47,471	-
उधार से चुकौती	(20,07,98,954)	53,97,76,452
वित्त लागत	(7,40,49,592)	(6,95,61,532)
शेयर जारी करने से प्राप्ति	49,19,60,110	44,88,18,550
वित्त संबंधी कार्यकलापों से / में (प्रयुक्त) निवल नकदी प्राप्ति - (ग)	**23,22,59,035**	**91,90,33,470**
नकद और नकद समतुल्यों में निवल बढ़ोत्तरी / (कमी) ((क)+(ख)+(ग))	**(17,94,95,259)**	**24,27,31,099**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य	31,41,47,899	7,14,16,800
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	**13,46,52,640**	**31,41,47,899**
नकदी प्राप्ति विवरण के अनुसार नकदी और नकदी प्राप्ति का समाधान		
उपर्युक्त के अनुसार नकदी और नकदी समतुल्य का समाधान जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं -		
नकदी और नकदी समतुल्य (टिप्पणी 12)	13,46,52,640	31,41,47,899
घटाएँ - बैंक शेष	-	-
नकदी प्राप्ति के विवरण के अनुसार शेष	**13,46,52,640**	**31,41,47,899**

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

एमएसडीएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 112479W

- हस्ता.-
दीपक सुगंधी
साझेदार
सदस्यता सं. 104950

स्थान - पुणे
दिनांक - 27 मई, 2017

-हस्ता.-
एम. वी. गौतमा
अध्यक्ष

- हस्ता.-
आनंदी रामलिंगम
निदेशक

- हस्ता.-
डी.सी.एन. श्रीनिवास राव
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

- हस्ता.-
अजीत टी. कलघट्गी
निदेशक

- हस्ता.-
प्रिया एस. अय्यर
कंपनी सचिव एवं सीएफओ

स्थान - बेंगलूरु
दिनांक - 20 मई, 2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूँजी

राशि रु. में

यथा 01.04.2015 को शेष		वर्ष के दौरान इक्विटी पूँजी में परिवर्तन		यथा 31.03.2016 को शेष	
शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
18,32,293	18,32,29,300	19,51,385	19,51,38,500	37,83,678	37,83,67,800

राशि रु. में

यथा 01.04.2016 को शेष		वर्ष के दौरान इक्विटी पूँजी में परिवर्तन		यथा 31.03.2017 को शेष	
शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
37,83,678	37,83,67,800	21,38,957	21,38,95,700	59,22,635	59,22,63,500

ख. अन्य इक्विटी

राशि रु. में

विवरण	प्रारक्षण एवं अधिशेष		अन्य व्यापक आय की मदें	अन्य प्रारक्षण	कुल इक्विटी
	प्रतिभूति प्रीमियम प्रारक्षण	धारित अर्जन			
यथा 1 अप्रैल 2015 को शेष	-	39,82,16,843	-	-	**39,82,16,843**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर जारी करना	25,36,80,050	-	-	-	**25,36,80,050**
वर्ष का लाभ	-	2,78,55,960	-	-	**2,78,55,960**
वर्ष की अन्य व्यापक आय (निवल कर)	-	-	(2,40,246)	-	**(2,40,246)**
बाज़ार दर से कम दर पर उधार लेने के कारण पूँजी का अंशदान	-	-	-	1,15,03,252	**1,15,03,252**
यथा 31 मार्च 2016 को शेष	**25,36,80,050**	**42,60,72,803**	**(2,40,246)**	**1,15,03,252**	**69,10,15,859**
यथा 1 अप्रैल 2016 को शेष	25,36,80,050	42,60,72,803	(2,40,246)	1,15,03,252	**69,10,15,859**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर जारी करना	27,80,64,410	-	-	-	**27,80,64,410**
वर्ष का लाभ	-	4,81,61,993			**4,81,61,993**
वर्ष की अन्य व्यापक आय (निवल कर)	-	-	(65,31,740)	-	**(65,31,740)**
बाज़ार दर से कम दर पर उधार लेने के कारण पूँजी का अंशदान	-	-	-	40,74,033	**40,74,033**
वर्ष की कुल व्यापक आय	**53,17,44,460**	**47,42,34,796**	**(67,71,986)**	**1,55,77,285**	**1,01,47,84,555**
कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के प्रति खर्च	-	(11,76,020)	-	-	**(11,76,020)**
यथा 31 मार्च 2017 को शेष	**53,17,44,460**	**47,30,58,776**	**(67,71,986)**	**1,55,77,285**	**1,01,36,08,535**

भारतीय-ए.एस. को पहली बार अपनाने पर टिप्पणी

भारतीय-ए.एस. में संक्रमण

ये कंपनी के पहले वित्तीय विवरण हैं जो भारतीय-ए.एस. के अनुसार तैयार किए गए हैं। भारतीय ए.एस. में संक्रमण करने से वित्तीय विवरणों की तैयारी में, उसकी टिप्पणियों में प्रकटण और लेखा नीतियों व सिद्धांतों में परिवर्तन हुए हैं। वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न लेखा नीतियाँ 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों और तुलनात्मक सूचना को तैयार करने में प्रयोग में लाई गई हैं। भारतीय ए.एस. में संक्रमण करने के प्रयोजनार्थ, कंपनी ने पिछले जीएएपी से संक्रमण करने की तारीख के रूप में 1 अप्रैल, 2015 से भारतीय-ए.एस. 101 (भारतीय लेखा मानकों को पहली बार अपनाना) में वर्णित दिशा-निर्देशों का पालन किया है। पिछले जीएएपी से भारतीय-एएस में संक्रमण ने कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन और नकदी प्राप्ति को किस तरह प्रभावित किया है, इस पर एक व्याख्या नीचे दिए गए टेबल और टिप्पणियों में दी गई है।

प्राप्त छूट और अपवाद

पिछले जीएएपी से भारतीय-एएस में संक्रमण करने में लागू भारतीय-एएस के 101 वैकल्पिक छूट और आज्ञापक अपवाद नीचे दिए गए हैं -

भारतीय-ए.एस. के वैकल्पिक छूट

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, अमूर्त परिसंपत्तियाँ और निवेश संपत्ति - जिन्हें लागत माना गया है

भारतीय-एएस 101 में भारतीय-एएस के संक्रमण की तारीख पर पिछले वित्तीय विवरणों में अभिचिह्नित इसकी सभी परिसंपत्तियों, संयंत्र और उपस्करों को जारी रखने के लिए इसे पहली बार अपनाने को अनुमति दी गई है और इसमें देयताओं का कार्यारंभ न करने के आवश्यक समायोजन करने के बाद संक्रमण की तारीख को इसकी मानी हुई लागत का प्रयोग किया गया है। इस छूट का प्रयोग अमूर्त परिसंपत्तियों और निवेश संपत्ति के लिए भी किया जा सकता है।

तदनुसार, कंपनी ने अपनी सभी संपत्तियों, संयंत्र और उपस्करों, अमूर्त परिसंपत्तियों और निवेश संपत्तियों का मापन पिछले जीएएपी के वहनीय मूल्य में करने का विकल्प लिया है। ऊपर बताए अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के वहनीय मूल्य कार्यारंभ न करने की देयताओं के संबंध में समायोजन करने के बाद हैं।

पट्टे

भारतीय-एएस 17 के परिशिष्ट-ग में इस बात का मूल्यांकन करने के लिए एक स्वत्व की आवश्यकता बताई गई है क्या किसी संविदा या व्यवस्था में पट्टा शामिल है या नहीं। भारतीय-एएस 17 के अनुसार, ऐसा मूल्यांकन संविदा या व्यवस्था के प्रारंभ में किया जाना चाहिए। भारतीय-एएस 101 में, भारतीय-एएस में संक्रमण की तारीख में विद्यमान तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर यह मूल्यांकन करने का विकल्प दिया गया है सिवाय ऐसे मामलों के जहाँ इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं माना गया है।

कंपनी ने इस छूट को प्राप्त करने का विकल्प लिया है।

क. संक्रमण की तारीख (1 अप्रैल 2015) को इक्विटी का समाधान

राशि रु. में

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी	1 अप्रैल, 2015 को प्रारंभिक तुलन-पत्र			31 मार्च, 2016 को तुलन-पत्र		
			आईजीएएपी	भारतीय-एएस में संक्रमण करने का प्रभाव	भारतीय-एएस	आईजीएएपी	भारतीय-एएस में संक्रमण करने का प्रभाव	भारतीय-एएस
	परिसंपत्तियाँ							
(1)	**गैर-चालू परिसंपत्तियाँ**							
(क)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	1	89,53,26,868	-	89,53,26,868	83,10,08,138	-	83,10,08,138
(ख)	चालू पूँजी कार्य	2	17,33,014	-	17,33,014	7,75,792	-	7,75,792
(ग)	अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3	1,84,25,97,541	-	1,84,25,97,541	1,65,34,12,692	6,41,71,082	1,71,75,83,774
(घ)	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4	-	-	-	-	-	-
(ङ)	वित्तीय परिसंपत्तियाँ			-	-			
	(i) व्यापार से प्राप्य	5	-	-	-	-	-	-
	(ii) ऋण	6	20,32,650	-	20,32,650	27,61,350	-	27,61,350
	(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	7	49,90,825	-	49,90,825	1,15,91,397	-	1,15,91,397
(च)	वस्तुसूचियाँ	8	-	-	-	-	-	-
(छ)	अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	9	8,76,48,713	-	8,76,48,713	38,06,05,343	-	38,06,05,343
	उप कुल, गैर चालू परिसंपत्तियाँ (क से छ)		**2,83,43,29,611**	**-**	**2,83,43,29,611**	**2,88,01,54,712**	**6,41,71,082**	**2,94,43,25,794**
(2)	चालू परिसंपत्तियाँ							
(क)	वस्तुसूचियाँ	10	31,87,75,358	-	31,87,75,358	26,05,17,204	-	26,05,17,204
(ख)	वित्तीय परिसंपत्तियाँ							
	(i) व्यापार से प्राप्य	11	11,52,68,394	-	11,52,68,394	17,57,41,842	-	17,57,41,842
	(ii) नकद और नकद समतुल्य	12	7,14,16,800	-	7,14,16,800	31,41,47,899	-	31,41,47,899
	(iii) बैंक शेष [ऊपर के (ii) के अलावा]	13	1,90,97,609	-	1,90,97,609	1,49,09,927	-	1,49,09,927
	(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	14	10,07,750	-	10,07,750	15,94,137	-	15,94,137
(ग)	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	15	3,61,47,154	-	3,61,47,154	13,19,99,120	-	13,19,99,120
(घ)	चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	16	77,69,296	-	77,69,296	81,24,447	-	81,24,447
	उप कुल, चालू परिसंपत्तियाँ (क से घ)		**56,94,82,361**	**-**	**56,94,82,361**	**90,70,34,576**	**-**	**90,70,34,576**
	कुल परिसंपत्तियाँ		**3,40,38,11,972**	**-**	**3,40,38,11,972**	**3,78,71,89,288**	**6,41,71,082**	**3,85,13,60,370**
	इक्विटी तथा देयताएँ							
	इक्विटी							
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	17	18,32,29,300	-	18,32,29,300	37,83,67,800	-	37,83,67,800
(ख)	अन्य इक्विटी		39,82,16,843	-	39,82,16,843	67,61,74,328	1,48,41,531	69,10,15,859
	उप कुल, इक्विटी (क+ख)		**58,14,46,143**	**-**	**58,14,46,143**	**1,05,45,42,128**	**1,48,41,531**	**1,06,93,83,659**
	देयताएँ							
(1)	गैर-चालू देयताएँ							
(क)	वित्तीय देयताएँ							
	(i) उधार	18	-	-	-	-	-	-
(ख)	अनुदान	19	1,91,87,42,983	-	1,91,87,42,983	1,71,12,95,458	5,43,89,440	1,76,56,84,898
(ग)	प्रावधान	20	72,72,933	-	72,72,933	85,72,032	-	85,72,032
(घ)	आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	21	43,74,777	-	43,74,777	1,83,38,005	32,33,337	2,15,71,342
	उप कुल, गैर-चालू परिसंपत्तियाँ (क से घ)		**1,93,03,90,693**	**-**	**1,93,03,90,693**	**1,73,82,05,495**	**5,76,22,777**	**1,79,58,28,272**
(2)	चालू देयताएँ							
(क)	वित्तीय देयताएँ							
	(i) उधार	22	24,72,86,912	-	24,72,86,912	78,38,53,339	(82,93,226)	77,55,60,113
	(ii) व्यापार देय	23	42,09,78,909	-	42,09,78,909	8,40,87,202	-	8,40,87,202
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	24	82,35,715	-	82,35,715	1,75,20,114	-	1,75,20,114
(ख)	अन्य चालू देयताएँ	25	12,92,99,891	-	12,92,99,891	2,33,44,350	-	2,33,44,350
(ग)	प्रावधान	26	7,23,05,807	-	7,23,05,807	7,84,08,679	-	7,84,08,679
(घ)	अन्य चालू देयताएँ (निवल)	27	1,38,67,902	-	1,38,67,902	72,27,981		72,27,981
	उप कुल, चालू देयताएँ (क से घ)		**89,19,75,136**		**89,19,75,136**	**99,44,41,665**	**(82,93,226)**	**98,61,48,439**
	कुल इक्विटी और देयताएँ		**3,40,38,11,972**	**-**	**3,40,38,11,972**	**3,78,71,89,288**	**6,41,71,082**	**3,85,13,60,370**

ख. कुल व्यापक आय का समाधान

राशि रु. में

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए		
			आईजीएएपी	भारतीय-एएस समायोजन	भारतीय-एएस
I	प्रचालनों से राजस्व	28	1,06,63,55,057	2,64,39,519	1,09,27,94,576
II	अन्य आय	29	2,21,20,315	-	2,21,20,315
III	अनुदान का अंतरण				
	(क) टीपीडीयूपी		8,11,891	-	8,11,891
	(ख) टीओटी XD-4		20,66,35,634	(5,43,89,440)	15,22,46,194
	कुल (क+ख)		20,74,47,525	(5,43,89,440)	15,30,58,085
IV	**कुल आय (I+II+III)**		1,29,59,22,897	(2,79,49,921)	1,26,79,72,976
V	व्यय				
क	खपत सामग्री का लागत	30	61,17,34,195	-	61,17,34,195
ख	तैयाल माल, व्यापारगत माल और चालू कार्य की वस्तुसूचियों में परिवर्तन	31	1,35,84,711	-	1,35,84,711
ग	कर्मचारी हितलाभ व्यय	32	8,79,98,829	(2,82,098)	8,77,16,731
घ	उत्पाद शुल्क		7,95,84,223	-	7,95,84,223
ङ	वित्त लागत	33	3,99,11,987	2,96,49,545	6,95,61,532
च	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	1&3	26,10,90,410	(6,41,71,082)	19,69,19,328
छ	तकनीकी सहायता शुल्क	34	-	-	-
ज	अन्य व्यय	35	15,64,94,779	-	15,64,94,779
	कुल व्यय (क से ज)		1,25,03,99,134	(3,48,03,635)	1,21,55,95,499
VI	असाधारण मदों व कर पूर्व लाभ (IV-V)		4,55,23,763	68,53,714	5,23,77,477
VII	असाधारण मदें		-	-	-
VIII	कर पूर्व लाभ (VI-VII)		4,55,23,763	68,53,714	5,23,77,477
X	कर व्यय				
(i)	चालू कर (वर्ष का एमएटी)		72,83,102	41,852	73,24,954
(ii)	आस्थगित कर (एमएटी क्रेडिट की हकदारिता सहित)		1,39,63,226	32,33,337	1,71,96,563
	कुल कर व्यय (i+ii)		2,12,46,328	32,75,189	2,45,21,517
X	अवधि का लाभ (VIII - IX)		2,42,77,435	35,78,525	2,78,55,960
XI	**अन्य व्यापक आय / (हानि)**				
	ऐसी मदें जिन्हें लाभ व हानि के बाद पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा				
क	निवल निर्धारित देयता / परिसंपत्तिया का पुनर्मापन		-	(2,82,098)	(2,82,098)
ख	इन मदों से संबंधित आय कर		-	41,852	41,852
	वर्ष के अन्य व्यापक आय / (हानि), निवल कर (क+ख)		-	(2,40,246)	(2,40,246)
XII	**अवधि (X+XI) की कुल व्यापक आय [अवधि के लाभ तथा अन्य व्यापक आय / हानि सहित]**		2,42,77,435	33,38,279	2,76,15,714

ग. 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्राप्ति विवरणी पर भारतीय एएस का प्रभाव

राशि रु. में

विवरण	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए (आईजीएएपी)	भारतीय-एएस समायोजन	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए (भारतीय-एएस)
प्रचालनीय कार्यकलापों से / में (प्रयुक्त) निवल नकदी प्राप्ति	(70,82,46,217)	2,64,49,961	(68,17,96,256)
निवेश संबंधी कार्यकलापों से / में (प्रयुक्त) निवल नकदी प्राप्ति	54,93,885	-	54,93,885
वित्त संबंधी कार्यकलापों से / में (प्रयुक्त) निवल नकदी प्राप्ति	94,54,83,431	(2,64,49,961)	91,90,33,470
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी)	24,27,31,099	-	24,27,31,099
यथा 1 अप्रैल 2015 को नकदी और नकद समतुल्य	7,14,16,800	-	7,14,16,800
31 मार्च 2016 को नकदी और नकद समतुल्य	31,41,47,899	-	31,41,47,899

नोट - बीईएल द्वारा किए गए अस्थाई वित्त-पोषण पर कीमत बट्टे और प्रचालनीय कार्यकलापों से वित्तीय कार्यों की पूर्वावधि मदों का पुनर्वर्गीकरण

यथा 31 मार्च 2016 और 1 अप्रैल 2015 को अन्य इक्विटी का समाधान

राशि रु. में

विवरण	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
पिछले जीएएपी के अनुसार अन्य इक्विटी (शेयरधारकों की निधि)	67,61,74,328	39,82,16,843
संबंधित अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल में परिवर्तन के कारण परिशोधित अनुदान का व्युत्क्रमण	(5,43,89,440)	-
उपयोगी जीवनकाल में परिवर्तन के कारण अमूर्त लाइसेंस शुल्क (एक्सडी-4) की परिशोधित लागत में कमी	6,41,71,082	-
मूल कंपनी से उधार के उचित मूल्यांकन पर अतिरिक्त वित्त लागत	(32,10,026)	
बाज़ार दर से कम दर पर उधार के कारण पूँजी अंशदान	1,15,03,252	
इन परिवर्तनों का कर समायोजन	(32,33,337)	-
भारतीय एएस के अनुसार अन्य इक्विटी (शेयरधारकों की निधि)	**69,10,15,859**	**39,82,16,843**

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय का समाधान

राशि रु. में

विवरण	31 मार्च 2016
पिछले जीएएपी के अनुसार कर पश्चात् लाभ	2,42,77,435
संबंधित अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल में परिवर्तन के कारण परिशोधित अनुदान का व्युत्क्रमण	(5,43,89,440)
उपयोगी जीवनकाल में परिवर्तन के कारण अमूर्त लाइसेंस शुल्क (एक्सडी-4) की परिशोधित लागत में कमी	6,41,71,082
मूल कंपनी से उधार के उचित मूल्यांकन पर अतिरिक्त वित्त लागत	(32,10,026)
इन परिवर्तनों का कर समायोजन	(32,33,337)
भारतीय एएस के अनुसार कुल व्यापक आय	**69,10,15,859**

पहली बार भारतीय-एएस को अपनाने संबंधी टिप्पणियाँ

i) आस्थगित कर

भारतीय-एएस में संक्रमण करने के परिणामस्वरूप किए गए समायोजनों के कारण हुए अस्थायी समय अंतर के संबंध में आस्थगित कर समायोजन किए गए। इसके कारण आस्थगित कर परिसंपत्ति / देयता में रु. 32,33,337/- तक के मूल्य में वृद्धि / कमी हुई।

ii) उत्पाद शुल्क

पिछले जीएएपी के तहत, उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राजस्व को उत्पाद शुल्क को अनन्य रूप से दिखाया जाता था। भारतीय-एएस के तहत, माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व को उत्पाद शुल्क को शामिल कर दिखाया जाता है। इस उत्पाद शुल्क को लाभ व हानि के विवरण में व्यय के रूप में दिखाया जाता है। इस परिवर्तन से 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के कुल राजस्व और कुल व्यय में रु. 7,95,84,223 तक की वृद्धि हुई। इसके कारण कुल इक्विटी और लाभ में कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

iii) नियोजन के बाद के हितलाभ संबंधी देयताएँ

भारतीय-एएस के तहत, निर्धारित हितलाभ योजनाओं पर लब्धियों / हानियों का पुनर्मापन अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में किया जाता है। पिछले जीएएपी के तहत, इन्हें लाभ व हानि खाते के विवरण में अभिचिह्नित किया जाता था। बहरहाल, इसका कुल व्यापक आय और इक्विटी पर यथा 1 अप्रैल 2015 को या 31 मार्च 2016 को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

iv) लाइसेंस शुल्क

कंपनी ने भारतीय-एएस में की गई अपेक्षा के अनुसार लाइसेंस करार की अवधि के अनुसार लाइसेंस शुल्क (एक्सडी-4 परियोजना) के परिशोधन की अवधि को दस वर्षों से बदलकर पंद्रह वर्ष कर दिया है। उक्त परिवर्तन के कारण अमूर्त परिसंपत्ति का सकल वहनीय मूल्य बढ़कर रु. 6,41,71,082 हुआ और लाइसेंस शुल्क के परिशोधन में संबंधित कमी भी हुई। साथ ही, चूँकि एक्सडी-4 परियोजना का वित्त पोषण अनुदान द्वारा किया गया है, अनुदान के मूल्य की राशि रु. 5,43,89,440 तक समायोजित की गई है। इसके परिणामस्वरूप, अनुदान की शेष राशि रु. 1,71,12,95,458 से बढ़कर रु. 1,76,56,84,898 हुई।

v) अन्य व्यापक आय

भारतीय-एएस के तहत, अवधि में अभिचिह्नित आय तथा व्यय की सभी मदों को अवधि के लाभ या हानि में शामिल किया जाना चाहिए, जब तक कि किसी मानक में अन्यथा आवश्यक न बताया गया हो या इसकी अनुमति न दी गई हो। आय तथा व्यय की ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि में अभिचिह्नित नहीं किया गया है परन्तु 'अन्य व्यापक आय' के रूप लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया गया है, में निर्धारित हितलाभ योजनाओं का पुनर्मापन शामिल होगा। इसका प्रभाव (निवल कर) रु. 2,47,648 है। अन्य व्यापक आय की अवधारणा पिछले जीएएपी में नहीं थी

vi) अस्थायी वित्तीय सहायता पर ब्याज

अस्थायी वित्तीय सहायता पर धारक कंपनी द्वार प्रभारित ब्याज जिसे इससे पहले विक्रयावर्त के समक्ष समायोजित किया जाता था, अब वित्तीत लागत माना जाता है। इसके कारण विक्रयावर्त रु. 2,64,39,519/- तक बढ़ा और ब्याज व्यय रु. 2,64,39,519/-तक बढ़ा। इसका लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

vii) उधार

धारक कंपनी मे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बाज़ार की ब्याज दर से कम दर पर ऋण प्रदान किया है जिसके परिणामस्वरूप, ऋण को एएस 109 के अनुसार समायोजित किया गया। इसके परिणामस्वरूप, रु. 50 करोड़ का उधार बट्टागत किया गया और उसे रु. 48.85 करोड़ के उचित मूल्य पर हिसाब में लिया गया। रु. 1.15 करोड़ के संबंधित प्रबाव को नीचे दिए गए बाज़ार दर उधार के कारण पूँजी अंशदान के रूप में अन्य इक्विटी के तहत दिखाया गया।

viii) वित्त लागतें

एएस 109 के अनुसार, धारक कंपनी से उधार पर ब्याज को बट्टागत दर जिस पर ऋण दिया गया, के स्थान पर बाज़ार के ब्याज दर पर प्रभारित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष की वित्त लागतें रु. 32,10,026/- तक बढ़ गई और इसी सीमा तक कर पूर्व लाभ कम हुआ।

ix) पूर्वावधि त्रुटियाँ / चूक

भारतीय-एएस में की गई अपेक्षा अनुसार, यदि पूर्वावधि की त्रुटियाँ और चूक महत्वपूर्ण हैं तो उन्हें पूर्व में प्रस्तुत अवधि की परिसंपत्तियों, देयताओं और इक्विटी के प्रारंभिक शेष में दोबारा बताते हुए समायोजित किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, वर्ष 2015-16 में रिपोर्ट किए गए रु. 1,53,552/- के पूर्वावधि व्यय (निवल) को संबंधित व्यय में संबंधित वृद्धि के साथ समायोजित किया गया। इसका लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

कार्पोरेट सूचना

इस रिपोर्ट के साथ में दिए गए वित्तीय विवरणों में बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लि., पुणे (बेलॉप) (कंपनी) के वित्तीय विवरण दिए गए हैं। कंपनी भारत में स्थित एक सरकारी कंपनी है और यह भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत निगमित है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के पूर्व स्वामित्व की सहायक कंपनी है। यह कंपनी रक्षा प्रणालियों में प्रयोग किए जाने वाले इमेज इन्टेन्सीफायर ट्यूब और संबंधित उच्च वोल्टता की पावर सप्लाई यूनिटों का निर्माण करती है।

1. तैयार करने का आधार तथा अनुपालन संबंधी विवरण

(i) वित्तीय विवरणों को लेखांकन के प्रोद्भवन आधार पर, भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किया गया है। जीएएपी में आज्ञापक भारतीय लेखा मानक (भारतीय-एएस) [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 जिसे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 के साथ पढ़ा जाना है], जहाँ तक लागू हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान शामिल हैं और इनका सतत् रूप से पालन किया गया है।

(ii) ये भारतीय-एएस के अनुसार तैयार किए गए कंपनी के पहले वार्षिक वित्तीय विवरण हैं। कंपनी ने सभी लागू भारतीय-एएस को अपनाया है जिन्हें भारतीय-एएस 101 - भारतीय लेखा मानकों का पहली बार अपनाया जाना, के अनुसार अपनाया गया है। भारतीय-एएस के संक्रमण ने रिपोर्ट की गई वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन और कंपनी की नकदी प्राप्ति को किस तरह प्रभावित किया है, इसकी व्याख्या इन वित्तीय विवरणों में दी गई है।

2. प्राक्कलनों का प्रयोग

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने में यह आवश्यक होता है कि प्रबंधन ऐसे प्राक्कलन और मान्यताओं को अपनाए जो परिसंपत्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशियों, वित्तीय विवरणों की तारीख में आकस्मिक देयताओं के प्रकटण और रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व और व्ययों की राशियों को प्रभावित करते हैं। हालांकि ऐसे प्राकक्लन सभी उपलब्ध सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए उचित और दूरदर्शी आधार पर किए गए हैं, तथापि वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं और ऐसे अंतर को उस अवधि में अभिचिह्नित किया जाता है जिसमें ऐसे परिणाम अभिनिश्चित किए जाते हैं।

3. मापन का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं सिवाय निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देयताओं के, जिन्हें उचित मूल्य में मापा गया है -

1. व्युत्पन्नी वित्तीय विलेख, यदि कोई हो
2. वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएँ जो उनके उचित मूल्य में मापे जाने हेतु अर्हताप्राप्त हैं।
3. निर्धारित हितलाभ परिसंपत्ति/ देयता को निर्धारित अनुलाभ देयता के वर्तमान मूल्य में से योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को घटाकर अभिचिह्नित किया गया है।

4. कार्यशील तथा प्रचलित मुद्रा

इन वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए (आईएनआर) में दर्शाया गया है जो कंपनी की कार्यशील और प्रचलित मुद्रा

5. राजस्व का अभिचिह्नन

(i) माल की बिक्री

माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल, निवल प्राप्तियाँ, व्यापार का बट्टा और रीबेट की प्रमात्रा के उचित मूल्य पर दिखाया जाता है। राजस्व को तब अभिचिह्नित किया जाता है जब स्वामित्व के उल्लेखनीय जोखिम और प्रतिफल बिक्री करार के निबंधनों के अनुसार ग्राहक को अंतरित कर दिए जाते हैं, उसमें न प्रबंधन की सतत् सहभागिता रखी जाती है और न ही माल पर उसका प्रभावी नियंत्रण रखा जाता है, प्रतिफल की वसूली संभाव्य होती है और उपगत लागत तथा राजस्व को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है। जोखिमों और प्रतिफल के अंतरण के समय का मूल्यांकन बिक्री करार के एन्को-निबंधनों के आधार पर किया जाता है।

(ii) कारखाना संविदा

कारखाना संविदा के मामले में, राजस्व को तब अभिचिहनित किया जाता है जब निर्दिष्ट माल को पूर्व निरीक्षण एवं स्वीकृति, यदि आवश्यक हो, के बाद संविदा में बिना शर्त विनियोजित किया जाता है।

(iii) संविदाओं के लिए

एफओआर संविदाओं के मामले में, जब माल पूर्व निरीक्षण एवं स्वीकृति, यदि निर्दिष्ट हो, के बाद खरीददार को पारेषण हेतु वाहक को सौंपा जाता है और एफओआर गंतव्य स्थल की संविदाओं के मामले में, यदि इस बात की औचित्यपूर्ण अपेक्षा हो कि माल लेखा अवधि के भीतर गंतव्य स्थल तक पहुंच जाएगा। ग्राहक के अनुरोध पर माल को कंपनी में रखे जाने पर भी राजस्व को अभिचिह्नित किया जाता है।

(iv) सेवाओं से प्राप्त राजस्व

सेवा संविदाओं से संबंधित राजस्व और लागतों को प्रदान की गई संबंधित सेवाओं के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है। निश्चित मूल्य की संविदाओं के लिए, राजस्व को रिपोर्टिंग की तारीख में संव्यवहार के पूरे किए जाने की अवस्था के अनुपात में अभिचिह्नित किया जाता है। पूरे किए जे की अवस्था का मूल्यांकन किए गए कार्य के संदर्भ में किया जाता है। यदि नियत प्रतिफल की वसूली के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता हो या यदि उपगत लागत अथवा उपगत होने वाली लागत का मापन विश्वसनीय ढंग से करना संभव न हो तो राजस्व का अभिचिह्नन नहीं किया जाता है।

(v) बिक्री में बिक्री कर / मूल्य वर्धित कर (वैट) शामिल नहीं है और उत्पाद शुल्क शामिल है।

(vi) कीमत में बढ़ोत्तरी तथा विदेशी मुद्रा में विचलन संबंधी दावे

ऐसी संविदाओं के मामले में जहाँ ग्राहकों द्वारा अतिरिक्त प्रतिफल निर्धारित या अनुमोदित किया जाना है, ऐसे अतिरिक्त राजस्व को ग्राहक से पुष्टिकरण प्राप्त होने पर अभिचिह्नित किया जाता है।

(vii) ब्याज से प्राप्त आय

ब्याज से प्राप्त आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का प्रयोग करते हुए अभिचिह्नित किया जाता है।

(viii) अन्य आय

ऊपर विशिष्ट रूप से न बताई गई अन्य आय को प्रोद्भवन आधार पर अभिचिह्नित किया जाता है।

6. वस्तुसूचियाँ

(i) कच्चे माल, भंडार व पुर्जे तथा मार्गस्थ माल को निम्नतर लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया गया तथा सामग्री की लागत को भारित औसत आधार पर निर्धारित किया गया।

(ii) चालू कार्य का मूल्यांकन निम्नतर लागत तथा निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया ह। लागत में सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और उचित ऊपरीव्यय शामिल हैं।

(iii) तैयार माल का मूल्यांकन निम्नतर लागत तथा निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया।

(iv) कारखाने में पड़े तैयार माल में लागू उत्पाद शुल्क शामिल है।

7. मूल्यह्रास / परिशोधन मूल्यह्रास

मूल्यह्रास का परिकलन परिसंपत्तियों के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल पर सीधी-रेखा आधार पर किया जाता है। तकनीकी विशेषज्ञों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में वर्णित विधि से परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल का प्राक्कलन करती है। प्रबंधन का मानना है कि ये प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल वास्तविक हैं और उस अवधि के उचित अनुमान को दर्शाते हैं जिसमें परिसंपत्तियों का उपयोग किया जाना संभावित है।

जहाँ किसी परिसंपत्ति के किसी भाग की लागत उसकी कुल लागत में उल्लेखनीय होती है और ऐसे भाग का प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल शेष परिसंपत्ति के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल से अलग होता है तो ऐसे उल्लेखनीय भाग का प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल अलग से निर्धारित किया जाता है और ऐसे उल्लेखनीय भाग का मूल्यह्रास उसके प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल पर सीधी-रेखा विधि द्वारा किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवनकाल और मूल्यह्रास की विधियों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में की जाती है और उचित समझे जाने पर उन्हें भविष्यलक्षी रूप से समायोजित किया जाता है।

संयंत्र और मशीनरी की कुछेक मदों का मूल्यह्रास प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल पर प्रभारित किया जाता है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में वर्णित उपयोगी जीवनकाल से अलग होते हैं।

परिशोधन

परिशोधन का परिकलन अमूर्त परिसंपत्तियों के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल में सीधी-रेखा विधि का प्रयोग करते हुए उनकी लागत को बट्टा खाते में डालने के लिए किया जाता है और आम तौर पर लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित किया जाता है। परिशोधन की विधियों, उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में की जाती है और उचित समझे जाने पर उन्हें समायोजित किया जाता है।

8. संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों का निपटान

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की कोई मद और उसका कोई महत्वपूर्ण हिस्सा जिसे प्रारंभ में अभिचिह्नित किया गया है, उसे निपटान करने पर या उसके प्रयोग अथवा निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक हितलाभ अपेक्षित न हो, उसे अभिचिह्नित मदों से हटा दिया जाता है। परिसंपत्ति का अभिचिह्नित वर्ग से हटाने से होने वाले लाभ या हानि (निवल निपटान की प्राप्तियों और परिसंपत्ति की वहनीय राशि के बीच के अंतर के रूप में परिकलित) को लाभ व हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

9. कर्मचारी हितलाभ

(i) सभी कर्मचारियों के हितलाभ जो संबंधित सेवा प्रदान करने के बारह महीनों में देय होते हैं, उन्हें अल्पकालीन कर्मचारी हितलाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और मुख्य रूप से (क) मजदूरी व वेतन; (ख) अल्पकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थिति; (ग) प्रोत्साहन व बोनस जिनका मूल्यांकन बट्टारहित आधार पर किया जाता है और सेवाएँ प्रदान की गई अवधि के दौरान अभिचिह्नित किया जाता है, में शामिल किया जाता है

(ii) दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थितियों के भुगतान की वृद्धिशील देयता जैसे वार्षिक छुट्टी का निर्धारण प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करते हुए बीमांकक आधार पर वार्षिक रूप से निर्धारित देयता के वर्तमान मूल्य और तुलन-पत्र में शामिल किए गए प्रावधान के वहनीय मूल्य, जिसका प्रावधान किया गया है, के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है।

(iii) कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन योजना के प्रति निर्धारित अंशदान मासिक प्रोद्भवन आधार पर लागू दरों पर किया जाता है। अधिवार्षिता योजना के प्रति निर्धारित अंशदान लागू दरों पर वार्षिक आधार पर किया जाता है।

(iv) उपदान – कर्मचारियों को उपदान के भुगतान की वृद्धिशील देयता का निर्धारण प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करते हुए बीमांकक आधार पर वार्षिक रूप से निर्धारित देयता के वर्तमान मूल्य और अनुमोदित ट्रस्ट जिसकी स्थापना इसमें एकमुश्त अंशदान करने के प्रयोजनार्थ की गई थी, में वित्तपोषित योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है।

(v) बीमांकक लब्धियाँ और हानियाँ तथा योजित परिसंपत्तियों पर प्राप्त (ब्याज छोड़कर) तथा परिसंपत्ति की निर्दिष्ट सीमा के प्रभाव (यदि कोई हो, ब्याज छोड़कर) को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में तुरंत अभिचिह्नित किया जाता है। निवल निर्धारित देयता (परिसंपत्तियाँ) पर निवल ब्याज व्यय (आय) का परिकलन वर्ष के दौरान किए गए अंशदान और हितलाभ भुगतानों के परिणामस्वरूप, किसी परिवर्तन को ध्यान में रखने के बाद, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में निवल निर्धारित देयता (परिसंपत्ति) की माप करने में प्रयुक्त, बट्टागत दर लागू करते हुए किया जाता है।

निर्धारित हितलाभ योजनाओं से संबंधित निवल ब्याज व्यय तथा अनय् व्ययों को लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित किया जाता है।

जब किसी योजना के हितलाभों में परिवर्तन होता है या योजना को सीमित किया जाता है तो हितलाभ में इसके परिणामस्वरूप होने वाले परिवर्तन जो पिछली सेवा या योजना को सीमित करने पर लाभ या हानि से संबंधित होते हैं, उन्हें लाभ व हानि के विवरण में तत्काल अभिचिह्नित किया जाता है।

10. आय कर

आय कर में चालू और आस्थगित कर शामिल होते हैं -

(i) चालू आय कर

चालू कर परिसंपत्तियों और देयताओं को वसूली किए जाने योग्य अथवा कराधान प्राधिकारियों के अदा की जाने वाली राशि पर मापा जाता है। इस राशि का परिकलन करने में प्रयुक्त कर की दरें या कर नियम वे होते हैं जो अधिनियमित होते हैं या रिपोर्टिंग की तारीख में बाद में अधिनियमित होते हैं। इक्विटी में सीधे अभिचिह्नित मदों से संबंधित चालू कर को इक्विटी में अभिचिह्नित किया जाता है, लाभ व हानि के विवरण में नहीं।

लाभ व हानि के विवरण से बाहर अभिचिह्नित मदों से संबंधित आस्थगित कर को लाभ व हानि के विवरण से बाहर अभिचिह्नित किया जाता है।

(ii) आस्थगित कर

परिसंपत्तियों एवं देयताओं के कर आधार तथा रिपोर्टिंग की तारीख में वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजनार्थ उनकी वहनीय राशियों के बीच के अस्थायी अंतरों पर तुलन-पत्र विधि का प्रयोग करते हुए आस्थगित कर का प्रावधान किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थाई अंतरों, आगे ले जे योग्य अप्रयुक्त कर क्रेडिटों तथा अप्रयुक्त कर हानियों, जहाँ तक यह संभाव्य हो कि ऐसा कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके समक्ष कटौती योग्य अस्थाई अंतरों का उपयोग किया जा सकता है, के लिए अभिचिह्नित किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहनीय राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर की जाती है और इस सीमा तक की जाती है कि यह तब तक संभाव्य न हो कि सभी या आंशिक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अनुमत करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे।

11. विदेशी मुद्रा के संव्यवहार

विदेशी मुद्रा के संव्यवहारों को प्रारंभिक रूप से उस तारीख पर उनकी संबंधित मुद्रा विनिमय दरों द्वारा दर्ज किया जाता है जिसमें ऐसे संव्यवहार अभिचिह्नित करने के लिए पहली बार अर्ह बनते हैं। विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं को रिपोर्टिंग की तारीख पर कार्यशील मुद्रा विनियम दर पर रूपांतरित किया जाता है। आर्थिक मदों के निपटान या रूपांतरण से पैदा होने वाले अंतरों को लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित किया जाता है। मौद्रिक-इतर मदें जिन्हें विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के परिप्रेक्ष्य में मापा जाता है, उन्हें प्रारंभिक संव्यवहारकों की तारीखों पर कार्यशील मुद्रा विनियम दर का प्रयोग करते हुए रूपांतरित किया जाता है।

12. अगाऊ संविदाऐं

विदेशी मुद्रा के जोखिम का बचाव करने के लिए प्रयुक्त व्युत्पन्नी वित्तीय विलेख जैसे अगाऊ मुद्रा संविदाएँ, को प्रारंभिक रूप से उस तारीख पर उचित मूल्य पर अभिचिह्नित किया जाता है जिसमें ऐसा व्युत्पन्नी संविदा किया जाता है और तदुपरांत उचित मूल्य पर उनका दोबारा मापन किया जाता है। उचित मूल्य धनात्मक हो व्यत्पन्नी को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में आगे ले जाया जाता है और ऋणात्मक होने पर वित्तीय देयता के रूप में आगे ले जाया जाता है।

13. उधार की लागतें

उधार की लागतें जो एक परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती हैं जो इसके आशयित प्रयोग या विक्रय के लिए तैयार होने में सारभूत समय लेती हैं, उन्हें परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूँजीकृत किया जाता है। सामान्य उधार की लागतों को ऐसी परिसंपत्ति पर खर्च की पूँजीकरण दर लागू करते हुए अर्हक परिसंपत्तियों पर पूँजीकृत किया जाता है। पूँजीकरण की दर विशिष्ट उधारों को छोड़कर, सामान्य बकाया उधार पर लागू उधार की लागतों का भारित औसत होता है। उधार की अन्य सभी लागतों को उपगत होने वाली अवधि में खर्च किया जाता है। उधार की लागतों में ऐसे ब्याज तथा अन्य लागतें शामिल की जाती हैं जो एक स्वत्व निधियों के उधार लेने के संबंध में करता है। उधार की लागत में उधार की लागतों के समायोजन के रूप में होने वाले विनिमय दर अंतर भी शामिल होते हैं।

14. संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर, चालू संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों को प्रारंभ में लागत पर मूल्यांकित किया जाता है तदपुरांत उन्हें उनकी लागत में से संचित मूल्यह्रास और अनर्जक हानि, यदि कोई हो, को घटाते हुए मूल्यांकित किया जाता है।

इस प्रयोजनार्थ लागत में परिसंपत्ति को उसकी स्थिति और परिस्थिति में लाने के लिए उपगत सभी लागत शामिल होती है। परिसंपत्ति का प्रयोग करने के बाद, उसका कार्यारंभ बंद करने की अपेक्षित लागत का वर्तमान मूल्य संबंधित परिसंपत्ति की लागत में शामिल किया जाता है, यदि इस प्रावधान संबंधी अभिचिह्नन मानदंड पूरे किए जाते हों।

पूँजीगत चालू कार्य

तुलन-पत्र की प्रत्येक तारीख पर अपने आशयित प्रयोग के लिए जो अचल परिसंपत्तियाँ तैयार नहीं हैं, उनकी लागत को पूँजीगत चालू कार्य के रूप में प्रकट किया जाता है।

पूँजीगत चालू कार्य में आपूर्ति-सह-निर्माण संविदाएँ, स्थल पर प्राप्त और स्वीकृत पूँजीगत आपूर्तियों का मूल्य, मार्गस्थ तथा निरीक्षणाधीन पूँजीगत माल तथा संपत्ति, संयंत्र व उपस्करों की लागत जो तुलन-पत्र की तारीख में अपने आशयित प्रयोग के लिए तैयार नहीं हैं, शामिल होते हैं।

15. अमूर्त परिसंपत्तियाँ, विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए अर्जित लाइसेंस शुल्क, तकनीकी जानकारी जो भावी आर्थिक हितलाभ में परिणामित हुए, की लागत को, प्रयोग में तैयार होने पर लेखा बहियों में अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियाँ जो तुलन-पत्र की तारीख में अपने आशयित प्रयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें "विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

विकास कार्य जो पूरे कर लिए गए हैं, जहाँ पात्र हैं, की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप मे अभिचिह्नित किया जाता है।

चालू विकास कार्यों की लागत, यहाँ पात्र हैं, को "विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

16. तकनीकी जानकारी पर खर्च

तकनीकी जानकारी पर उपगत खर्च को लाभ व हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है जब तक कि ऐसा खर्च स्वयं अलग से या किसी अन्य परिसंपत्ति / व्यय के संयोजन से, अमूर्त परिसंपत्ति / मूर्त परिसंपत्ति के भाग के रूप में अभिचिह्नित करने के योग्य न हो।

17. अनुसंधान व विकास पर खर्च

(i) अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों पर खर्च को उपगत होने वाली अवधि में व्यय के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है।

(ii) विकास खर्च (विशिष्ट-सह-बिक्री संविदाएँ तता विकासीय, परियोजनाओ के अलावा जो ग्राहक के अनुरोध पर किए जाते हैं) को उपगत होने पर खर्च के रूप में प्रभारित किया जाता है। विकास-सह-बिक्री संविदाओं पर विकासीय खर्च तथा ग्राहक के अनुरोध पर की गई विकासीय परियोजनाओं पर खर्च को अन्य बिक्री संविदाओं के समतुल्य माना जाता है।

जब ऐसी विकासीय परियोजनाएँ ग्राहक के आदेश में फलीभूत नहीं होती हैं तो ऐसी परियोजनाओं पर दर्ज कुल खर्च को ऐसी परियोजना के बंद करने वाले वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

(iii) अन्य विकासीय कार्यकलाप (बाहरी एजेंसियों के सहयोग से किए गए संयुक्त विकास कार्य सहित) पर किए गए खर्च जहाँ किए गए अनुसंधान के परिणाम या प्राप्त अन्य ज्ञान को नए या वर्धित उत्पाद या प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है, उन्हें अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है यदि भारतीय-एएस 38 में निर्दिष्ट अभिचिह्नन मानदंड पूरे किए जाते हैं और जब विकसित उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रयोग करने योग्य हों, कंपनी के पास विकास कार्य पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हों और बाद में अमूर्त परिसंपत्ति का प्रयोग या विक्रय किया जा सकता हो और ऐसा उत्पाद या प्रक्रिया से भावी आर्थिक हितलाभ जनित करने की संभावना हो।

(iv) अचल परिसंपत्तियों पर अनु. व वि. व्यय को पूँजीकृत किया जाता है।

18. सरकारी अनुदान

सरकार से प्राप्त अनुदानों का मूल्यांकन उनके उचित मूल्य पर किया जाता है और प्रारंभिक तौर पर आस्थगित आय के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है।

अचल परिसंपत्तियों के अर्जन के कारण आस्थगित आय में रखी गई राशि को संबंधित परिसंपत्तियों पर प्रभारित मूल्यह्रास के अनुपात में और अर्जन के लिए प्रयुक्त सरकारी अनुदान की सीमा तक, लाभ व हानि के विवरण के जमा पक्ष में अंतरित किया जाता है।

राजस्व व्यय के कारण आस्थगित आय में रखी राशि को प्राप्त सरकारी अनुदान तक सीमित, कुल स्वीकृत लागत के वित्त-पोषण के अनुपात में उपगत व्यय की सीमा तक, लाभ व हानि के विवरण के जमा पक्ष में अंतरित किया जाता है।

19. वित्तीय परिसंपत्तियाँ

प्रारंभिक अभिचिह्नन तथा मापन

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उनके उचित मूल्य में अभिचिह्नित किया जाता है। यदि वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है तो वित्तीय परिसंपत्ति के अर्जन के कारण आने वाली संव्यवहार लागतों को परिसंपत्ति की लागत में शामिल किया जाता है।

उत्तरवर्ती मापन

उत्तरवर्ती मापन के प्रयोजनार्थ, वित्तीय परिसंपत्तियों को चार वर्गों में बांटा जाता है -

- परिशोधित लागत पर ऋण विलेख,
- अन्य व्यापक आय द्वारा उचित मूल्य पर (एफवीटीओसीआई) ऋण विलेख,
- लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर ऋण विलेख, व्युत्पन्नी तथा इक्विटी विलेख (एफवीटीपीएल),
- अन्य व्यापक आय द्वारा उचित मूल्य पर इक्विटी विलेख (एफवीटीओसीआई)।

अभिचिह्नन हटाना

वित्तीय परिसंपत्ति या उसके किसी भाग को तब अभिचिह्नित से हटा दिया जाता है जब ऐसी परिसंपत्ति से नकदी प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

व्यापार से प्राप्तियाँ तथा अन्य प्राप्य राशि

प्राप्य राशियों को प्रारंभ में उनके उचित मूल्य पर अभिचिह्नित किया जाता है जो ज्यादातर मामलों में नाममात्र मूल्य के लगभग होता है। यदि बाद में ऐसा कोई संकेत मिलता है कि ऐसी परिसंपत्तियाँ अनर्जक हो सकती हैं तो अनर्जकता के लिए उनकी समीक्षा की जाती है।

20. नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी में हस्तस्थ नकद और मांग जमा राशियाँ शामिल होती हैं। नकदी समतुल्य अल्पकालीन अत्यंत चलनिधि के निवेश होते हैं जिनकी मूल परिपक्वता अवधि तीन महीने या उससे कम की होती है और जिन्हें ज्ञात नकद राशि में तुरंत रूपांतरित किया जा सकता है जिसमें मूल्य में परिवर्तन करने के बैंक ओवरड्राफ्ट, यदि कोई हो, का कम जोखिम होता है, तुलन-पत्र में चालू देयताओं के तहत उधार क रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं।

21. वित्तीय परिसंपत्तियों की अनर्जकता

भारतीय-एएस 109 के अनुसार, कंपनी क्रेडिट जोखिम एक्सपोज़र वाली वित्तीय परिसंपत्तियों में अनर्जकता हानि के मापन और अभिचिह्नन के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को अपनाती है।

क. सरकार / सरकारी विभागों / सरकारी कंपनियों से कालातीत देय राशियों का सामान्य रूप से ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों के क्रेडिट जोखिम में बढ़ोत्तरी नहीं माना जाता।

ख. जहाँ देय राशि कानूनी कार्यवाही के तहत विवाद में है तो मामले की अपील उच्चतर अधिकारियों / न्यायालयों में करने के बावजूद, कंपनी के विरुद्ध निर्णय दिए जाने का भी प्रावधान किया जाता है ।

ग. उल्लेखनीय अवधि तक बकाया रहने वाली देय राशियों की समीक्षा की जाती है और मामला-दर-मामला आधार पर प्रावधान किया जाता है।

अनर्जक हानि स्वीकृति (या व्युत्क्रमण) को लाभ या हानि के विवरण में व्यय / (आय) के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है।

(i) प्रारंभिक अभिचिह्नन तथा मापन

वित्तीय देयताओं को ऋण, उधार, देय राशि या परिवर्त, जैसा उचित हो, के रूप में लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर प्रारंभिक अभिचिह्नन पर वर्गीकृत किया जाता है।

ऋण, उधार या देय राशियों को निवल संव्यवहार लागतों पर दर्शाया जाता है।

(ii) उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मापन नीचे वर्णितानुसार, उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है –
लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ।

लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में ऐसी वित्तीय देयताएँ शामिल होती हैं जो लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक अभिचिह्नन करने पर निर्धारित की जाती हैं। इस वर्ग में कंपनी द्वारा किए गए ऐसे परिवर्ती वित्तीय विलेख भी शामिल किए जाते हैं जिन्हें भारतीय-एएस 109 में यथा परिभाषित, बचाव संबंध में बचाव विलेख नहीं माना जाता है। पृथक किए गए अंतर्निर्मित परिवर्तों को भी व्यापार में धारित के रूप में वर्गीकृत किया जात है जब तक कि उन्हें प्रभावी बचाव विलेख नहीं माना जाता। व्यापार के लिए धारित देयताओं पर लब्धि या हानि को लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित किया जाता है।

(iii)ऋण तथा उधार

प्रारंभिक अभिचिह्नन के बाद, ब्याज वाले ऋणों तथा उधार को तदुपरांत प्रभावी ब्याज दर विधि का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लब्धियों और हानियों को लाभ या हानि में तब अभिचिह्नित किया जाता है जब देयताओं को ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया द्वारा अमान्य माना जाता है। एक वित्तीय देयता का अभिचिह्नन तब हटाया जाता है जब देयता के तहत बाध्यता पूरी कर ली जाती है या रद्द या समाप्त कर दी जाती है।

(iv)व्यापार तथा अन्य देय राशियाँ

पूर्तिकर्ता द्वारा बिल तैयार करने या न करने पर भी, प्राप्त माल या सेवा के लिए भविष्य में अदा की जाने वाली राशियों के लिए देयताएँ अभिचिह्नित की जाती हैं।

23. वित्तीय विलेखों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक अभिचिह्नन पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का वर्गीकरण तय करती है। प्रारंभिक अभिचिह्नन के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता जो इक्विटी विलेख और वित्तीय देयताएँ होती हैं। ऐसी वितीय परिसंपत्तियाँ जो ऋण विलेख होती हैं, केवल तभी पुनर्वर्गीकरम किया जाता है जब ऐसी परिसंपत्तियों की व्यवस्था करने के कारोबारी मॉडल में परिवर्तन किया गया हो। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण करती है तो वह भविष्यलक्षी प्रभाव से ऐसे पुनर्वर्गीकरण को लागू करती है।

24. वित्तीय विलेखों का समंजन

वित्तीय परिसंपत्तियाँ और वित्तीय देयताएँ समंजन होती हैं और इसकी निवल राशि तुलन-पत्र में दर्शाई जाती है बशर्ते कि अभिचिह्नित राशियों का समंजन करने का वर्तमान में प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार हो और परिसंपत्तियों को वसूल करने और देयताओं को निपटाने के लिए, निवल आधार पर एक साथ निपटाने का आशय हो।

25. पट्टे

पट्टे को वित्तीय पट्टा या प्रचालनीय पट्टे के रूप में प्रारंभ की तारीख पर वर्गीकृत किया जाता है। पट्टेदार के रूप में कंपनी – वित्तीय पट्टों को निम्नतर उचित मूल्य पर और पट्टा शुरु करने पर न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूँजीकृत किया जाता है। वित्तीय प्रभार को लाभ व हानि के विवरण में वित्तीय लागतों में अभिचिह्नित किया जाता है। पट्टे की परिसंपत्ति को परिसंपत्ति के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल या पट्टे की अवधि, इनमें से जो भी कम हो, पर मूल्यह्रास किया जाता है।

26. इक्विटी शेयरधारकों को नकद लाभांश और नकद-रहित वितरण

कंपनी इक्विटी धारकों को नकद या नकद रहित वितरण करने की देयता को अभिचिह्नित करती है जब ऐसे वितरण को प्राधिकृत किया जाता है और वितरण कंपनी के विवेक पर निर्भर नहीं होता।

27. वारंटियों का प्रावधान

कार्य-निष्पादन गारंटी तथा बेचे गए माल का प्रतिस्थापन / मरम्मत पर खर्च का प्रावधान प्रवृत्ति आधारित प्राक्कलन आधार पर किया जाता है।

28. प्रावधान तथा आकस्मिक देयताएँ

(i) प्रावधानों को तब अभिचिह्नित किया जाता है जब कंपनी में पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता (विधिक या इतर) होता है, इसकी संभावना है कि देयता को निपटाने के लिए आर्थिक हितलाभ देने वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता हो और ऐसी देयता की राशि का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता हो। जब कंपनी कुछेक या सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति अपेक्षित करती है, उदाहरण के लिए, बीमा संविदा के तहत, प्रतिपूर्ति को एक अलग परिसंपत्ति के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है लेकिन ऐसा केवल तभी किया जाता है जब प्रतिपूर्ति करना आभासी रूप से निश्चित हो। इस प्रावधान से संबंधित व्यय को निवल प्रतिपूर्ति के रूप में लाभ व हानि के विवरण में दिखाया जाता है। यदि धनराशि के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है तो दायित्व विशिष्ट जोखिम को प्रतिबिंबित करने वाले चालू पूर्व-कर दर, जब उचित हो, का प्रयोग करते हुए प्रावधानों को भुनाया जाता है। जब भुनाने का विकल्प लिया जाता है तो समयावधि के कारण प्रावधान में बढ़ोत्तरी को वित्तीय लागत के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है। कस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में अभिचिह्नित नहीं किया जाता लेकिन टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

(ii) निर्माण संविदाओं के अलावा दुर्वह संविदाओ के प्रावधानों को अभिचिह्नित किया जाता है जब ऐसी किसी संविदा से कंपनी को प्राप्त होने वाले अपेक्षित हितलाभ संविदा के तहत इसकी देयताओं को पूरी करने की अपरिहार्य लागत से कम हो। इस प्रावधान का मूल्यांकन संविदा को समाप्त करने की अपेक्षित लागत तथा संविदा को जारी रखने के अपेक्षित निवल लागत के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है। किसी प्रकार का प्रावधान करने से पहले कंपनी ऐसी संविदा से जुड़ी परिसंपत्ति पर अनर्जक लागत को अभिचिह्नित करती है।

29. नकदी और नकदी प्राप्ति विवरण

नकदी प्राप्ति विवरण को नकदी प्राप्ति विवरण पर भारतीय-एएस 7 में वर्णित परोक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

30. रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ

समायोजनीय घटनाएँ ऐसी घटनाएँ होती हैं जिनसे आगे की परिस्थितियों के साक्ष्य मिलते हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होते हैं। ऐसी घटनाओं के लिए वितीय विवरणों को जारी करने के प्राधिकरण से पहले समायोजित किया जाता है। गैर-समायोजनीय घटनाएँ ऐसी घटनाएँ होती हैं जो ऐसी परिस्थितियों का संकेत देती हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के समाप्त होने के बाद घटती हैं। रिपोर्टिंग की तारीख के बाद की गैर-समायोजनीय घटनाओं का लेखा नहीं किया जाता लेकिन प्रकट किया जाता है।

31. प्रति शेयर अर्जन

कंपनी अपने साधारण शेयरों को लिए मूल व परिवर्तित अर्जन प्रति शेयर डेटा प्रस्तुत करती है। प्रति शेयर मूल अर्जन का परिकलन कंपनी के सामान्य इक्विटी धारकों को हुए लाभ या हानि को वर्ष के दौरान बकाया सामान्य शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर किया जाता है जिसे धारित स्वयं के शेयरों में समायोजित किया जाता है। सभी परिवर्तित संभावित सामान्य शेयरों के प्रभाव के लिए, परिवर्तित प्रति शेयर अर्जन का निर्धारण सामान्य इक्विटी धारकों तथा धारित स्वयं शेयरों के लिए समायोजित, बकाया सामान्य शेयरों की भारित औसत संख्या को समायोजित करते हुए किया जाता है।

32. परिसंपत्तियों की अनर्जकता

परिसंपत्तियों की अनर्जकता का मूल्यांकन प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख में कंपनी [नकद सृजित करने वाली यूनिट (सीजीयू] के संदर्भ में किया जाता है यदि आंतरिक और बाहरी कारकों पर निर्भर करते हुए घटनाएँ या परिस्थितियों में परिवर्तन यह दर्शाते हैं कि वहनीय मूल्य की पूरी वसूली नहीं की जा सकती। अनर्जकता के कारण होने वाली हानि, जो वहनीय राशि और वसूली योग्य राशि के बीच का अंतर है, का लेखा तदनुसार किया जाता है। सीजीयू की वसूली योग्य राशि उसका निवल बिक्री मूल्य या प्रयोग मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होती है। प्रयोग मूल्य का परिकलन कंपनी की कर-पूर्व उधार दर पर बट्टागत प्राक्कलित भावी नकदी प्राप्ति के आधार पर किया जाता है।.

33. त्रुटियाँ और प्राक्कलन

भारतीय-एएस में परिवर्तन के कारण यदि लेखा नीति में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता हो या वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं को अधिक संगत तथा विश्वसनीय सूचनाएं प्रदान करने के लिए कोई परिवर्तन करना हो तो कंपनी अपनी लेखा नीतियों में संशोधन करती है। लेखा नीतियों में ऐसे परिवर्तन पूर्वव्यापी प्रभाव से किए जाते हैं।

लेखा प्राक्कलन में कोई परिवर्तन जिससे अभिचिह्नित परिसंपत्तियों या देयताओं की वहनीय राशियों में या लाभ व हानि के विवरण में कोई परिवर्तन होता है तो उसे परिवर्तन की अवधि में भविष्यलक्षी रूप से लागू किया जाता है।

यदि ऐसी महत्वपूर्ण त्रुटियाँ मिलती हैं जिनसे पूर्वावधि जिसमें ऐसी त्रुटियों का पता चला था, की परिसंपत्तियों, देयताओँ और इक्विटी की तुलनात्मक राशियों को दोबारा बताते हुए पूर्वव्यापी ढंग से पुनरीक्षण किए जाते हैं। पूर्व की अवधि के प्रारंभिक शेष को भी दोबारा बताया जाता है।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

	-हस्ता.-	- हस्ता.-
एमएसडीएन एंड एसोसिएट्स	एम. वी. गौतमा	अजीत टी. कलघट्गी
सनदी लेखाकार	अध्यक्ष	निदेशक
फर्म पंजी.सं. 112479W		
- हस्ता.-	- हस्ता.-	
दीपक सुगंधी	आनंदी रामलिंगम	
साझेदार	निदेशक	
सदस्यता सं. 104950		
	- हस्ता.-	- हस्ता.-
स्थान - पुणे	डी.सी.एन. श्रीनिवास राव	प्रिया एस. अय्यर
दिनांक - 27 मई, 2017	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	कंपनी सचिव एवं सीएफओ

टिप्पणी सं. 1 – 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

राशि रु. में

विवरण	सकल वहनीय राशि				संचित मूल्यह्रास				निवल वहनीय मूल्य
	1 अप्रैल 2015 को (मानी हुई लागत)	वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	कटौतियाँ / पुनर्वर्गीकरण एवं समायोजन	31 मार्च 2016 को	1 मार्च 2015 को संचित मूल्यह्रास/परिशोधन	वर्ष का प्रभार	कटौतियाँ / पुनर्वर्गीकरण एवं समायोजन	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2016 को
मूर्त परिसंपत्तियाँ									
पट्टाधारित भूमि	17,61,942	-	-	17,61,942	-	24,660	-	24,660	17,37,282
भवन	3,75,80,470	-	-	3,75,80,470	-	26,89,619	-	26,89,619	3,48,90,851
संयंत्र व मशीनरी	84,52,24,590	64,15,860	30,570	85,16,09,880	-	6,71,66,996	-	6,71,66,996	78,44,42,884
कार्यालयीन उपस्कर	4,30,867	9,13,390	-	13,44,257	-	1,76,516	-	1,76,516	11,67,741
वैद्युत संस्थापन	65,38,418	-	-	65,38,418	-	11,11,519	-	11,11,519	54,26,899
फर्नीचर और जुड़नार	26,94,489	3,56,986	1,543	30,49,932	-	4,58,006	-	4,58,006	25,91,926
कंप्यूटर सिस्टम	10,96,092	-	67,292	10,28,800	-	2,78,245	-	2,78,245	7,50,555
कुल	**89,53,26,868**	**76,86,236**	**99,405**	**90,29,13,699**	-	**7,19,05,561**	-	**7,19,05,561**	**83,10,08,138**

1. संयंत्र और मशीनरी (सकल वहनीय राशि) में रु. 33,24,689/- (पिछले वर्ष रु. 33,24,689/-) तक की परिसंपत्तियाँ शामिल हैं जो टीपीडीयूपी परियोजना के तहत प्राप्त अनुदान से वित्त-पोषित है।
2. संयंत्र और मशीनरी (सकल वहनीय राशि) में रु. 64,01,43,179/- (पिछले वर्ष रु. 64,01,43,179/-) तक की परिसंपत्तियाँ शामिल हैं जो एक्सडी-4 आई.आई. ट्यूबों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का कार्यान्वयन करने के लिए प्राप्त अनुदान से वित्त-पोषित है।

टिप्पणी 3 – 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष की अमूर्त परिसंपत्तियाँ

राशि रु. में

विवरण	सकल वहनीय राशि				संचित मूल्यह्रास				निवल वहनीय मूल्य
	1 अप्रैल 2015 को (मानी हुई लागत)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	कटौतियाँ / पुनर्वर्गीकरण एवं समायोजन	31 मार्च 2016 को	01.04.2015 को संचित मूल्यह्रास/परिशोधन	वर्ष का प्रभार	कटौतियाँ / पुनर्वर्गीकरण एवं समायोजन	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2016 को
लाइसेंस शुल्क	1,84,24,24,879	-	-	1,84,24,24,879	-	12,49,94,904	-	12,49,94,904	1,71,74,29,975
कंप्यूटर आपरेटिंग सिस्टम	1,72,662	-	-	1,72,662	-	18,863	-	18,863	1,53,799
कुल	**1,84,25,97,541**	-	-	**1,84,25,97,541**	-	**12,50,13,767**	-	**12,50,13,767**	**1,71,75,83,774**

नोट – कंपनी ने लाइसेंस करारकी अवधि के अनुसार लाइसेंस शुल्क के परिशोधन की अवधि को दस वर्षों से बदलकर पंद्रह वर्ष कर दिया है।

टिप्पणी 1 – 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष की संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर (जारी)

राशि रु. में

विवरण	सकल वहनीय राशि				संचित मूल्यह्रास				निवल वहनीय मूल्य	
	1 अप्रैल 2016 को	परिवर्धन	कटौतियाँ / पुनर्वर्गीकरण एवं समायोजन	31 मार्च 2017 को	1 अप्रैल 2016 को	वर्ष का प्रभार	कटौतियाँ / पुनर्वर्गीकरण एवं समायोजन	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2017 को	1 अप्रैल 2016 को
मूर्त परिसंपत्तियाँ										
पट्टाधारित भूमि	17,61,942	-	-	17,61,942	24,660	24,660	-	49,320	17,12,622	17,37,282
भवन	3,75,80,470	3,85,531	-	3,79,66,001	26,89,619	27,01,085	-	53,90,704	3,25,75,297	3,48,90,851
संयंत्र व मशीनरी	85,16,09,880	9,91,66,893	7,04,771	95,00,72,002	6,71,66,996	7,02,19,906	6,99,226	13,66,87,676	81,33,84,326	78,44,42,884
कार्यालयीन उपस्कर	13,44,257	3,04,448	1,29,137	15,19,568	1,76,516	57,251	1,29,137	1,04,630	14,14,938	11,67,741
वैद्युत संस्थापन	65,38,418	-	-	65,38,418	11,11,519	8,15,125	-	19,26,644	46,11,774	54,26,899
फर्नीचर और जुड़नार	30,49,932	5,22,842	5,88,609	29,84,165	4,58,006	4,59,278	5,88,456	3,28,828	26,55,337	25,91,926
कंप्यूटर सिस्टम	10,28,800	8,61,811	1,49,958	17,40,653	2,78,245	4,10,719	1,49,958	5,39,006	12,01,647	7,50,555
कुल	**90,29,13,699**	**10,12,41,525**	**15,72,475**	**1,00,25,82,749**	**7,19,05,561**	**7,46,88,024**	**15,66,777**	**14,50,26,808**	**85,75,55,941**	**83,10,08,138**

1. संयंत्र और मशीनरी (सकल वहनीय राशि) में रु. 33,24,689/- (पिछले वर्ष रु. 33,24,689/-) तक की परिसंपत्तियाँ शामिल हैं जो टीपीडीयूपी परियोजना के तहत प्राप्त अनुदान से वित्त-पोषित है।
2. संयंत्र और मशीनरी (सकल वहनीय राशि) में रु. 56,11,44,859/- (पिछले वर्ष रु. 64,01,43,179/-) तक की परिसंपत्तियाँ शामिल हैं जो एक्सडी-4 आई.आई. ट्यूबों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का कार्यान्वयन करने के लिए प्राप्त अनुदान से वित्त-पोषित है।
3. रु.7,02,19,906/- के संयंत्र व मशीनरी पर मूल्यह्रास में रु. 5,47,56,798/- के टीओटी उपस्करों पर मूल्यह्रास शामिल है।
4. सकल ब्लॉक तथा संचित मूल्यह्रास में रु. 15,66,777/- (पिछले वर्ष -कुछ नहीं) शामिल है जो ऐसी परिसंपत्तियों से संबंधित है जो सक्रिय प्रयोग में नहीं हैं और जिसे बट्टा खाते में डालने के लिए प्रबंधन का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
5. उपर्युक्त के अतिरिक्त, रु. 5,698/- के निवल ब्लॉक (पिछले वर्ष - कुछ नहीं) जो ऐसी परिसंपत्तियों से संबंधित है जो सक्रिय प्रयोग में नहीं हैं, को लाभ व हानि के विवरण में प्रभारित किया गया है।
6. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार, मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) द्वारा किया गया है।
7. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अलावा अन्य मूल्यह्रास का परिकलन करने हेतु परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल इस प्रकार है -
i) संयंत्र व मशीनरी (सतत् प्रक्रिया संयंत्र) 15 वर्ष
प्रौद्योगिकी लाइसेंस करार के निबंधनों के अनुसार, लीनियर ट्रांसफर लाइन (सतत् प्रक्रिया संयंत्र) 15 वर्षों की अवधि के लिए टीओटी प्रदाता द्वारा समर्थित है।
यह प्रबंधन द्वारा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर अभिनिश्चित हैं कि लीनियर ट्रांसफर लाइनें 15 वर्षों की अवधि के लिए इस्तेमाल की जाएँगी।
8. दोहरी पाली के काम और तिहरी पाली के काम के संबंध में संयंत्र व मशीनरी पर अतिरिक्त मूल्यह्रास क्रमश: 50 % और 100% प्रभारित किया गया है।
9. कंपनी ने 25.11.1991 को रु. 20,52,000/- की लागत पर 95 वर्षों के लिए एमआईडीसी से पट्टे पर 13680 वर्ग मीटर ज़मीन अर्जित किया है जो नए निबंधन व शर्तों पर अतिरिक्त 95 वर्षों तक नवीकृत किया जा सकता है। पट्टाधारित ज़मीन की लागत रु. 23,34,780/- पर पूँजीकृत है।

टिप्पणी 2 – पूँजीगत चालू कार्य

राशि रु. में

विवरण	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को		1 अप्रैल 2015 को	
सिविल निर्माण	48,07,419					
संयंत्र व मशीनरी	49,81,57,177	50,29,64,596	7,75,792	7,75,792	17,33,014	17,33,014
कुल		**50,29,64,596**		**7,75,792**		**17,33,014**

टिप्पणी 3 – 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष की अमूर्त परिसंपत्तियाँ (जारी)

राशि रु. में

विवरण	सकल वहनीय राशि				संचित मूल्यह्रास				निवल वहनीय मूल्य	
	1 अप्रैल 2016 को	परिवर्धन	कटौतियाँ / पुनर्वर्गीकरण एवं समायोजन	31 मार्च 2017 को	1 अप्रैल 2016 को	वर्ष का प्रभार	कटौतियाँ / पुनर्वर्गीकरण एवं समायोजन	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2017 को	1 अप्रैल 2016 को
अमूर्त परिसंपत्तियाँ										
लाइसेंस शुल्क	1,84,24,24,879	-	-	1,84,24,24,879	12,49,94,904	12,49,94,904	-	24,99,89,808	1,59,24,35,071	1,71,74,29,975
कंप्यूटर आपरेटिंग सिस्टम	1,72,662	-	-	1,72,662	18,863	18,863	-	37,726	1,34,936	1,53,799
कुल	**1,84,25,97,541**	-	-	**1,84,25,97,541**	**12,50,13,767**	**12,50,13,767**	-	**25,00,27,534**	**1,59,25,70,007**	1,71,75,83,774

1. अमूर्त परिसंपत्तियाँ (सकल वहनीय राशि) में रु. 1,36.89,21,685/- (पिछले वर्ष रु. 1,56,16,39,327/-) शामिल है जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त अनुदान से वित्त-पोषित है।

टिप्पणी 4 – विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

राशि रु. में

विवरण	यथा 31 मार्च 2017	यथा 31 मार्च 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
टीओटी			
प्रारंभिक शेष	-	-	-
जोड़ें – वर्ष के दौरान परिवर्धन	33,41,60,327	-	-
घटाएँ – वर्ष के दौरान पूँजीकृत राशि	-	-	-
कुल	**33,41,60,327**	**-**	**-**

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में परिवर्धन एक्सआर-5 करार के तहत अदा किए गए लाइसेंस शुल्क के कारण है।

टिप्पणी 5 – व्यापार से प्राप्य –चालू इतर

राशि रु. में.

विवरण	यथा 31 मार्च 2017	यथा 31 मार्च 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
व्यापार से प्राप्य, अरक्षित जिन्हें संदिग्ध माना गया			
1. संबंधित पक्षकार से	1,40,32,266	1,17,05,329	44,72,234
घटाएँ – संदिग्ध ऋण का प्रावधान	1,40,32,266	1,17,05,329	44,72,234
उप कुल (1)	-	-	-
2. अन्य से	2,16,75,425	2,16,75,425	1,28,004
घटाएँ – संदिग्ध ऋण का प्रावधान	2,16,75,425	2,16,75,425	1,28,004
उप कुल (2)	-	-	-
कुल (1+2)	**-**	**-**	**-**

संदिग्ध प्राप्यों की स्वीकृति का संचलन नीचे प्रस्तुत है –

राशि रु. में.

विवरण	यथा 31 मार्च 2017	यथा 31 मार्च 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
वर्ष के प्रारंभ में शेष	3,33,80,754	46,00,238	24,05,885
वर्ष के दौरान अनर्जक हानियाँ	23,26,937	2,87,80,516	21,94,353
वर्ष के दौरान बट्टा खाते में डाला	-	-	-
लाभ व हानि को जमा	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**3,57,07,691**	**3,33,80,754**	**46,00,238**

टिप्पणी 6 – ऋण- चालू इतर

राशि रु. में

विवरण	यथा 31 मार्च 2017	यथा 31 मार्च 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
सुरक्षा जमा, अरक्षित जिन्हें खरा माना गया			
एमएसईबी के पास जमा	31,16,000	25,08,100	17,87,400
पानी की आपूर्ति के लिए जमा	1,28,250	1,28,250	1,28,250
अन्य जमा	1,25,000	1,25,000	1,17,000
कुल	**33,69,250**	**27,61,350**	**20,32,650**

उचित मूल्य संबंधी मूल्यांकनों के लिए कृपया टिप्पणी 37 देखें

टिप्पणी 7 – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ – चालू इतर

राशि रु. में

विवरण	यथा 31 मार्च 2017	यथा 31 मार्च 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
12 महीनों से अधिक परिपक्वता अवधि की मीयादी जमा	54,68,838	1,13,33,169	46,03,789
मीयादी जमा पर प्रोद्भूत ब्याज	87,765	2,58,228	3,87,036
कुल	**55,56,603**	**1,15,91,397**	**49,90,825**

उचित मूल्य संबंधी मूल्यांकनों के लिए कृपया टिप्पणी 37 देखें

1. उक्त नकद और समतुल्यों का कोई प्रत्यावर्ती प्रतिबंध नहीं है।

टिप्पणी 8 – वस्तुसूचियाँ – चालू इतर

राशि रु. में

विवरण	यथा 31 मार्च 2017	यथा 31 मार्च 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
वस्तुसूचियाँ			
कच्चा माल	1,56,61,161	1,60,00,891	1,62,29,320
घटाएँ – अप्रचलन का प्रावधान	1,56,61,161	1,60,00,891	1,62,29,320
कुल	-	-	-

टिप्पणी 9 – अन्य चालू इतर परिसंपत्तियाँ

राशि रु. में.

विवरण	यथा 31 मार्च 2017		यथा 31 मार्च 2016		यथा 1 अप्रैल, 2015	
पूँजीगत अग्रिम		15,67,27,398		37,27,35,483		8,37,98,472
पूर्वदत्त व्यय		24,619		40,24,985		5,366
पूर्तिकर्ताओं को अग्रिम						
अरक्षित जिन्हें संदिग्ध माना गया	19,59,337		19,59,337		19,59,337	
घटाएँ – संदिग्ध अग्रिम का प्रावधान	19,59,337	-	19,59,337	-	19,59,337	-
जमा राशियाँ						
उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के पास जमा	1,000		1,000		1,000	
न्यायालय में जमा	13,91,490		13,91,490		13,91,490	
चुँगी के लिए जमा	23,57,710		23,57,710		23,57,710	
सेवा कर प्राधिकारियों के पास जमा	2,54,968	40,05,168	94,675	38,44,875	94,675	38,44,875
कुल		**16,07,57,185**		**38,06,05,343**		**8,76,48,713**

टिप्पणी 10 - वस्तुसूचियाँ

राशि रु. में

विवरण	यथा 31 मार्च 2017		यथा 31 मार्च 2016		यथा 1 अप्रैल, 2015	
कच्चा माल	3,96,45,317		3,99,96,152		10,36,85,539	
भंडार एवं उपभोज्य	1,11,66,701		96,74,308		1,44,60,544	
चालू कार्य	22,10,51,101	27,18,63,119	18,60,75,282	23,57,45,742	19,96,59,993	31,78,06,076
मशीनरी के पुर्जे		2,32,54,540		2,47,71,462		9,69,282
कुल		**29,51,17,659**		**26,05,17,204**		**31,87,75,358**

टिप्पणी

1) कच्चे मामल में रु. 16,67,657/- का मार्गस्थ माल शामिल है (पिछले वर्ष रु. 1,27,86,086/-)

2) यथा 31.03.2017 को उप-ठेकेदारों के पास कच्चा माल और घटक - रु. कुछ नहीं (पिछले वर्ष रु. कुछ नहीं)

टिप्पणी 11 – व्यापार से प्राप्य - चालू

राशि रु. में

विवरण	यथा 31 मार्च 2017	यथा 31 मार्च 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
व्यापार से प्राप्य जिन्हें खरा माना गया			
संबंधित पक्षकार से	53,38,36,363	7,98,03,242	2,92,65,458
अन्य से	7,24,07,624	9,59,38,600	8,60,02,936
कुल	**60,62,43,987**	**17,57,41,842**	**11,52,68,394**

उचित मूल्य संबंधी मूल्यांकनों के लिए कृपया टिप्पणी 37 देखें

टिप्पणी 12- नकद एवं नकद समतुल्य

राशि रु. में

विवरण	यथा 31 मार्च 2017	यथा 31 मार्च 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
1. नकद एवं नकदी समतुल्य			
a. बैंकों में शेष			
चालू खातों में	13,21,117	12,56,275	1,08,57,196
नकद क्रेडिट खाते में	33,13,503	3,56,55,367	2,51,39,195
मीयादी जमा में	12,98,43,190	27,71,10,025	3,53,52,387
(3 महीनों स कम की मूल परिपक्वता अवधि)			
b. हस्तस्थ नकद तथा स्टैम्प	1,74,830	1,26,232	68,022
कुल	**13,46,52,640**	**31,41,47,899**	**7,14,16,800**

1. नकद और नकदी समतुल्य में तीन महीनों तक की मूल परिपक्वता अवधि की मीयादी जमा शामिल हैं। तीन महीनों से अधिक परंतु 12 महीनों तक की परिपक्वता अवधि वाली मीयादी जमा को टिप्पणी सं. 13 में बैंक शेष में शामिल किया गया है।

   उचित मूल्य संबंधी मूल्यांकनों के लिए कृपया टिप्पणी देखें 37

2. उक्त नकद और समतुल्यों का कोई प्रत्यावर्ती प्रतिबंध नहीं है।

नकदी प्राप्ति विवरण के प्रयोजनार्थ, नकद और नकदी समतुल्यों में निम्नलिखित शामिल हैं –

राशि रु. में

विवरण	यथा 31 मार्च 2017	यथा 31 मार्च 2016	यथा 1अप्रैल, 2015
बैंकों के पास शेष	13,44,77,810	31,40,21,667	7,13,48,778
हस्तस्थ नकद तथा स्टैम्प	1,74,830	1,26,232	68,022
कुल	**13,46,52,640**	**31,41,47,899**	**7,14,16,800**

टिप्पणी 13- बैंक शेष

राशि रु. में

विवरण	यथा 31 मार्च 2017	यथा 31 मार्च 2016	यथा1अप्रैल, 2015
मीयादी जमा में (तीन महीनों से अधिक परंतु 12 महीनों तक की परिपक्वता अवधि)	2,18,29,605	1,49,09,927	1,90,97,609
कुल	**2,18,29,605**	**1,49,09,927**	**1,90,97,609**

1. 12 महीनों से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाले मीयादी जमा को टिप्पणी सं. 7 में दर्शाया गया है।
2. वर्ष के अंत में, कंपनी के पास निम्नलिखित शेष थे जिनमें बैंक द्वारा प्रयोग के प्रतिबंध लगाए गए- जारी साख-पत्र के लिए रु. 11,65,141/- के उक्त मीयादी जमा पर एसबीआई द्वारा प्रभार।
3. उक्त नकद और समतुल्यों का कोई प्रत्यावर्ती प्रतिबंध नहीं है।
4. कंपनी की नकद प्रबंधन नीति को समझने के लिए चलनिधि जोखिम टिप्पणी सं. 35 (vi) देखें।
5. उचित मूल्य संबंधी मूल्यांकनों के लिए कृपया टिप्पणी 37 देखें

टिप्पणी 14 – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

राशि रु. में

विवरण	यथा 31 मार्च 2017	यथा 31 मार्च 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
सावधि जमा पर प्रोद्भूत ब्याज	17,09,636	15,94,137	10,07,750
कुल	**17,09,636**	**15,94,137**	**10,07,750**

उचित मूल्य संबंधी मूल्यांकनों के लिए कृपया टिप्पणी 37 देखें

टिप्पणी 15 – अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

राशि रु. में.

विवरण	यथा 31 मार्च 2017		यथा 31 मार्च 2016		यथा 1 अप्रैल, 2015	
पूर्वदत्त व्यय		11,48,280		3,40,969		9,30,582
अन्य प्राप्य		50,000		-		24,892
प्राप्य वजीफा (प्रशिक्षु)		43,351		34,930		34,956
बीईएल से प्राप्य छुट्टी नकदीकरण		-		4,93,898		2,75,700
बीएल-मछिलिपट्टणम से प्राप्त विक्रय कर		6,24,800		6,24,800		6,24,800
पूर्तिकर्ताओं को अग्रिम		4,41,16,854		5,95,62,835		1,63,13,918
टीडीएस (XR-5) अग्रिम		1,91,98,451		2,87,56,313		62,33,303
(XR-5) पर अदा किया गया अग्रिम सेवा कर		1,26,11,019		3,95,86,655		76,30,442
राजस्व अधिकारियों के पास शेष						
निर्वेश सेवा कर		11,90,303		-		-
प्राप्य सेवा कर		1,47,865		-		-
प्राप्य वीएटी वापसी	10,494		10,494		1,33,478	
देय एफबीटी वापसी	45,928		45,928		45,928	
वीएटी निर्वेश कर क्रेडिट	32,809		15,510		12,828	
प्राप्य सीएसटी वापसी	25,26,788		25,26,788		28,86,327	
प्राप्य स्टैम्प शुल्क	-	26,16,019	-	25,98,720	10,00,000	40,78,561
कुल		**8,17,46,942**		**13,19,99,120**		**3,61,47,154**

टिप्पणी 16 – चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)

राशि रु. में

विवरण	यथा 31 मार्च 2017	यथा 31 मार्च 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
आय कर की वापसी (देय)	77,90,643	81,24,447	77,69,296
कुल	**77,90,643**	**81,24,447**	**77,69,296**

टिप्पणी 17 – इक्विटी शेयर पूँजी

राशि रु. में

विवरण	यथा 31 मार्च 2017	यथा 31 मार्च 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
प्राधिकृत पूँजी – 1,00,00,000/- (पिछली अवधि में 1,00,00,000/-) इक्विटी शेयर रु. 100/- प्रत्येक	1,00,00,00,000	1,00,00,00,000	35,00,00,000
जारी पूँजी – 59,22,635 (पिछली अवधि में 37,83,678) इक्विटी शेयर रु. 100/- प्रत्येक	59,22,63,500	37,83,67,800	19,74,37,000
अभिदत्त तथा चुकता पूँजी – 59,22,635 (पिछली अवधि में 37,83,678) इक्विटी शेयर रु. 100/- प्रत्येक पूर्ण चुकता	59,22,63,500	37,83,67,800	18,32,29,300

वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का समाधान –	यथा 31 मार्च 2017		यथा 31 मार्च 2016		यथा 1 अप्रैल, 2015	
	शेयरों की सं.	राशि रु. में	शेयरों की सं.	राशि रु. में	शेयरों की सं.	राशि रु. में
वर्ष के प्रारंभ में बकाया इक्विटी शेयरों की सं.	37,83,678	37,83,67,800	18,32,293	18,32,29,300	18,32,293	18,32,29,300
जोड़ें – वर्ष के दौरान जारी अतिरिक्त इक्विटी शेयर	21,38,957	21,38,95,700	19,51,385	19,51,38,500	-	-
घटाएँ – वर्ष के दौरान समपहृत/ वापस खरीदे गए इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की सं.	59,22,635	59,22,63,500	37,83,678	37,83,67,800	18,32,293	18,32,29,300

टिप्पणी –

1. उपर्युक्त में से रु. 100 प्रत्येक के 59,22,635/- इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 37,83,678) धारक कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (बीईएल) और उसके नामितों द्वारा धारित हैं। बेलॉप दिनांक 30 जुलाई 2015 से बीईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

2. कंपनी में 5% शेयरों से अधिक शेयर धारित करने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या के ब्यौरे इस प्रकार हैं –

विवरण	2016-17		2015-16		2014-15	
	शेयरों की सं.	शेयरधारण का %	शेयरों की सं.	शेयरधारण का %	शेयरों की सं.	शेयरधारण का %
इक्विटी शेयर –						
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	59,22,635	100	37,83,678	100	17,00,223	92.79
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की विशेष वचनबद्धता	-	-	-	-	1,32,000	7.21

शर्तों अधिकार, वरीयता और प्रतिबंध के शेयरों के प्रत्येक वर्ग के लिए संलग्न

a) कंपनी में केवल एक वर्ग के शेयर नामत: इक्विटी शेयर हैं।

b) इक्विटी शेयरों के प्रत्येक धारक को हाथ दिखाकर एक मत देने का और मतदान में धारित शेयरों की संख्या के अनुपात में मतदान करने का हक है।

c) प्रत्येक शेयरधारक को कंपनी द्वारा घोषित लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है।

d) कंपनी को बंद करने पर, इक्विटी शेयरधारकों को विधि द्वारा सभी वरीय राशि के संवितरण के बाद, कंपनी की शेष परिसंपत्तियों, यदि कोई हो, की वसूल किए गए मूल्य को प्राप्त करने का हक होगा। यह वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में किया जाएगा।

टिप्पणी 18 - उधार

राशि रु. में

विवरण	यथा 31 मार्च 2017	यथा 31 मार्च 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
संबंधित पक्षकार, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (धारक कंपनी) से ऋण			
मीयादी ऋण	10,01,09,012	-	-
कार्यशील पूँजी ऋण	12,51,00,000	-	-
कुल	**22,52,09,012**	**-**	**-**

विवरण के लिए टिप्पणी सं. 38 देखें

उचित मूल्य संबंधी मूल्यांकनों के लिए कृपया टिप्पणी 37 देखें

टिप्पणी 19 – सरकारी अनुदान

राशि रु. में

विवरण	यथा 31 मार्च 2017	यथा 31 मार्च 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
1) टीपीडीयूपी परियोजना			
वर्ष के प्रारंभ में	10,55,825	18,67,716	27,20,543
जोड़ें – वर्ष के दौरान प्राप्त	-	-	-
घटाएँ – वर्ष के दौरान लाभ व हानि के विवरण को अंतरित	8,52,827	8,11,891	8,52,827
वर्ष के अंत में शेष -			
उप कुल (1)	2,02,998	10,55,825	18,67,716
2) टीओटी (XD-4) परियोजना	1,76,46,29,073	1,91,68,75,267	2,07,95,47,196
वर्ष के प्रारंभ में			
जोड़ें – वर्ष के दौरान प्राप्त	1,51,47,471	-	9,52,24,960
घटाएँ – वर्ष के दौरान लाभ व हानि के विवरण को अंतरित	13,89,13,533	15,22,46,194	25,78,96,889
वर्ष के अंत में शेष -			
उप कुल (2)	1,64,08,63,011	1,76,46,29,073	1,91,68,75,267
कुल (1+2)	**1,64,10,66,009**	**1,76,56,84,898**	**1,91,87,42,983**

1. बेलॉप ने उच्चतर विनिर्देश के आई.आई. ट्यूबों का निर्माण करने की प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने के लिए मे. फोटोनिस, फ्रांस के साथ एक करार किया है जिसे अनुदान के माध्यम से वित्तपोषित किया गया है। वर्ष 2016-17 के दौरान, टीओटी की लागत के अनुदान के प्रतिशत को 84.76% तक पुनर्परिकलित किया गया जो पहले 74.30% था। तदनुसार, टीओटी के प्रति वर्ष 2016-17 में उपगत व्ययों का 74.30% को लाभ व हानि के विवरण में आय को अंतरित किया गया। यथा 31.03.2017 को बेलॉप ने रु. 251.26 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया और रु. 3.49 करोड़ का अनुदान अभी प्राप्त किया जाना है।
2. टीपीडीयूपी परियोजना को अनुदान द्वारा वित्त-पोषित किया गया है।

टिप्पणी 20 - प्रावधान

राशि रु. में

विवरण	यथा 31 मार्च 2017	यथा 31 मार्च 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थितियाँ	1,31,38,460	85,72,032	72,72,933
कुल	**1,31,38,460**	**85,72,032**	**72,72,933**

वर्ष के दौरान पूर्व के संचलन इस प्रकार हैं -

राशि रु. में.

विवरण	यथा 1 मार्च 2016 को	परिवर्धन	उपयोगिता	यथा 31 मार्च 2017 को	
				दीर्घकालीन	अल्पकालनीन
दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थितियाँ	1,05,25,513	48,95,934	9,88,085	1,31,38,460	12,94,902
कुल	**1,05,25,513**	**48,95,934**	**9,88,085**	**1,31,38,460**	**12,94,902**

टिप्पणी 21 -

i) आस्थगित कर देयताएँ (निवल)

राशि रु. में

समय अंतरों की प्रकृति	यथा 31 मार्च 2017	यथा 31 मार्च 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
आस्थगित कर देयताएँ	9,52,58,823	4,65,10,433	2,58,22,919
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	6,19,37,157	2,49,39,091	2,14,48,142
कुल	**3,33,21,666**	**2,15,71,342**	**43,74,777**

ii) लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित राशि

राशि रु. में

विवरण	31 मार्च 2017	यथा 31 मार्च 2016
चालू कर व्यय	-	67,53,945
न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी)	2,57,43,872	72,83,102
घटाएँ - एमएटी क्रेडिट हकदारिता	2,57,43,872	5,29,157
चालू कर व्यय	-	67,53,945

iii) अन्य व्यापक आय में अभिचिह्नित आय कर

राशि रु. में

विवरण	31 मार्च 2017			31 मार्च 2016		
	कर पूर्व	कर (व्यय) अनुलाभ	निवल कर	कर पूर्व	कर (व्यय) अनुलाभ	निवल कर
नियोजन के बाद की निर्धारित अनुलाभ योजनाओं पर पुनर्मापन (हानियाँ) / लब्धि	(65,31,740)	-	(65,31,740)	(2,82,098)	41,852	(2,40,246)
कुल	**(65,31,740)**	-	**(65,31,740)**	**(2,82,098)**	**41,852**	**(2,40,246)**

टिप्पणी 21 – आस्थगित कर देयता (निवल)

iv) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ निम्नलिखित के कारण हैं –

विवरण	आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ)			आस्थगित कर देयताएँ			निवल आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ) /देयताएँ	
	31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015	31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015	31.03.2017	31.03.2016
व्यापार लेनदारियाँ	(1,18,06,034)	(1,10,36,679)	(14,92,547)	-	-	-	(1,18,06,034)	(1,10,36,679)
वस्तुसूची	-	-	(52,65,603)	-	-	-	-	-
प्रावधान – अन्य	(1,57,69,916)	(52,28,905)	(84,96,704)	-	-	-	(1,57,69,916)	(52,28,905)
कर्मचारी अनुलाभ	(47,72,102)	(34,80,050)	(28,89,320)	-	-	-	(47,72,102)	(34,80,050)
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	-	-	3,93,77,368	2,40,07,046	92,67,556	3,93,77,368	2,40,07,046
व्यापार देय	(6,47,815)	(6,47,815)	(6,35,707)		-	-	(6,47,815)	(6,47,815)
अन्य देयताएँ	-	(13,48,224)	-		-	-	-	(13,48,224)
संयंत्र की संपत्ति व उपस्कर	-	-	-	5,58,81,455	2,25,03,386	1,65,55,363	5,58,81,455	2,25,03,386
एमएटी क्रेडिट	(2,89,41,290)	(31,97,418)	(26,68,261)		-	-	(2,89,41,290)	(31,97,418)
कुल	**(6,19,37,157)**	**(2,49,39,091)**	**(2,14,48,142)**	**9,52,58,823**	**4,65,10,432**	**2,58,22,919**	**3,33,21,666**	**2,15,71,342**

v) आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का संचलन

राशि रु. में.

विवरण	01.04.2015 को शेष	2015-16 के दौरान पी एंड एल में अभिचिह्नित	2015-16 के दौरान ओसीआई में अभिचिह्नित	31.03.2016 को शेष	2016-17 के दौरान पी एंड एल में अभिचिह्नित	2016-17 के दौरान ओसीआई में अभिचिह्नित	31.03.2017 को शेष
व्यापार लेनदारियाँ	(14,92,547)	(95,44,132)	-	(1,10,36,679)	(7,69,355)	-	(1,18,06,034)
वस्तुसूची	(52,65,603)	52,65,603	-	-	-	-	-
प्रावधान – अन्य	(84,96,704)	32,67,799	-	(52,28,905)	(1,05,41,011)	-	(1,57,69,916)
कर्मचारी अनुलाभ	(28,89,320)	(5,90,730)	-	(34,80,050)	(12,92,052)	-	(47,72,102)
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	92,67,556	1,47,39,490	-	2,40,07,046	1,53,70,322	-	3,93,77,368
व्यापार देय	(6,35,707)	(12,108)	-	(6,47,815)	-	-	(6,47,815)
अन्य देयताएँ	-	(13,48,224)	-	(13,48,224)	13,48,224	-	-
संयंत्र की संपत्ति व उपस्कर	1,65,55,363	59,48,023	-	2,25,03,386	3,33,78,069	-	5,58,81,455
एमएटी क्रेडिट	(26,68,261)	(5,29,157)	-	(31,97,418)	(2,57,43,872)	-	(2,89,41,290)
कुल	**43,74,777**	**1,71,96,564**	**-**	**2,15,71,341**	**1,17,50,322**	**-**	**3,33,21,666**

2016-17				
vi)	प्रभावी कर दर का समाधान			
क्र. सं..	विवरण	राशि (रु.)	कर प्रभाव (रु.)	कर दर %
i	सामान्य दर पर कर			
1	बही का लाभ	8,56,56,187		
2	कर दर @34.608%		2,96,43,893	34.61
	बहियों के अनुसार कर प्रावधान व्यय			
3	चालू वर्ष के लिए कर प्रावधान		2,57,43,872	
4	घटाएँ - आस्थगित कर (एमएटी क्रेडिट सहित)		1,17,50,322	
5	कर का निवल प्रावधान		3,74,94,194	43.77
	अंतर (2-5)		**(78,50,301)**	**(9.16)**
	अस्थायी अंतर के कारण		(78,50,301)	(9.16)

2015-16				
vi)	प्रभावी कर दर का समाधान			
क्र. सं.	विवरण	राशि (रु.)	कर प्रभाव (रु.)	कर दर%
सामान्य दर पर कर				
1	बही का लाभ	5,23,77,477		
2	कर दर @34.608%		1,81,26,797	34.61
	बहियों के अनुसार कर प्रावधान व्यय			
3	चालू वर्ष के लिए कर प्रावधान		73,24,954	
4	घटाएँ - आस्थगित कर (एमएटी क्रेडिट सहित)		1,71,96,563	
5	कर का निवल प्रावधान		2,45,21,517	46.82
	अंतर (2-5)		**(63,94,720)**	**(7.47)**
	अस्थायी अंतर के कारण		(63,94,720)	(7.47)

vii) कर की हानियाँ जिन्हें आगे ले जाया गया

राशि रु. में

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
1	कर की हानियाँ जिन्हें आगे ले जाया गया	7,45,38,547	कुछ नहीं	कुछ नहीं

कर हानियाँ निर्धारण वर्ष 2025-26 में समाप्त होती हैं।

viii) ऐसी कोई मद नहीं है जिस पर आस्थगित कर सृजित नहीं किया गया।

टिप्पणी 22 - उधार

राशि रु. में

विवरण	यथा 31 मार्च 2017	यथा 31 मार्च 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
बैंक से ऋण			
एसबीआई क्रेता क्रेडिट	2,09,47,623	11,36,56,120	11,82,09,079
एक्सिस क्रेता क्रेडिट	11,48,51,372	17,01,97,219	12,90,77,833
उप – कुल (1)	**13,57,98,995**	**28,38,53,339**	**24,72,86,912**
संबंधित पक्षकार से ऋण			
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (धारक कंपनी)	20,96,79,118	49,17,06,774	-
उप – कुल (2)	**20,96,79,118**	**49,17,06,774**	-
कुल (1+2)	**34,54,78,113**	**77,55,60,113**	**24,72,86,912**

ब्यौरे के लिए टिप्पणी सं. 38 देखें

उचित मूल्य संबंधी मूल्यांकनों के लिए कृपया टिप्पणी 37 देखें

टिप्पणी 23 – व्यापार देय

राशि रु. में

विवरण	यथा 31 मार्च 2017	यथा 31 मार्च 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
(1) सूक्ष्म व लघु उद्यमों को देय; तथा	-	-	-
(2) सूक्ष्म व लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों को देय	14,77,30,085	8,40,87,202	42,09,78,909
कुल (1+2)	**14,77,30,085**	**8,40,87,202**	**42,09,78,909**

i) **सूक्ष्म व लघु उद्यम (एमएसई)**

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत जानकारी उस सीमा तक प्रकट की गई है जहाँ तक ऐसे पूर्तिकर्ताओं को कंपनी ने अभिचिह्नित किया है। कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आदार पर बकाया राशियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं –

विवरण	2016-17	2015-16	2014-15
वर्षांत में देय व प्रदेय राशि			
- मूलधन	-	-	-
- उक्त मूलधन पर ब्याज	-	-	-
वर्ष के दौरान नियत तारीख के बाद किए गए भुगतान			
- मूलधन	-	-	-
- ब्याज	-	-	-
पहले से अदा किए गए मूलधनों पर देय और प्रदेय ब्याज	-	-	-
वर्षांत में प्रोद्भूत तथा अदत्त कुल ब्याज	-	-	-
उत्तरवर्ती वर्षों में भी देय और प्रदेय ब्याज, जो उस तारीख तक बने रहे जब उपर्युक्त अनुसार देय ब्याज लघु उद्यमों को एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य खर्च के रूप में अस्वीकृत करने के प्रयोजनार्थ, वास्तविक रूप से अदा किए गए थे।	-	-	-

ii) यह सूचना ऐसे पूर्तिकर्ताओं के संबंध में उस सीमा तक दी गई है जिन्हें कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर सूक्ष्म व लघु उद्यमों के रूप में अभिचिह्नित किया जा सका।

iii) उचित मूल्य संबंधी मूल्यांकनों के लिए कृपया टिप्पणी 37 देखें

टिप्पणी 24 – अन्य वित्तीय देयताएँ

राशि रु. में

विवरण	यथा 31 मार्च 2017	यथा 31 मार्च 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
पूँजीगत लेनदार	46,80,53,892	11,51,270	2,26,972
क्रेता क्रेडिट पर प्रोद्भूत ब्याज	1,78,379	2,48,552	4,81,836
बीईएल से ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज	25,74,152	96,07,056	-
ईएमडी जमा	4,94,840	2,78,840	2,78,840
सुरक्षा जमा	38,42,808	28,40,329	29,32,257
बकाया देयताएँ	53,28,091	33,94,067	43,15,810
कुल	**48,04,72,162**	**1,75,20,114**	**82,35,715**

उचित मूल्य संबंधी मूल्यांकनों के लिए कृपया टिप्पणी 37 देखें

टिप्पणी 25 – अन्य चालू देयताएँ

राशि रु. में

विवरण	यथा 31 मार्च 2017		यथा 31 मार्च 2016		यथा 1 अप्रैल, 2015	
ग्राहकों से अग्रिम		25,44,567		32,51,401		10,93,97,130
सांविधिक देय प्रदेय						
देय टीडीएस	39,63,216		7,20,518		3,79,727	
देय विक्रय कर	1,10,20,885		1,11,14,051		1,35,58,001	
देय सेवा कर	-		57,914		-	
देय उत्पाद शुल्क	-		40,77,742		46,89,121	
अन्य सांविधिक देय प्रदेय	9,62,328	1,59,46,429	7,36,249	1,67,06,474	6,94,437	1,93,21,286
राजस्व अधिकारियों को देय ब्याज						
उत्पाद शुल्क	-	-	33,86,475	33,86,475	5,81,475	5,81,475
कुल		**1,84,90,996**		**2,33,44,350**		**12,92,99,891**

टिप्पणी 26 - प्रावधान

राशि रु. में

विवरण	यथा 31 मार्च 2017		यथा 31 मार्च 2016		यथा 1 अप्रैल, 2015	
कार्य-निष्पादन वारंटी का प्रावधान		4,76,96,567		1,58,14,974		2,61,88,023
कर्मचारी अनुलाभ का प्रावधान						
दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थितियाँ	12,94,902		19,53,481		16,32,352	
उपदान	78,15,902		15,63,701		27,57,279	
वार्षिक प्रोत्साहन	1,03,73,549		53,32,045		39,54,558	
वेतन पुनरीक्षण	12,51,512	2,07,35,865	5,37,44,478	6,25,93,705	3,77,73,595	4,61,17,784
कुल		**6,84,32,432**		**7,84,08,679**		**7,23,05,807**

वर्ष 2016-17 के प्रावधानों का संचलन

I) कार्य-निष्पादन वारंटी का प्रावधान

राशि रु. में

विवरण	यथा 31 मार्च 2017	यथा 31 मार्च 2016
वर्ष के प्रारंभ में वहनीय राशि	1,58,14,974	2,61,88,023
जोड़ें - वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान	3,22,23,271	-
घटाएँ- वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशियाँ	3,41,678	47,042
घटाएँ- वर्ष के दौरान व्युत्क्रमित अप्रयुक्त राशियाँ	-	1,03,26,007
वर्ष के अंत में वहनीय राशि	**4,76,96,567**	**1,58,14,974**

देयताओं की प्रकृति तथा आर्थिक हितलाभों के परिणामी बहिर्गम के अपेक्षित समय का संक्षिप्त विवरण-

1) वारंटी का प्रावधान -

लागतें उत्पादों की बिक्री के समय प्रोद्भूत होती हैं। वारंटी के प्रावधान विगत अनुभव पर आधारित हैं। प्रावधान बिक्री की तारीख से 24/48 महीनों की वारंटी अवधि पर प्रभारित किए जाते हैं। वर्ष के दौरान ,अतिरिक्त वारंटी का प्रावधान बिक्री संविदाओं के अनुसार किए गए।

कर्मचारी अनुलाभ
भारतीय एएस-19

उपदान

भारतीय एएस 19 द्वारा यथा अपेक्षित कर्मचारी अनुलाभ के विवरण नीचे दिए गए हैं –

निर्धारित अनुलाभ योजना

i) लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित निर्धारित अनुलाभ योजनाओं के संबंध में बीमांकक लब्धियाँ और हानियाँ रु. 12,84,162/- (पिछले वर्ष रु. 12,81,603/-) हैं।

ii) अन्य व्यापक आय के विवरण में अभिचिह्नित निर्धारित अनुलाभ योजनाओं के संबंध में बीमांकक लब्धियाँ और हानियाँ रु. 65,31,740/- (पिछले वर्ष रु. 2,82,098/-) हैं।

iii) उपदान कर्मचारी के लिए पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए आहरित अंतिम वेतन के 15 दिनों पर आधारित अनुलाभ होता है।

iv) उपदान योजना वित्त-पोषित है।

राशि रु. में

विवरण		उपदान	
(क)	निर्धारित देयता जो अपने प्रारंभिक और अंतिम शेषों का समाधान दर्शाता है, के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन इस प्रकार हैं –	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अवधि के प्रारंभ में निर्धारित अनुलाभ देयता का वर्तमान मूल्य	2,20,83,964	1,89,80,132
2	ब्याज की लागत	17,57,884	10,61,296
3	चालू सेवा लागत	11,59,691	15,16,513
4	कांट-छांट में हानि (लब्धि)	-	-
5	निपटान पर समाप्त देयताएँ	-	-
6	योजना के संशोधन	-	-
7	देयताओं पर बीमांकक (लब्धि)/हानि	19,93,434	65,986
8	अनुभव के कारण - देयताओं पर बीमांकक (लब्धि)/हानि	46,35,049	4,60,037
9	अदा किए गए अनुलाभ	-	-
10	तुलन-पत्र की तारीख में निर्धारित अनुलाभ देयताओं का वर्तमान मूल्य	3,16,30,022	2,20,83,964

(ख)	योजित परिसंपत्तियाँ जो अपने प्रारंभिक और अंतिम शेषों का समाधान दर्शाती हैं, के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन इस प्रकार हैं –	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अवधि के प्रारंभ में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2,05,20,263	1,62,22,853
2	ब्याज की आय	16,33,413	12,96,206
3	कर्मचारियों द्वारा वास्तविक अंशदान	15,63,701	27,57,279
4	योजित परिसंपत्तियों पर प्राप्ति, ब्याज की आय को छोड़कर	96,743	2,43,925
5	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2,38,14,120	2,05,20,263

(ग)	तुलन-पत्र में अभिचिह्नित राशि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य	(3,16,30,022)	(2,20,83,964)
2	वर्ष के अंत में योजित परिसंपत्ति यों का उचित मूल्य	2,38,14,120	2,05,20,263
3	वित्त-पोषण की स्थिति (अधिशेष/(कमी)	(78,15,902)	(15,63,701)
4	तुलन-पत्र में अभिचिह्नित निवल परिसंपत्ति / (देयता)	(78,15,902)	(15,63,701)

(घ)	निर्धारित अनुलाभ देयता के वर्तमान मूल्य और योजित परिसंपत्तियों जो तुलन-पत्र में अभिचिह्नित राशि दर्शाती हैं, के उचित मूल्य का समाधान –	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता का वर्तमान मूल्य	(3,16,30,022)	(2,20,83,964)
2	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2,38,14,120	2,05,20,263
3	वित्त-पोषण की स्थिति (अधिशेष/(कमी)	(78,15,902)	(15,63,701)
4	अनभिचिह्नित विगत सेवा लागत	-	-
5	**तुलन-पत्र में अभिचिह्नित निवल परिसंपत्ति / (देयता)**	**(78,15,902)**	**(15,63,701)**

(ङ)	चालू अवधि के लिए लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	चालू सेवा लागत	11,59,691	10,61,296
2	ब्याज की लागत	1,24,471	2,20,307
3	विगत सेवा लागत	-	-
4	**उपदान निधि के अंशदान के तहत लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित कुल व्यय**	**12,84,162**	**12,81,603**

(च)	चालू अवधि क लिए अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में अभिचिह्नित व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अवधि की देयता पर बीमांकक लब्धि / हानि	66,28,483	5,26,023
2	योजित परिसंपत्तियों पर प्राप्ति, ब्याज की आय छोड़कर	(96,743)	(2,43,925)
3	परिसंपत्ति की सीमा में परिवर्तन	-	-
4	ओसीआई में अभिचिह्नित अवधि का निवल (आय) / व्यय	65,31,740	2,82,098

(छ) उपदान और अधिवार्षिता के संबंध में वित्त-पोषित अनुलाभों के संबंध में, योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य "बीमाकर्ता द्वारा व्यवस्थित निधियों" द्वारा निवेश की गई राशि दर्शाता है।

(ज)	मुख्य बीमांकक की मान्यताएँ –	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	बट्टे की दर (%)	7.27%	7.96%
2	योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्राप्ति (%)	7.27%	7.96%
3	वेतन में बढ़ोत्तरी (%)	5.00%	5.00%
4	कर्मचारी आवर्त की दर	2.00%	2.00%

a) बट्टे की दर देयताओं के प्राक्कलित निबंधनों के लिए तुलन-पत्र की तारीख पर भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों के प्रचलित बाज़ार लब्धियों पर आधारित है।

b) योजित परिसंपत्तियों की प्राप्ति की अपेक्षित दर – यह देयताओं की प्राक्कलित अवधि के दौरान निधि के निवेशों पर अपेक्षित प्राप्ति की औसत दीर्घकालीन दर की अपेक्षा पर आधारित होती है।

c) वेतन में बढ़ोत्तरी की दर – भावी वेतन बढ़ोत्तरी के प्राक्कलन मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

(झ)	संवेदनशीलता विश्लेषण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	चालू मान्यताओं पर प्रक्षेपित अनुलाभ देयता	3,16,30,022	2,20,83,964
1	डेल्टा प्रभाव + बट्टे की दर में 1% परिवर्तन	(28,34,213)	(20,648)
2	डेल्टा प्रभाव - बट्टे की दर में 1% परिवर्तन	32,195	23,58,149
3	डेल्टा प्रभाव +वेतन बढ़ोत्तरी की दर में 1% परिवर्तन	32,60,681	24,04,810
4	डेल्टा प्रभाव - वेतन बढ़ोत्तरी की दर में 1% परिवर्तन	(29,17,683)	(21,38,236)
5	डेल्टा प्रभाव + कर्मचारी आवर्त की दर में 1% परिवर्तन	5,05,660	5,27,264
6	डेल्टा प्रभाव - कर्मचारी आवर्त की दर में 1% परिवर्तन	(5,52,928)	(5,78,182)

(ञ) उपदान निधि का निवेश बीमा कंपनी के पास है

कर्मचारी अनुलाभ
भारतीय एएस 19

छुट्टी नकदीकरण
भारतीय एएस 19

कंपनी में छुट्टी नकदीकरण की योजना है जो वित्त-पोषण रहित योजना है।

इस योजना के अनुसार, कंपनी के सभी कर्मचारी अपनी संचित वार्षिक छुट्टी का नकदीकरण करने के हकदार हैं जो प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित अनुसार न्यूनतम छुट्टी को धारित करने की शर्त पर किया जा सकता है, नकदीकृत छुट्टी (मूल वेतन+डी.ए.)/30 प्रति दिन की दर से देय होती है।

वार्षिक छुट्टी जैसी दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थिति के भुगतान की देयता का मूल्यांकन बीमांकक आधार पर किया जाता है, यथा 31.03.2017 को रु. 1,44,33,362/- है। बीमांकक मूल्यांकन पीयूसी विधि का प्रयोग कर किया जाता है।

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
सेवानिवृत्ति की आयु	58 वर्ष	58 वर्ष
पलायन दर	2%	2%
भावी वेतन बढ़ोत्तरी	5%	5%
बट्टे की दर	7.27%	7.96%
मृत्यु दर	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर (2006-08)	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर (2006-08)

दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थितियों पर देयता की राशि को बीमांकक की रिपोर्ट के आधार पर चालू और चालू-इतर के बीच विभाजित किया गया है।

चालू देयता -	रु. 12,94,902/-
चालू-इतर देयता	रु. 1,31,38,460/-
कुल	रु. **1,44,33,362/-**

टिप्पणी 27 – चालू कर देयताएँ

राशि रु. में

विवरण	यथा 31 मार्च 2017	यथा 31 मार्च 2017	यथा 1 अप्रैल, 2015
आय कर का प्रावधान (निवल अग्रिम कर)	2,48,16,336	67,04,735	1,28,61,850
आय कर पर ब्याज	19,97,715	5,23,246	10,06,052
कुल	**2,68,14,051**	**72,27,981**	**1,38,67,902**

टिप्पणी 28 – प्रचालनों से राजस्व

राशि रु. में

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) उत्पादों की बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित)	1,23,40,91,515	1,08,74,86,506
(ख) सेवाओं की बिक्री	46,81,500	53,08,070
(ग) कुल राजस्व (क+ख)	**1,23,87,73,015**	**1,09,27,94,576**

टिप्पणी 29 – अन्य आय

राशि रु. में

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
मीयादी जमा पर ब्याज	73,73,935	77,80,464
ब्याज, अन्य	2,52,103	1,55,348
विविध प्रावधान तथा क्रेडिट शेष जो आवश्यक नहीं थे, बट्टे खाते में डाले गए	2,02,05,133	1,20,70,221
विदेशी मुद्रा के लेनदेन तथा लेनदेन (निवल) पर निवल लब्धि@	4,51,18,965	-
पूर्तिकर्ता से वसूल किए गए परिनिर्धारित हर्जाना	-	8,20,662
प्रतिलेखित वेतन	-	2,18,198
प्रतिलेकित सामग्री, श्रम तथा मूल्यह्रास की लागत	-	10,11,527
विविध आय	4,03,420	63,895
कुल	**7,33,53,556**	**2,21,20,315**

@ विदेशी मुद्रा की लब्धि / (हानि) लेनदेन को दर्ज करने की तारीख और निपटान / रिपोर्टिंग तारीख के बीच विदेशी मुद्रा के लेनदेन से उत्पन्न होने वाले दर के उतार-चढ़ाव के कारण हैं।

टिप्पणी 30 – खपत सामग्री की लागत

राशि रु. में

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
1) खपत कच्चा माल और घटक		
प्रारंभिक स्टॉक	4,32,10,957	10,40,49,855
जोड़ें - खरीद	62,82,53,681	53,82,43,138
	67,14,64,638	64,22,92,993
घटाएँ - अंतिम स्टॉक	5,36,38,821	4,32,10,957
उप-कुल (1)	**61,78,25,817**	**59,90,82,036**
2) खपत स्टोर और उपभोज्य		
प्रारंभिक स्टॉक	96,74,308	1,44,60,544
जोड़ें - खरीद	1,27,60,059	1,01,76,664
	2,24,34,367	2,46,37,208
घटाएँ - अंतिम स्टॉक	1,11,66,701	96,74,308
उप-कुल (2)	**1,12,67,666**	**1,49,62,900**
कुल (1+2)	**62,90,93,483**	**61,40,44,936**

टिप्पणी 31 – तैयार माल, व्यापारगत स्टॉक और चालू कार्य की वस्तुसूचियों में परिवर्तन

राशि रु. में

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
चालू कार्य				
प्रारंभिक स्टॉक	18,60,75,282		19,96,59,993	
अंतिम स्टॉक	22,10,51,101	(3,49,75,819)	18,60,75,282	1,35,84,711
तैयार माल				
प्रारंभिक स्टॉक	-		-	
अंतिम स्टॉक	-	-	-	-
कुल कमी / (बढ़ोत्तरी)		**(3,49,75,819)**		**1,35,84,711**

टिप्पणी 32 – कर्मचारी अनुलाभ व्यय

राशि रु. में

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
वेतन और भत्ते		7,62,43,495		7,62,00,979
छुट्टी नकदीकरण		48,95,934		24,10,695
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों के प्रति अंशदान				
भविष्य निधि	60,90,838		43,54,052	
अधिवर्षिता निधि	12,92,968		12,17,343	
उपदान	12,84,162		12,81,603	
अन्य निधियाँ	2,23,619	88,91,587	1,56,590	70,09,588
भ.नि. पर प्रशासन तथा ईडीएलआ प्रभार		5,92,626		4,15,252
स्टाफ़ कल्याण व्यय		20,25,888		16,80,217
कुल		**9,26,49,530**		**8,77,16,731**

टिप्पणी 33 – वित्त लागतें

राशि रु. में

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज, अन्य	40,946	73,983
बीईएल के अल्पकालिक वित्त-पोषण पर ब्याज	2,72,89,204	2,64,39,519
बीईएल से प्राप्त ऋण पर ब्याज	3,58,56,056	2,80,32,814
नकद क्रेडिट पर ब्याज	21,62,759	57,98,990
खरीददार क्रेडिट पर ब्याज	12,01,828	14,33,533
आय कर पर ब्याज	19,97,715	5,23,246
उत्पाद शुल्क पर ब्याज	-	28,05,000
उप-कुल (1)	**6,85,48,508**	**6,51,07,085**
अन्य उधार की लागत		
ऋण प्रसंस्करण प्रभार	55,01,084	44,54,447
उप-कुल (2)	**55,01,084**	**44,54,447**
कुल (1+2)	**7,40,49,592**	**6,95,61,532**

वर्ष के दौरान पूँजीकृत ब्याज की राशि रु. 17,45,706/- (पिछले वर्ष - रु. कुछ नहीं) है।

टिप्पणी 34 – तकनीकी सहायता शुल्क

राशि रु. में

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
तकनीकी सहायता शुल्क	6,02,96,479	-
कुल	**6,02,96,479**	**-**

टिप्पणी 35 – अन्य व्यय

राशि रु. में

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
अन्य व्यय		
बिजली और ईंधन	2,67,04,161	3,22,85,597
पानी का प्रभार	3,27,629	2,77,704
रॉयल्टी	19,19,375	18,50,000
यात्रा और वाहन व्यय	25,36,808	24,79,894
संचार	7,23,012	8,73,102
मुद्रण व लेखन-सामग्री	2,65,458	1,63,863
बीमा	19,11,546	20,95,884
दर व कर	27,74,145	97,60,610
बैंक प्रभार	65,93,359	21,54,705
कानूनी व पेशेवर प्रभार	10,10,961	23,08,022
विदेशी मुद्रा के लेनदेन पर हानि (निवल) **	-	5,39,25,068
अचल परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डालना	5,698	22,573
मरम्मत		
मशीनरी	1,57,98,653	55,11,069
भवन	4,00,406	-
सामान्य अनुरक्षण व्यय	94,48,297	98,42,479
संदिग्ध ऋण तथा परिनिर्धारित हर्जाने का प्रावधान	23,26,937	2,87,80,516
वारंटी अवधि के दौरान मरम्मत का प्रावधान	3,22,23,271	-
विविध व्यय	24,48,292	18,52,952
कुल	**10,74,18,008**	**15,41,84,038**

** विदेशी मुद्रा की लब्धि / (हानि) लेनदेन को दर्ज करने की तारीख और निपटान / रिपोर्टिंग तारीख के बीच विदेशी मुद्रा के लेनदेन से उत्पन्न होने वाले दर के उतार-चढ़ाव के कारण हैं।

टिप्पणी 36 – प्रति शेयर अर्जन

(a) मूल व परिवर्तित प्रति शेयर अर्जन का परिकलन करने में अंश के रूप में प्रयुक्त राशि लाभ व हानि के विवरण में प्रकट किए गए वर्ष का कर पश्चात् निवल लाभ है।

(b) प्रति शेयर मूल व परिवर्तित दोनों का परिकलन करने में हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या 41,75,846 शेयर है।

राशि रु. में

प्रति शेयर अर्जन	2016-17	2015-16
वर्ष का लाभ	4,81,61,992	2,78,55,960
प्रति शेयर अर्जन का परिकलन करने में प्रयुक्त शेयरों की संख्या	41,75,846	25,90,296
निरंतर प्रचालन से प्रति शेयर अर्जन (मूल व परिवर्तित)	**11.53**	**10.75**
प्रचालन बंद करने से प्रति शेयर अर्जन (मूल व परिवर्तित)	**-**	**-**

टिप्पणी 37 – वित्तीय जोखिम प्रबंधन

(i) जोखिम प्रबंधन का ढांचा और नीति

कंपनी वित्तीय विलेखों के परिणामस्वरूप व्यापक रूप से क्रेडिट जोखिम, चलनिधि के जोखिम और बाज़ार के जोखिम (विनिमय दरों, ब्याज दरों तथा कीमत के जोखिम का उतार-चढ़ाव) के अधीन है।

कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे की संस्थापना, निगरानी और पर्यवेक्षण की समग्र जिम्मेदारी निदेशक मंडल की है। इस प्रयोजनार्थ, मंडल ने एक जोखिम प्रबंध समिति गठित की है जो जोखिम प्रबंध नीतियों को विकसित करने और उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कंपनी ने ऐसी संस्थापित जोखिम प्रबंध नीति तैयार की है जिसमें जोखिम प्रबंधन की संरचना निर्धारित की गई है और जिसमें वित्त तथा प्रचालनों के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, प्राथमिकता और उपचार करने का व्यापक ढांचा तैयार किया गया है।

(ii) बाज़ार का जोखिम

बाज़ार का जोखिम वह जोखिम होता है जो बाज़ार की कीमतों में परिवर्तन से होता है जैसे विदेशी मुद्रा विनिमय की दर, ब्याज की दर, जो कंपनी की आय अथवा इसके वित्तीय विलेखों के मूल्य को प्रभावित करते हैं। बाज़ार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य प्राप्तियों को अनुकूलतम करते हुए स्वीकार्य परिमापियों के भीतर बाज़ार के जोखिमों का प्रबंध और नियंत्रण करना होता है।

कंपनी के कार्यकलापों से कंपनी प्राथमिक रूप से, विदेशी मुद्रा विनियम की दरों तथा ब्याज की दरों संचलनों में परिवर्तन से जुड़े वित्तीय जोखिम के अधीन होती है (मुद्रा जोखिम तथा ब्याज जोखिम पर नीचे दी गई टिप्पणियाँ देखें)।

(iii) मुद्रा का जोखिम

बेलॉप यूएस डॉलर (यूएसडी), यूरो, एसजीडी, सीएचएफ जैसी विदेशी मुद्राओं में किए गए खरीद और बिक्री से संबंधित प्राथमिक विदेशी मुद्रा के लेनदेनों से पैदा होने वाली विदेशी मुद्रा जोखिम के अधीन है। विद्यमान तथा भावी वाणिज्यिक लेनदेनों तथा कंपनी की कार्यशील मुद्रा (आईएनआर) से अलग मुद्रा में अभिचिह्नित परिसंपत्तियों और देयताओं से विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम पैदा होते हैं।

कंपनी की जोखिम प्रबंध समिति नियमित रूप से इस जोखिम के प्रति कंपनी के एक्सपोज़र की समीक्षा करती है।

कंपनी को निर्यात से होने वाली प्राप्तियाँ जिन्हें यूएसडी में अभिचिह्नित किया जाता है, निर्यात अर्जक विदेशी मुद्रा खाता (ईईएफसी) में प्राप्त किए जाते हैं जिसका प्रयोग यूएसडी विदेशी मुद्रा में भुगतान करने के लिए किया जाता है और इस तरह, निर्यातों पर मुद्रा संबंधी जोखिम को कम किया जाता है।

कम अवधि के ग्राहक के आदेशों के मामले में, मुद्रा जोखिम को ग्राहक द्वारा कोट की गई कीमत में विचार में लिया जाता है। बहरहाल, लंबी अवधि के ग्राहक के आदेशों के मामले में, संविदा में ईआरवी खंड शामिल किया जाता है जिसमें विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव का जोखिम समाप्त किया जाता है।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान की व्युत्पन्नी संविदा नहीं की है। यथा 31 मार्च 2017 को, कोई बकाया व्युत्पन्नी संविदा नहीं था।

मुद्रा जोखिम पर कंपनी का एक्सपोज़र नीचे दिया गया है -

विवरण	31 मार्च 2017		31 मार्च 2016		31 मार्च 2015	
	यूरो	यूएसडी	यूरो	यूएसडी	यूरो	यूएसडी
बैंक शेष	-	11,892/-	-	240/-	-	4,589/-
रु.	-	7,80,115/-	-	15,859/-	-	2,85,508/-
बैंक ऋण - रक्षित	16,64,154/-	2,85,200/-	33,37,441/-	4,63,412/-	25,83,412/-	11,18,456/-
रु.	11,70,89,875/-	1,87,09,120/-	25,29,11,287/-	3,09,42,052/-	17,67,57,049/-	7,05,29,863/-
व्यापार देय	85,70,520/-	11,060/-	8,93,580/-	-	58,67,773/-	5,418/-
रु.	60,30,21,787/-	7,25,536/-	6,49,40,437/-	-	45,37,39,623/-	3,39,077/-
अभिचिह्नित परिसंपत्तियों और देयताओं के संबंध में निवल एक्सपोज़र	1,02,34,674/-	2,84,368/-	42,31,021/-	4,63,172/-	84,51,185/-	11,19,285/-
रु.	**72,01,11,662/-**	**1,86,54,541/-**	**31,78,51,724/-**	**3,09,26,193/-**	**63,04,96,672/-**	**7,05,83,432/-**

(iv) विदेशी मुद्रा की संवेदनशीलता

यथा 31 मार्च 2017 को प्रमुख मुद्रा यूरो के समक्ष भारतीय रुपए के औचित्यपूर्ण संभावित सशक्तीकरण / (दुर्बलीकरण) से विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्ग के वित्तीय विलेखों को प्रभावित किया होगा और नीचे दी गई राशियों तक लाभ व हानि तथा इक्विटी को प्रभावित किया होगा। इस विश्लेषण में यह माना गया है कि अन्य सभी परिवर्त, विशेषकर ब्याज दरें, स्थिर रहती हैं और इसमें पूर्वानुमान करने योग्य किसी बिक्री या खरीद के प्रभाव को महत्ता नहीं दी गई है -

राशि रु. में

विवरण	लाभ और इक्विटी पर प्रभाव	
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
मुद्रा वार - यूरो दर में वृद्धि 5% तक	-3,60,05,583	-1,60,31,339
मुद्रा वार - यूरो दर में कमी 5% तक	3,60,05,583	1,60,31,339

(v) ब्याज की दर का जोखिम

ब्याज की दर का जोखिम उचित मूल्य वाला ब्याज दर या नकदी प्राप्ति वाला ब्याज दर का जोखिम हो सकता है। उचित मूल्य वाला ब्याज दर जोखिम ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के कारण निश्चित ब्याज वाले निवेशों के उचित मूल्यों में परिवर्तनों का जोखिम होता है। नकदी प्राप्ति वाला ब्याज दर का जोखिम वह जोखिम होता है जो अस्थावी ब्याज वाले विलेखों की भावी नकदी प्राप्ति, बाज़ार की ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के कारण परिवर्तित होगी।

a. कंपनी को बीईएल द्वारा रु. 50,00,00,000 की कार्यशील पूंजी का ऋण मंजूर किया गया है। इस पर ब्याज बीईएल द्वारा बैंक में जमा राशि पर पिछले महीने तक अर्जित लब्धि की दर पर मासिक रूप से प्रभारित होता है।
b. कंपनी को बीईएल द्वारा एक्सआर-5 परियोजना के निष्पादन के लिए रु. 46,00,00,000 का मीयादी ऋण मंजूर किया गया है। इस पर ब्याज बीईएल द्वारा बैंक में जमा राशि पर पिछले महीने तक अर्जित लब्धि की दर पर मासिक रूप से अथवा पाँच वर्षों की अवधि के भारत सरकार के बांड पर लब्धि की ब्याज दर, इनमें से जो भी उच्चतर हो, प्रभारित होता है।
c. बेलॉप को एसबीआई (अग्रणी बैंक) के संघीय बैंकों और एक्सिस बैंक द्वारा रु. 46,00,00,000 की निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित कार्यशील पूँजी सीमा भी मंजूर की गई है। इसकी ब्याज दर 8.45% प्रति वर्ष (एक्सिस बैंक) और 8.35% प्रतिवर्ष (एसबीआई) है। एसबीआई और एक्सिस बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज दर अपने बेस दर से जुड़ी होती हैं जिसमें उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। यथा 31 मार्च 2017 को कुछ नहीं है जिसके संबंध में देय ब्याज एसबीआई और एक्सिस बैंक की बेस दर (निबंधन व शर्तों के अनुसार, एसबीआई और एक्सिस बैंक दोनों आवधिक आधार पर प्रभारित ब्याज को दोबारा निर्धारित करने के पात्र हैं) पर आधारित है।

(vi) चलनिधि का जोखिम

चलनिधि का जोखिम ऐसा जोखिम होता है जिसका सामना कंपनी को तब करना पड़ता है जब उसे नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति सुपुर्द करते समय वित्तीय देयताओं से जुड़ी देयताओं को पूरा करते समय कठिनाई होती है या ऐसा जोखिम जब कंपनी को अपनी प्रतिबद्धताएँ पूरी करने के लि आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाते समय सामना करना पड़ता है। चलनिधि के जोखिम के लिए कंपनी का एक्सपोज़र बहुत कम होता है क्योंकि कंपनी में एक दूरदर्शी चलनिधि जोखिम प्रबंध प्रक्रिया विद्यमान होती है जिसमें देय दायित्वों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकदी बनाए रखना सुनिश्चित किया जाता है। निरंतर वित्त-पोषण सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी के पास चालू कार्यशील पूँजी संबंधी ज़रूरतों का वित्त-पोषण करने की नकद क्रेडिट सुविधा की प्रकृति में अल्पकालीन बैंक सुविधाएँ उपलब्ध रहती हैं।

कंपनी मुख्यत: आंतरिक रूप से सृजित नकदी प्राप्ति द्वारा अपनी चलनिधि की आवश्यकताएं पूरी करती है जिसकी निगरानी देयताओं को पूरा करने के लिए, अपेक्षित नकदी प्राप्ति का आंकलन करते हुए की जाती है।

प्रकट की गई राशियाँ संविदाजन्य प्रकट न की गई नकदी प्राप्तियाँ होती हैं। नीचे दिए गए टेबल में संविदाजन्य परिपक्व राशियों के आधार पर कंपनी की वित्तीय देयताओं का विश्लेषण किया गया है -

टिप्पणी 37 – वित्तीय जोखिम प्रबंधन – चल निधि का जोखिम (बिंदु सं. vi)

(i) वित्तीय देयताओं पर परिपक्व राशियाँ –

नीचे दिए गए टेबल में सभी वित्तीय देयताओं को उनकी संविदाजन्य परिपक्व राशियों के आधार पर संबंधित परिपक्वता समूह में दर्शाया गया है। यहाँ प्रकट की गई राशियाँ सकल तथा प्रकट न की गई नकदी प्राप्तियाँ हैं।

31 मार्च 2017 को

राशि रु. में

क्र.सं.	वित्तीय देयताओं की संविदाजन्य परिपक्व राशियों के शीर्ष	3 महीनों से कम	3 से 6 महीने	6 महीनों से 1 वर्ष	1 से 2 वर्षों के बीच	2 से 5 वर्षों के बीच	कुल
I	व्यापार देय	14,77,30,085	-	-	-	-	14,77,30,085
II	उधार	16,19,98,995	6,23,00,000	12,44,66,666	22,19,21,464	-	57,06,87,125
III	अन्य वित्तीय देयताएँ –				-	-	
क	अन्य देय	46,80,53,892	-	-	-	-	46,80,53,892
ख	सुरक्षा जमा	43,37,648	-	-	-	-	43,37,648
ग	बकाया व्यय	53,28,091	-	-	-	-	53,28,091
घ	उधार पर ब्याज	27,52,531	-	-	-	-	27,52,531

31 मार्च 2016 को

राशि रु. में

क्र.सं.	वित्तीय देयताओं की संविदाजन्य परिपक्व राशियों के शीर्ष	3 महीनों से कम	3 से 6 महीने	6 महीनों से 1 वर्ष	1 से 2 वर्षों के बीच	2 से 5 वर्षों के बीच	कुल
I	व्यापार देय	8,40,87,202	-	-			8,40,87,202
II	उधार	77,55,60,113	-	-	-	-	77,55,60,113
III	अन्य वित्तीय देयताएँ –						
क	अन्य देय	11,51,270	-	-	-	-	11,51,270
ख	सुरक्षा जमा	31,19,169	-	-	-	-	31,19,169
ग	बकाया व्यय	33,94,061	-	-	-	-	33,94,061
घ	उधार पर ब्याज	98,55,608	-	-	-	-	98,55,608

1 अप्रैल 2015 को

राशि रु. में

क्र.सं.	वित्तीय देयताओं की संविदाजन्य परिपक्व राशियों के शीर्ष	3 महीनों से कम	3 से 6 महीने	6 महीनों से 1 वर्ष	1 से 2 वर्षों के बीच	2 से 5 वर्षों के बीच	कुल
I	व्यापार देय	42,09,78,909	-	-			42,09,78,909
II	उधार	24,72,86,912	-	-	-	-	24,72,86,912
III	अन्य वित्तीय देयताएँ –						
क	अन्य देय	2,26,972	-	-	-	-	2,26,972
ख	सुरक्षा जमा	32,11,097	-	-	-	-	32,11,097
ग	बकाया व्यय	43,15,810	-	-	-	-	43,15,810
घ	उधार पर ब्याज	4,81,836	-	-	-	-	4,81,836

(vii) क्रेडिट का जोखिम

क्रेडिट जोखिम का अर्थ ऐसे जोखिम से है जिसमें प्रतिपक्षकार अपनी संविदाजन्य देयताओं में चूक करता है जिसके कारण कंपनी को वित्तीय हानि होती है। क्रेडिट का जोखिम ग्राहकों, बैंकों के पास नकद और नकद समतुल्य, सुरक्षा जमा और ऋण के एक्सपोज़र से पैदा होता है।

कंपनी के क्रेडिट जोखिम का प्रबंध जोखिम प्रबंध समिति के निर्देशों से कार्पोरेट स्तर पर किया जाता है।

सरकारी / सरकारी विभागों, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) से व्यापार प्राप्तियों की उल्लेखनीय राशि देय है जिसके कारण कंपनी में ऐसी लेनदारियों से संबंधित क्रेडिट जोखिम नहीं है। गैर-सरकारी व्यापार लेनदारियों के मामले में, आम तौर पर ग्राहक द्वारा संस्थापित साख-पत्र के आधार पर बिक्री की जाती है और इस तरह क्रेडिट का जोखिम कम किया जाता है।

बहुत विशेष मामलों में मंडल की अनुमति प्राप्त करने के बाद बैंक गारंटी के बिना अग्रिम भुगतान किए जाते हैं लेकिन कुल भुगतानों की तुलना में अग्रिम भुगतान की राशि बहुत कम होती है। वित्तीय परिसंपत्तियों पर अनर्जक हानियाँ (जो मुख्य रूप से विलंबित सुपुर्दगियों तथा अन्य अस्वीकृतियों की उगाही योग्य परिनिर्धारित हानियों को बताती हैं) संविदाजन्य निबंधनों आदि को ध्यान में रखने तथा अपेक्षित क्रेडिट हानि को प्रतिबिंबित करने के अन्य संसूचकों को ध्यान में रखने के बाद हिसाब में लिया गया है।

बैंकों के पास नकद और नकद समतुल्य अल्पकालिक जमाओं के रूप में हैं जिनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष तक की है। कंपनी अपनी अल्पकालिक जमा राशियाँ केवल राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा उनके संघीय बैंकों में ही रखती है । कंपनी को जमा राशियों पर बैंकों की चूक के कारण कोई हानि नहीं हुई है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्रेडिट जोखिम नाममात्र की है क्योंकि इसमें बैंकों द्वारा धारित मीयादी जमा राशियाँ शामिल हैं।

(viii) पूँजी प्रबंधन

कंपनी का पूँजी प्रबंधन उद्देश्य एक मज़बूत पूँजी आधार तथा अनुकूलतम पूँजी संरचना बनाए रखना है ताकि शेयरधारकों के लिए सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय बना रहे और इस रूप में जारी रखने में कंपनी की क्षमता सुनिश्चित हो सके। ऋण के माध्यम से पूँजी जुटाने के लिए कंपनी संतुलित दृष्टिकोण अपनाती है। एक्सआर-5 परियोजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कंपनी ने 2015-16 और 2016-17 के दौरान राइट इश्यू द्वारा और 2016-17 के दौरान ऋण के माध्यम से वित्त-पोषण जुटाया है।

कंपनी लाभांश वितरण नीति का पालन करती है जो लाभांश का भुगतान करने और अधिशेष को भावी विकास के लिए प्रतिधारित करने और शेयरधारकों की संपदा बढ़ाने पर आधारित है।

यथा 31 मार्च 2017 को कंपनी का उधार इस प्रकार है -

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को बकाया राशि रु.	अभ्युक्तियाँ
1	बीईएल से प्राप्त कार्यशील पूँजी ऋण	33,47,79,118	तुलन-पत्र की टिप्पणी सं. 18 और 22 देखें
2	बीईएस से मीयादी ऋण (एक्सआर-5 परियोजना)	10,01,09,012	टिप्पणी सं. 18 देखें
3	बैंकों से कार्यशील पूँजी (क्रेता क्रेडिट)	13,57,98,995	क्रेता क्रेडिट के प्रति भुगतान जो 31 मार्च 2017 को देय नहीं था। टिप्पणी सं. 22 देखें

गियरिंग अनुपात नीचे दिए गया है -

विवरण	यथा 31 मार्च 2017	यथा 31 मार्च 2016	यथा 1 अप्रैल, 2015
निवल ऋण	57,06,87,125	77,55,60,113	24,72,86,912
कुल इक्विटी	1,59,88,49,176	1,06,93,83,659	58,14,46,143
निवल ऋण से इक्विटी अनुपात	0.36	0.73	0.42

टिप्पणी 37 – वित्तीय जोखिम प्रबंधन (ix)

वित्तीय विलेख – उचित मूल्य के मापन

1. लेखा वर्गीकरण तथा उचित मूल्य

निम्नलिखित टेबल में वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं की वहनीय राशि तथा उचित मूल्य दर्शाए गए हैं –

क. वित्तीय परिसंपत्तियाँ

राशि रु. में

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2017			31 मार्च 2016			1 अप्रैल 2015		
		एफवीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत
	उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उचित मूल्य पर मापी न गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ									
I	व्यापार की लेनदारी	-	-	60,62,43,987	-	-	17,57,41,842	-	-	11,52,68,394
II	ऋण									
A	सुरक्षा जमा	-	-	33,69,250	-	-	27,61,350	-	-	20,32,650
III	नकद और नकद समतुल्य	-	-	13,46,52,640	-	-	31,41,47,899	-	-	7,14,16,800
IV	अन्य बैंक शेष	-	-	2,18,29,605	-	-	1,49,09,927	-	-	1,90,97,609
v	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ									
क	मीयादी जमा			54,68,838			1,13,33,169			46,03,789
ख	मीयादी जमा पर ब्याज	-	-	17,97,401	-	-	18,52,365	-	-	13,94,786
	कुल			77,33,61,721			52,07,46,552			21,38,14,028

ख. वित्तीय देयताएँ

राशि रु. में

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2017			31st March 2016			1st April 2015		
		एफवीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत
	उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देयताएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उचित मूल्य पर मापी न गई वित्तीय देयताएँ									
I	उधार	-	-	57,06,87,125	-	-	77,55,60,113	-	-	24,72,86,912
II	व्यापार देय	-	-	14,77,30,085	-	-	8,40,87,202	-	-	42,09,78,909
III	अन्य वित्तीय देयताएँ									
क	अन्य देय			46,80,53,892			11,51,270			2,26,972
ख	सुरक्षा जमा	-	-	43,37,648	-	-	31,19,169	-	-	32,11,097
ग	बकाया व्यय	-	-	53,28,091	-	-	33,94,067	-	-	43,15,810
घ	उधार पर ब्याज	-	-	27,52,531	-	-	98,55,608	-	-	4,81,836
	कुल			1,20,59,45,833			88,54,60,655			67,65,01,536

लेखों की सामान्य टिप्पणियाँ

टिप्पणी 38

1. उधार

i) बैंकों से कार्यशील पूँजी ऋण

a) कंपनी को एसबीआई (अग्रणी बैंक) के संघीय बैंकरों और एक्सिस बैंक द्वारा रु. 46.00 करोड़ की कार्यशील पूँजी सीमा मंजूर की गई है। ब्याज की दर 8.45% प्रतिवर्ष (एक्सिस बैंक) और 8.35% प्रतिवर्ष (एसबीआई) है।

b) यथा 31.3.2017 को क्रेता क्रेडिट की उपयोगिता रु. 13,57,98,995/-(पिछले वर्ष रु. 28,38,53,339/-) है।

c) उपर्युक्त स्वीकृत सीमाएँ नीचे दर्शाए गए अनुसार पहले प्रभार द्वारा कच्चे माल, चालू स्टॉक, तैयार स्टॉक, भंडार एवं पुर्जे, पुस्त ऋण तथा अन्य चालू परिसंपत्तियों (संयंत्र एवं मशीनरी से संबंधित कलपुर्जों को छोड़कर) के दृष्टिबंधन द्वारा रक्षित भी हैं। स्वीकृत सीमाएँ भूमि व भवन पर साम्य गिरवी द्वारा समरूप प्रभार द्वारा भी रक्षित हैं।

राशि रु. में

क्र.सं.	विवरण	31.3.2017	31.3.2016	31.3.2015
1	वस्तुसूचियाँ	29,51,17,659	26,05,17,204	31,87,75,358
2	व्यापार की लेनदारियाँ	60,62,43,987	17,57,41,842	11,52,68,394
3	नकद व नकद समतुल्य	13,46,52,640	31,41,47,899	7,14,16,800
4	बैंक शेष	2,18,29,605	1,49,09,927	1,90,97,609
5	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	17,09,636	15,94,137	10,07,750
6	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	8,17,46,942	13,19,99,120	3,61,47,154
	कुल चालू परिसंपत्तियाँ	**1,14,13,00,469**	**89,89,10,129**	**56,17,13,065**

ii) बीईएल से कार्यशील पूँजी ऋण

बेलॉप ने बीईएल से रु. 50,00,00,000 का कार्यशील पूँजी ऋण प्राप्त किया है। पुनर्निर्धारण के बाद, मूलधन के भुगतान जून 2016 से जून 2018 तक देय हैं। यथा 31.3.2017 को बकाया ऋण राशि रु. 33,80,66,666/- है। ब्याज बीईएल द्वारा पिछले महीने तक बैंकों के पास जमा राशियों पर अर्जित लब्धि की दर पर मासिक रूप से प्रभारित किया जाता है।

iii) बीईएल से एक्सआर-5 परियोजना के लिए मीयादी ऋण

बेलॉप ने बीईएल से रु. 46,00,00,000 का मीयादी ऋण प्राप्त किया है। मूलधन भुगतान जून 2018 से 36 समान किस्तों में देय हैं। यथा 31.3.2017 को बकाया ऋण राशि रु. 10,38,77,925/- है। ब्याज बीईएल द्वारा पिछले महीने तक बैंकों के पास जमा राशियों पर अर्जित लब्धि की दर पर अथवा पाँच वर्ष की अवधि के भारत सरकार के बांड पर लब्धि की ब्याज दर, इनसे जो भी अधिक हो, मासिक रूप से प्रभारित किया जाता है।

2. एक्सआर-5 परियोजना के विवरण

वर्ष के दौरान एक्सआर-5 परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है। एक्सआर-5 परियोजना के अधीन अधिकांश मूर्त परिसंपत्तियाँ संस्थापित कर दी गई हैं। अदा किया गया लाइसेंस शुल्क विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाया गया है। वर्ष के दौरान परियोजना के अधीन दी गई तकनीकी सहायता को लाभ व हानि के विवरण में प्रभारित किया गया है।

एक्सआर-5 परियोजना का वित्त-पोषण

ग्राहक की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आई.आई.ट्यूबों के विनिर्देश बढ़ाने के लिए, बेलॉप ने मई 2014 के दौरान एक्सआर-5 आई.आई. ट्यूबों की टीओटी के लिए मेसर्स फोटोनिस, फ्रांस के साथ एक करार किया । बीईएल इक्विटी के ज़रिए 22.95 मिलियन यूरो की मूल परियोजना लागत का वित्त-पोषण करने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रस्तावित है कि संबंधित कर और शुल्क तथा बेलॉप में अवसंरचना के कोटि उन्नयन के प्रति परियोजना लागत की शेष राशि जो लगभग रु. 46,00,00,000 बनती है, ऋण द्वारा पूरी की जाएगी।

राइट इश्यू

वर्ष के दौरान, एक्सआर-5 परियोजना के वित्त-पोषण के भाग के रूप में, बेलॉप ने प्रीमियम पर इक्विटी शेयरों के 21,38,957 राइट इश्यू जारी किए जिसका अभिदान किया गया और शेयर आवंटित किए गए।

ऋण प्राप्त करना

वर्ष के दौरान, एक्सआर-5 परियोजना के वित्तपोषण के भाग के रूप में, बेलॉप ने इस परियोजना के वित्त-पोषण हेतु बीईएल से रु. 10,38,77,925 का ऋण प्राप्त किया (रु. 46,00,00,000 के स्वीकृत मीयादी ऋण के समक्ष)।

पूँजी खाते में निष्पादित करने के लिए शेष, जिसका प्रावधान नहीं किया गया, संविदाओं की प्राक्कलित राशि रु.1,58,83,000/- (पिछले वर्ष रु. 2,19,42,513/-) है।

2. टीओटी (एक्सडी-4) के संबंध में अनुदान अंतरण के ब्यौरे

क्र.सं.	विवरण	राशि रु. में	
		2016-17	2015-16
1	मूल्यह्रास	5,47,56,798	5,45,54,852
2	लाइसेंस शुल्क का परिशोधन	12,49,94,904	12,49,94,904
3	मरम्मत और अनुरक्षण	72,07,113	68,253
4	कुल	**18,69,58,815**	**17,96,18,009**
5	अनुदान अंतरण का %	**74.30%**	**84.76%**
6	**अनुदान अंतरण (4*5)**	**13,89,13,533**	**15,22,46,194**

बेलॉप ने उच्चतर विनिर्देश के आई.आई. ट्यूबों का निर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु मे. फोटोनिस, फ्रांस के साथ करार किया है जो अनुदान द्वारा वित्त-पोषित है। यथा 31.03.2017 को बेलॉप ने रु. 251.26 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया और रु. 3.49 करोड़ का अनुदान प्राप्त करना बाकी है। वर्ष 2016-17 के दौरान, वित्त पोषण की सही स्थिति दर्शाने के लिए टीओटी की लागत के लिए अनुदान के प्रतिशत का पुन:परिकलन किया गया और इस प्रतिशत को संशोधित कर 84.76% किया गया जो पहले 74.30% था। तदनुसार, टीओटी (एक्सडी-4) के प्रति वर्ष 2016-17 में उपगत व्यय का 74.30% लाभ व हानि के विवरण में आय में अंतरित किया गया। यह अभिनिश्चित किया गया कि लाभ व हानि के विवरण में अनुदान का अंतरण रु. 1,95,52,758/- तक अधिक होगा यदि इसे पिछले वर्ष के प्राक्कलनों के अनुसार परिकलित किया जाता और इसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष के कर पूर्व लाभ रु. 1,95,52,758/- तक घटता है।

5. टीपीडीयूपी परियोजना के मामले में, खरीदी गई अचल परिसंपत्तियों का अतिरेक निवल ब्लॉक कंपनी द्वारा उपगत व्ययों की राशि को दर्शाता है जिसके लिए कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया गया था।.

6. लेखा परीक्षकों को भुगतान (निवल सेवा कर)

राशि रु. में

विवरण	2016-17	2015-16
लेखा परीक्षा शुल्क	1,00,000	1,00,000
कुल	**1,00,000**	**1,00,000**

7. संबंधित पक्षकार के संव्यवहार –

क) संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति जहाँ नियंत्रण किया जाना है –

संबंधित पक्षकार का नाम	संबंध की प्रकृति
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	धारक कंपनी

ख) धारक कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ संबंधित पक्षकार के संव्यवहार

राशि रु. में

संव्यवहारों की प्रकृति	संव्यवहारों की राशि 2016-17	संव्यवहारों की राशि 2015-16	31.03.2017 वर्ष की समाप्ति पर बकाया राशि		31.03.2016 वर्ष की समाप्ति पर बकाया राशि	
			नामें	जमा	नामें	जमा
बिक्री	76,14,41,712	78,76,78,105	-	-	-	-
दत्त ब्याज	3,05,45,258	5,12,62,307	-	-	-	-
व्यापार की लेनदारियाँ**			54,78,68,629	-	9,11,55,778	
बिक्री अग्रिम			-	-	-	20,79,941
छुट्टी नकदीकरण की लेनदारी			-	-	4,93,898	-
बीईएल से कार्यशील पूँजी ऋण			-	33,80,66,666	-	50,00,00,000
बीईएल से मीयादी ऋण			-	10,38,77,925	-	-
बीईएल के ऋण पर ब्याज (कार्यशील पूंजी)			-	19,69,104	-	96,07,056
बीईएल से मीयादी ऋण पर ब्याज			-	6,05,047	-	-
बिक्री कर की लेनदारी		-	6,24,800	-	6,24,800	-

**देनदारों में रु. 1,40,32,266 (पिछले वर्ष रु. 1,17,05,329/-) शामिल है जिसके लिए संदिग्ध ऋण का प्रावधान किया गया है।

i. बेलॉप ने 30 अप्रैल 2013 को टीओटी की रु. 104.16 करोड़ की लागत का अस्थाई वित्त-पोषण करने के लिए बीईएल के साथ करार किया है और इस करार के निबंधनों के अनुसार बेलॉप बीईएल को इमेज इंटेन्सीफायर II ट्यूबों की आपूर्ति के समक्ष कीमत में बट्टे के रूप में उक्त निधि की लागत की प्रतिपूर्ति करेगी।

ii. बीईएल यानी धारक कंपनी के दो अधिकारी प्रतिनियुक्त पर बेलॉप में हैं और वर्ष के दौरान उनके वेतन आदि का भुगतान बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड द्वारा नियोजन के निबंधन व शर्तों के अनुसार किया गया।

iii. बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड ने बीईएल द्वारा नियुक्त सतर्कता अधिकारी को अदा किए गए आनुपातिक वेतन को भी वहन किया है।

<u>सरकार तथा सरकार संबंधी स्वत्वों के साथ संव्यवहार -</u>

चूँकि बेलॉप रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सरकारी स्वत्व है, इसने सरकार तथा सरकार संबंधी स्वत्वों के साथ संव्यवहार संबंधी भारतीय-एएस 24 के तहत अपेक्षित विस्तृत प्रकटण करने से छूट प्राप्त की है।

यथा 31.03.2017 को व्यापार की लेनदारियों के रूप में रु. 7,05,86,693 (पिछले वर्ष रु. 11,97,89,116) की राशि बकाया है।

ग) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक इस प्रकार हैं –

क्र.सं.	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का नाम	पदनाम
1	श्री एम वी गौतमा (8.11.16 से)	सीएमडी, बीईएल तथा अध्यक्ष,बेलॉप
2	श्री सुनील कुमार शर्मा (30.09.16 तक)	सीएमडी, बीईएल तथा अध्यक्ष,बेलॉप
3	डॉ अजीत टी कलघट्गी	निदेशक (अनु. व वि.), बीईएल तथा निदेशक, बेलॉप
4	श्रीमती आनंदी रामलिंगम (28.11.16 से)	निदेशक (विपणन.), बीईएल तथा निदेशक, बेलॉप
5	श्री पी आर आचार्या (13.8.2016 तक)	निदेशक (वित्त), बीईएल तथा निदेशक, बेलॉप
6	श्री एम एल षणमुख (31.10.16 तक)	निदेशक (मा.सं.), बीईएल तथा निदेशक, बेलॉप
7	श्री डी सी एन श्रीनिवास राव (1.12.16 से)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बेलॉप
8	श्री एस एस कुलकर्णी (30.11.16 तक)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बेलॉप
9	सुश्री प्रिया एस अय्यर	कंपनी सचिव तथा सीएफओ, बेलॉप

उक्त तीन निदेशक अंशकालिक निदेशक हैं और वर्ष के दौरान उन्हें कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक अदा नहीं किया गया। सीईओ, बेलॉप और कंपनी सचिव तथा सीएफओ, बेलॉप को अदा किए गए पारिश्रमिक के विवरण इस प्रकार हैं –

राशि रु. में

क्र.सं.	विवरण	अल्पकालनिक अनुलाभ		सेवानिवृत्ति अनुलाभ		कुल	
		2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17
1	श्री डी सी एन श्रीनिवास राव	कुछ नहीं	7,53,825	कुछ नहीं	3,46,881	कुछ नहीं	11,00,706
2	श्री एस एस कुलकर्णी	16,30,696	20,29,605	4,89,531	1,78,971	21,20,227	22,08,576
3	सुश्री प्रिया एस अय्यर	4,52,539	13,96,070**	1,68,053	2,57,200	6,20,592	16,53,270

** इसमें 1.4.2012 से 31.3.2016 तक की अवधि की बकाया राशि शामिल है।

8. "प्रचालनीय खंड" पर भारतीय-एएस लेखा मानक – 108 के अनुसार, कंपनी के उत्पाद केवल एक खंड यानी इमेज इंटेन्सीफायर ट्यूब के तहत आते हैं, इसलिए अलग खंड-वार परिणाम प्रकट नहीं किए गए हैं।

9. कंपनी जो एकल सम्मिश्रित नकद सृजन करने वाली यूनिट है, ने आंतरिक और बाहरी कारकों के मूल्यांकन के आधार पर यह पाया है कि इसकी परिसंपत्तियों की अनर्जकता का की संकेत नहीं है, इसलिए, इसके लिए कोई अलग प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया।

10. कंपनी ने वरष 2016-17 के दौरान अनुसंधान एवं विकास के संबंध में पूँजीगत उपस्करों के लिए रु. रु. 26,92,188/- (सकल) (पिछले वर्ष रु. 28,88,612/-) का खर्च किया है।

11. कंपनी की अधिवर्षिता योजना के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं -

a) कंपनी में सहायक प्रबंधक और इससे ऊपर की श्रेणी के कार्यपालकों के लिए अधिवर्षिता योजना विद्यमान है।
b) इस योजना के अनुसार, कंपनी प्रतिवर्ष 13% का अंशदान (मूल वेतन + डीए) देती है। अंशदान करने के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को कर्मचारी का मूल वेतन + डीए लिया जाता है।
c) अधिवर्षिता के अंशदान को अधिवर्षिता ट्रस्ट द्वारा एलआईसी को विप्रेषित किया जाता है और प्रत्येक कर्मचारी के खाते में संचित राशि एलआईसी द्वारा पेंशन के रूप में अधिवर्षिता ट्रस्ट के माध्यम से संबंधित कर्मचारी को जारी की जाती है।

12. आकस्मिक देयताएँ

राशि रु. में

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष
क)	बकाया साख-पत्र	1,15,91,736	5,00,610
ख)	बकाया बैंक गारंटी (इसके समक्ष प्रति गारंटी कंपनी द्वारा दी गई)	10,32,000	34,26,703
ग)	कंपनी की विवादित चुँगी मांग जिसके संबंध में वित्तीय वर्ष 2005-06 में पुणे न्यायालय के वरिष्ठ खंड पीठ में जमा किया गया, जिसका निर्णय लंबित है।	13,91,490	13,91,490
घ)	कंपनी द्वारा विवादित सेवा कर	28,45,450	28,45,450
ङ)	ग्राहक के अनिष्पादितआदेश जहाँ सुपुर्दगी की तारीख समाप्त हो गई है, के संबंध में 31 मार्च तक के अनंतिम परिनिर्धारित हर्जाना	कुछ नहीं	कुछ नहीं
च)	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10ख के तहत प्राप्त अनुलाभों के संबंध में कंपनी के पक्ष में आईटीएटी द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालय में आयकर विभाग द्वारा दाखिल अपील	3,86,57,286	3,86,57,286
	कुल (क से च)	**5,55,17,962**	**4,68,21,539**

13. अधिसूचना सं. एफ. नं. 17/62/2015-CL-V(Vol.I) दिनांक 30.3.2017 द्वारा अनिवार्य बनाए गए अनुसार, 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 की अवधि के दौरान संव्यवहार किए गए निर्दिष्ट बैंक नोट (एसबीएन) के विवरण नीचे दिए गए हैं -

राशि रु. में

क्र.सं.	विवरण	एसबीएन	अन्य मूल्य वर्ग के नोट	कुल
1	यथा 8.11.2016 को अंतिम नकद	1,03,000	25,113	1,28,113
2	(+) अनुमत प्राप्ति	23,500	-	23,500
3	(+) बैंक से आहरित	-	13,84,502	13,84,502
4	(-) अनुमत भुगतान	3,000	12,53,993	12,56,993
5	(-) बैंक में जमा राशि	1,23,500	-	1,23,500
6	**यथा 30.12.16 को हस्तस्थ अंतिम शेष**	**-**	**1,55,622**	**1,55,622**

14. विभिन्न न्यायिक प्राधिकरणों में विवादाधीन श्रम मामलों के संबंध में देयता, यदि कोई हो, अभिनिश्चित नहीं की गई।

15. जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुन:समूहित / पुन: वर्गीकृत किया गया है। कोष्ठक में दिए गए आंकडे पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड के सदस्यों के लिए

स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2017 का तुलन-पत्र, लाभ व हानि का विवरण (जिसमें अन्य व्यापक आय भी शामिल है), उसी तारीख को समाप्त वर्ष की नकदी प्राप्ति विवरणी और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, उल्लेखनीय लेखा नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना का सार शामिल है, की लेखा परीक्षा की है।

स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

ये स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण जो अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (भारतीय ए.एस.) जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाना है, सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन, नकदी प्राप्ति और इक्विटी में परिवर्तन के विवरण की सच्ची और सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार और प्रस्तुत करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (एक्ट) की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी का परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं का निवारण करने और उनका पता लगाने के लिए, उचित लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग करने, न्यायोचित एवं दूरदर्शी निर्णय और प्राक्कलन करने के लिए तथा ऐसे समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करने, कार्यान्वित करने और रखने के लिए जो सही और सच्ची स्थिति प्रस्तुत करने वाले तथा महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों से मुक्त, कपट या त्रुटि द्वारा, स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से प्रचालित हैं, शामिल है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरायित्व हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर इन स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने तक सीमित है। हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन व लेखा परीक्षा के मानकों तथा ऐसे मामलों पर विचार किया है जिन्हें अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों और प्रावधानों के तहत इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल करना आवश्यक था।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा पर इन मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा संचालित की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखा परीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार करें कि इस बात का औचित्यपूर्म आश्वासन प्राप्त हो सके कि स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा में स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों में उल्लिखित राशियों तथा प्रकटणों के बारे में लेखा परीक्षा का साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को पूरा करना शामिल होता है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिनमें स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों की जोखिमों, कपट अथवा त्रुटि से, का मूल्यांकन शामिल होता है। ऐसे जोखिम मूल्यांकन करने में, लेखा परीक्षक स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण जो परिस्थितियों के लिए उचित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से सच्ची और सही स्थिति प्रदान करने वाले स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों की कंपनी की तैयारी के संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करते हैं। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना तथा कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखा प्राक्कलनों की औचित्यता तथा स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है।

हमारा विश्वास है कि हमें अपनी लेखा परीक्षा के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वे स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखा परीक्षा के विचार व्यक्ति करने का समुचित और औचित्यपूर्ण आधार प्रस्तुत करते हैं।

विचार

हमारे विचार से तथा जहाँ तक हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना प्रदान करते हैं और यथा 31 मार्च, 2017 को कंपनी की वित्तीय स्थिति तथा उसके लाभ (अन्य व्यापक आय सहित इसके वित्तीय कार्य-निष्पादन), इसकी नकदी प्राप्ति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों के बारे में, भारतीय ए.एस.सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही और सच्ची स्थिति प्रस्तुत करते हैं।

अन्य मामले

भारतीय ए.एस. में संक्रमण करने के समायोजनों संबंधी व्यापक सूचना

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए तथा इन स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों में शामिल 1 अप्रैल 2015 को संक्रमण तारीख के प्रारंभिक शेष हेतु कंपनी की व्यापक वित्तीय सूचना कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2014 के अनुसार तैयार किए गए व पूर्व में जारी सांविधिक वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं जिनकी लेखा परीक्षा हमारे पूर्व के लेखा परीक्षकों द्वारा की गई थी जिनकी 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2015 की रिपोर्ट क्रमश: दिनांक 14 जुलाई 2016 और 19 मई 2015 में उक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर असंशोधित विचार व्यक्त किया गया और भारतीय ए.एस. में संक्रमण करने पर कंपनी द्वारा अपनाए गए लेखा सिद्धांतों में अंतरों को समायोजित किया गया, जिनकी हमने लेखा परीक्षा की है ।

इन मामलों में हमारे विचारों में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के परिप्रेक्ष्य में भारत के केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("दि ऑर्डर") में की गई अपेक्षा अनुसार, हम "अनुलग्नक-क" में इस आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरणी प्रस्तुत करते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(3) में की गई अपेक्षा अनुसार, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि -
   (क) हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो जहाँ तक हमारी जानकारी और विश्वास है, हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे;
   (ख) हमारे विचार से, कंपनी द्वारा विधि द्वारा यथा अपेक्षित उचित लेखा बहियाँ रखी गई हैं, जैसा कि इन बहियों के परीक्षण से प्रतीत होता है;
   (ग) इस रिपोर्ट में व्यवहरित तुलन-पत्र, लाभ व हानि की विवरणी, नकदी प्राप्ति विवरणी और इक्विटी में परिवर्तन संबंधी विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं;
   (घ) हमारे विचार से, उक्त स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 जिसे उसके तहत जारी संबंधित नियमों के साथ पढ़ा जाना है, के तहत निर्दिष्ट लेखा मानक का पालन करते हैं;
   (ङ) 31 मार्च 2017 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर जिसे निदेशक मंडल द्वारा दर्ज किया गया है, यथा 31 मार्च 2017 को कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के परिप्रेक्ष्य में निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है;
   (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनीय दक्षता के संबंध में, "अनुलग्नक-ख" में दी गई हमारी रिपोर्ट देखें, तथा
   (छ) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे विचार से तथा जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमें स्पष्टीकरण दिए गए हैं -
      i. कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है –वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 38(12)देखें;
      ii. कंपनी को व्युत्पन्नी संविदाओं सहित दीर्घकालीन संविदाओं पर महत्वपूर्ण पूर्वानुमान करने योग्य हानियाँ, यदि कोई हो, के लिए लागू विधि या लेखा मानकों के तहत यथा अपेक्षित प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है ;

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि को अंतरित की जाने वाली राशियों को अंतरित करने संबंधी प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

iv. कंपनी ने 8 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 तक की अवधि के दौरान धारिताओं तथा निर्दिष्ट बैंक नोट में लेनदेन के संबंध में स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों में आवश्यक प्रकटण किए हैं । लेखा प्रक्रियाओं के आधार पर तथा प्रबंधन के अभ्यावेदनों पर विश्वास करते हुए, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि किए गए प्रकटण कंपनी द्वारा रखी गई लेखा बहियों के अंनुसार हैं और प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुरूप हैं – टिप्पणी 38(13) देखें।

कृते एमएसडीएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण संख्या - 112479W
-हस्ता-
सी.ए. दीपक सुगंधी
साझेदार
सदस्यता संख्या - 104950
पुणे

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-क

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों पर बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड के सदस्यों को प्रस्तुत की जाने वाली स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक में, हम रिपोर्ट करते हैं कि -

1. कंपनी ने प्रमात्रात्मक विवरण तथा अचल परिसंपत्तियों की स्थिति सहित, पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित अभिलेख रखे हैं।
   a. कंपनी में इसकी अचल परिसंपत्तियों के वास्तविक सत्यापन का नियमित कार्यक्रम मौजूद है जिसके तहत तीन वर्षों की अवधि में चरणबद्ध ढंग से अचल परिसंपत्तियों का सत्यापन किया जाता है।
   b. इस कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान कुछेक अचल परिसंपत्तियों का सत्यापन किया गया और ऐसे सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई। हमारे विचार से, कंपनी के आकार और उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए ऐसे वास्तविक सत्यापन की आवधिकता उचित है।
   c. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई जाँच के आधार पर, अचल परिसंपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं।
2. प्रबंधन द्वारा वस्तुसूची का वास्तविक सत्यापन वर्षांत में किया गया है और लेखा बहियों तथा वास्तविक सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई।
3. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 ("दि एक्ट") की धारा 189 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता की साझेदारियों या अन्य पक्षकारों को कोई कर्ज, रक्षित या अरक्षित, नहीं दिया है। इसलिए उप-पैरा (क), (ख) और (ग) लागू नहीं हैं।
4. हमारे विचार से तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया या निवेश नहीं किया है, इसलिए, अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अनुपालन संबंधी उक्त खंड, जो ऋण और निवेश से संबंधित है, लागू नहीं होता है।
5. कंपनी ने पब्लिक से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।
6. कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) में वर्णित अनुसार लागत अभिलेख रखने की आवश्यकता है। दी गई सूचना के अनुसार, कंपनी संबंधित लागत विवरण और अभिलेखों का समेकन कर रही है। इस संबंध में हम कंपनी द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र पेशेवर द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र पर विश्वास करते हैं।
7. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों के हमारे द्वारा किए गए परीक्षण के आधार पर, भविष्य निधि, आय कर, विक्रय कर, मूल्य वर्धित कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, उपकर तथा अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय सहित अविवादित सांविधिक देयों के संबंध में लेखा बहियों में काटी गई / प्रोद्भूत राशि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा की गई है।
   a. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, यथा 31 मार्च 2017 को भविष्य निधि, आय कर, विक्रय कर, मूल्य वर्धित कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, उपकर तथा अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय के संबंध में प्रदेय ऐसी कोई अविवादित राशि इस तरह प्रदेय होने की तारीख से छः महीनों से अधिक समय तक बकाया नहीं है।
   b. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, आय कर या सीमा शुल्क या संपदा कर या सेवा कर या उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क या मूल्य वर्धित कर या उप कर का ऐसा कोई देय नहीं है जो लेखों की टिप्पणियों (टिप्पणी सं. 38(12) देखें) में प्रकट की गई राशियों के अलावा, किसी विवाद के कारण संबंधित प्राधिकारियों को जमा नहीं कराया गया है।

8. कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या ऋणपत्र धारक से कोई कर्ज या ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश का उक्त खंड लागू नहीं होता।

9. हमारे विचार से तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान मीयादी ऋण द्वारा जुटाई गई धनराशि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन के लिए किया है। कंपनी ने प्रारंभिक पब्लिक ऑफर / अतिरिक्त पब्लिक ऑफर (ऋण विलेख सहित) द्वारा कोई राशि नहीं जुटाया।

10. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी द्वारा या कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी नहीं देखी गई या हमारी लेखा परीक्षा के दौरान इसकी कोई रिपोर्ट की गई ।

11. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के हमारे निरीक्षण के आधार पर, कंपनी ने कोई प्रबंधकीय पारिश्रमिक अदा नहीं किया है / इसका प्रावधान नहीं किया है, इसलिए अधिनियम की धारा 197 जिसे इसकी अनुसूची V के साथ पढ़ा जाना है, के प्रावधानों द्वारा आज्ञापित आवश्यक अनुमोदन प्राप्त नहीं किए गए।

12. हमारे विचार से तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, यह कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का यह खंड लागू नहीं होता।

13. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के हमारे निरीक्षण के आधार पर, संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए लेनदेन, जहाँ लागू हैं, अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में किए गए हैं और ऐसे लेनदेन के विवरणों को लागू लेखा मानकों द्वारा यथा अपेक्षित, स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

14. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के हमारे निरीक्षण के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का या पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्रों कोई वरीय आबंटन नहीं किया है या कोई निजी आबंटन नहीं किया है ।

15. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के हमारे निरीक्षण के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबद्ध व्यक्तियों के साथ नकद-इतर कोई लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश 3(xv) का अनुच्छेद लागू नहीं होता।

16. कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।

कृते एमएसडीएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण संख्या - 112479W
-हस्ता-
सी.ए. दीपक सुगंधी
साझेदार
सदस्यता संख्या - 104950
पुणे

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ख

कंपनी अधिनियम, 2013 ("दि एक्ट") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2017 को बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड ("दि कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन भारतीय एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए कंपनी का प्रबंधन उत्तरदायी होता है। इन उत्तरदायित्वों में ऐसे समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का निर्माण, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा अपेक्षित, इसके कारोबार को क्रमबद्ध और प्रभावी ढंग से चलाने, कंपनी की नीतियों का पालन करने, उसके परिसंपत्तियों की रक्षा करने, कपटपूर्ण कार्यों तथा त्रुटियों से बचने और उनका पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से प्रचालित हैं।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करने तक सीमित है। हमने अपनी लेखा परीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शी टिप्पणी") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी तथा जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में वर्णित अनुसार माना गया है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों दोनों पर लागू है, के अनुसार संचालित की है। इन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणी में यह अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और इस बात का औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएँ और उसे निष्पादित करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संस्थापित और अनुरक्षित हैं तथा ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग से प्रचालित हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग तथा उनकी प्रचालनीय दक्षता के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा के साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएँ शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना, यदि कोई महत्वपूर्ण कमी हको तो उसके जोखिम का मूल्यांकन करना और इस तरह मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और प्रचालनीय दक्षता की जाँच और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिनमें स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों की जोखिमों, कपट अथवा त्रुटि से, का मूल्यांकन शामिल होता है।

हमारा विश्वास है कि हमें अपनी लेखा परीक्षा के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर अपनी लेखा परीक्षा के विचार व्यक्ति करने का समुचित और औचित्यपूर्ण आधार प्रस्तुत करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरित वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनार्थ, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में औचित्यपूर्ण आश्वासन प्रदान करते हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में ऐसी नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) ऐसे अभिलेखों को रखने से संबंधित हैं जो विवेकपूर्ण विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन तथा उनके स्वभाव को सटीक और न्यायसंगत ढंग से प्रतिबिंबित करते हैं; (2) ऐसे उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि सभी लेनदेन सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी अनुमत करने के लिए आवश्यकतानुसार दर्ज किए जाते हैं और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और खर्च प्रबंधन के प्राधिकरण तथा कंपनी के निदेशकों के अनुसार ही किए जा रहे हैं;

और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता चलने संबंधी उचित आश्वासन प्रदान करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें नियंत्रणों पर प्रबंधन के टकराव या अनुचित प्रबंधन की आशंका, त्रुटि या कपटपूर्ण कार्यों से महत्वपूर्ण मिथ्याकथन शामिल हैं जिनका पता नहीं लगाया जा सका है। इसके अलावा, भावी अवधियों के लिए इस वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का प्राक्कलन ऐसे जोखिमों पर निर्भर करते हैं जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग पर ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त बन जाते हैं अथवा इन नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर घट जाता है।

विचार

हमारे विचार से, कंपनी में सभी महत्वपूर्ण दृष्टि से, वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, 31 मार्च, 2017 को प्रभावी ढंग से प्रचालित हैं।

कृते एमएसडीएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण संख्या - 112479W
-हस्ता-
सी.ए. दीपक सुगंधी
साझेदार
सदस्यता संख्या - 104950
पुणे

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ग

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर प्रतिक्रिया

प्रबंधन की प्रतिक्रिया तथा लेखों की हमारी समीक्षा के आधार पर, हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं -

क्र.सं.	निर्देश	प्रतिक्रिया
1	क्या कंपनी के पास क्रमश: पूर्ण स्वामित्व और पट्टे पर ली गई भूमि का स्पष्ट हक / पट्टे के विलेख हैं? यदि नहीं, तो ऐसी पूर्ण स्वामित्व और पट्टे पर ली गई भूमि का क्षेत्रफल बताएँ जिसके लिए स्पष्ट हक / पट्टे का विलेख उपलब्ध नहीं है।	कंपनी ने 25.11.1991 को महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम से 95 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर एक भूमि (जो ईएल 30, जे ब्लॉक, भोसारी औद्योगिकी क्षेत्र में स्थित है और जिसका क्षेत्रफल 13,680 वर्ग मीटर है) लिया है जिसे अतिरिक्त 95 वर्षों के लिए नवीकृत किया जा सकता है। इस बारे में स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 1 में बताया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी यह भी संपुष्ट करती है कि इसके पास उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है। इसके आधार पर, हमें यह कहना है कि कंपनी के पास पूर्ण स्वामित्व भूमि का पट्टा विलेख है।
2	क्या ऋणों/ कर्ज / ब्याज आदि के अधित्याग/ बट्टा खाते में डालने का कोई मामला है, यदि हाँ, तो उसके कारण और शामिल राशि के बारे में बताएँ	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखा परीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ऋण/ कर्ज / ब्याज आदि के अधित्याग/ बट्टा खाते में डालने का कोई मामला नहीं पाया गया।
3	क्या तृतीय पक्षकार के पास स्थित वस्तुसूचियों तथा सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार / अनुदान के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों के उचित अभिलेख रखे जाते हैं	कंपनी तृतीय पक्षकारों के पास रखी वस्तुसूची के लिए रखे जाने वाले अभिलेखों के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया का पालन करती है। हमने इस प्रक्रिया की समीक्षा की है जिसके आधार पर हमारा विचार है कि कंपनी में एक उचित प्रणाली मौजूद है जिसका सख्ती से पालन किया जाता है। लेखा बहियों की हमारी समीक्षा और प्रबंधन की संपुष्टि के आधार पर, कंपनी को कोई परिसंपत्ति उपहार के रूप में प्राप्त नहीं हुई है।

कृते एमएसडीएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म का पंजीकरण संख्या - 112479W
-हस्ता-
सी.ए. दीपक सुगंधी
साझेदार
सदस्यता संख्या - 104950
पुणे

Insp/BELOP A/cs(2016-17)/2017-18/182

सं./No.

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय, बेंगलूर – 560 001
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT and Ex-Officio MEMBER, AUDIT BOARD, BANGALORE - 560 001.

दिनांक / DATE.

24th July 2017

To

Shri M V Gowtama,
Chairman,
M/s.BEL Optronic Devices Limited,
EL 30, J Block, Bhosari Industrial Area,
Pune – 411 026

Sir,

Sub: Comments of the Comptroller and Auditor General of India under section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of M/s.BEL Optronic Devices Limited, Pune for the year ended 31 March 2017.

I forward herewith **Nil Comments Certificate** of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the financial statements of **M/s.BEL Optronic Devices Limited, Pune** for the year ended 31 March 2017.

It may please be ensured that the comments are:

(i) Printed in toto without any editing;

(ii) Placed before the AGM as required under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013; and

(iii) Placed next to the Statutory Auditors' Report in the Annual Report of the Company with proper indication in the index.

The receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

24/7/2017

(N. Subramanian)
Director (Admin)

Encl: As above.

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF M/S. BEL OPTRONIC DEVICES LIMITED, PUNE FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2017

The preparation of financial statements of **M/s.BEL Optronic Devices Limited, Pune** for the year ended 31 March 2017 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 27 May 2017.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) of the Act of the financial statements of **M/s.BEL Optronic Devices Limited, Pune** for the year ended 31 March 2017. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Prachi Pandey
24/7/17

(Prachi Pandey)
Pr. Director of Commercial Audit

Place: Bengaluru

Date: 24th July 2017

बेलॉप ने महाराष्ट्र ऊर्जा विकास निगम (मेडा) द्वारा आयोजित वर्ष 2015-16 के लघु व मध्यम उद्यम क्षेत्र वर्ग में ऊर्जा संरक्षा एवं प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार जीता

तस्वीर में दिख रहे हैं –

माननीय श्री चंद्रशेखर कृष्णराव बावनकुले, मंत्री, नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं राज्य उत्पाद शुल्क तथा अध्यक्ष, मेडा (दाएँ से तीसरे), श्री डी सी एन श्रीनिवास राव, सीईओ, बेलॉप (दाएँ से दूसरे), श्री अनिल दीक्षित, उ.म.प्र. (उत्पादन), (दाएँ से चौथे), श्री गणेश पासलकर, उप प्रबंधक, बेलॉप (दाएँ से पहले) तथा अन्य प्रतिनिधिगण।

बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड
भारत सरकार का उद्यम, रक्षा मंत्रालय
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) की सहायक कंपनी
सी.आई.एन. U31909PN1990GOI058096
पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय – ईएल -30, 'जे' ब्लॉक
भोसारी औद्योगिक क्षेत्र, पुणे – 411 026 (भारत)
फ़ोन – (020) – 27130981 (4 लाइनें), 27130604, 27130220, 27130355
फैक्स – (020) – 27130589
ईमेल – info@belop.co.in